20वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)

Indraprastha Power Generation Company Limited
&
Pragati Power Corporation Limited

Our Vision

To make Delhi-Power Surplus

Our Mission

To maximize generation from available capacity

To plan & implement new generation capacity in Delhi

Competitive pricing of our own generation

To set ever so high standards of environment protection

To develop competent human resources from
managing the company with good standards

निदेशक मंडल

(स्थगित एजीएम दिनांक 29.12.2023 की तिथि के अनुसार)

श्री शुरबीर सिंह, आईएएस
अध्यक्ष

श्री रवि धवन, आईएएस
प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (मानव संसाधन)

श्री नवीन एस.एल, आईएएस
निदेशक (वित्त)

श्री मुकेश कुमार शर्मा
निदेशक (तकनीकी)

श्री भृगु नाथ ओझा
निदेशक

श्री मदन वर्मा
निदेशक

श्री संदीप अग्रवाल
स्वतंत्र निदेशक

सुश्री अंजलि राय
स्वतंत्र निदेशक

विद्युत संयंत्र

(i) प्रगति पावर स्टेशन-I
रिंग रोड़, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली

(ii) प्रगति पावर स्टेशन-II
बवाना, नई दिल्ली

बैंकर्स

(i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

(ii) इलाहाबाद बैंक

पंजीकृत कार्यालय

"हिमाद्रि", राजघाट पावर हाउस कॉम्पलेक्स,
नई दिल्ली
वेबसाइट : iwww.ipgcl-ppcl.nic.in
CIN : U74899DL2001SGC109135

लेखा परीक्षक

(i) वैधानिक लेखापरीक्षक :
मैसर्स वीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षक :
मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(iii) लागत लेखापरीक्षक :
मैसर्स चंद्रा वाधवा एंड कंपनी
लागत लेखाकार

(iv) सचिवीय लेखापरीक्षक :
मैसर्स स्वर्ण जैन एंड एसोसिएट्स
पेशेवर कंपनी सचिव

विषय सूचि

विवरण	*Page No.*
निदेशक मण्डल	**1**
निदेशकों की रिपोर्ट	**3-43**
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	**44-54**
तुलन पत्र	**55-56**
लाभ व हानि विवरण	**57-58**
रोकड़ प्रवाह विवरण	**59-61**
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	**62-63**
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	**64-120**

प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) – यू74899डीएल2001एसजीसी109135
(पंजीकृत कार्यालयः हिमाद्री, राजघाट पावर हाउस परिसर, नई दिल्ली – 110002)
टेलीफोन एवं फैक्स नंबर : 011–23273565, वेबसाइट : www.ipgcl-ppcl.gov.in

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सदस्यगण,

आपके निदेशक, निदेशक मंडल की ओर से, आपके सम्मुख कम्पनी के व्यवसाय एवं परिचालनों के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ अपनी 20वीं वार्षिक रिपोर्ट की सहर्ष प्रस्तुति कर रहे हैं।

1. निष्पादनः

वित्तीय निष्पादनः

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन का सार निम्नानुसार हैः–

विवरण	(आंकड़े रुपए लाख में)	
	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
राजस्व		
प्रचालनों से राजस्व	3,038.36	4,972.32
अन्य आय	65.44	77.96
कुल राजस्व	**3,103.80**	**5,050.28**
व्यय		
ईंधन खपत की लागत	1,454.14	2,275.70
कर्मचारी हितलाभ व्यय	117.75	144.44
वित्त लागतें	191.68	229.43
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	302.06	293.70
अन्य व्यय	185.49	155.67
कुल व्यय	**2,251.14**	**3,098.94**
कर एवं विनियामक आस्थगित लेखा शेष पूर्व लाभ/(हानि)	**852.66**	**1,951.34**
घटाएं : कर व्यय		
चालू कर	155.88	343.50
पूर्व वर्ष	-	-
आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)	44.31	45.69
वर्ष के दौरान कर पश्चात निवल लाभ	**652.47**	**1,562.15**
अन्य व्यापक आय	(0.63)	(0.55)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	**651.84**	**1,561.60**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, पिछले वर्ष 4972.32 करोड़ रूपए की तुलना में कंपनी को प्रचालनों से प्राप्त राजस्व 3,038.36 करोड़ रुपए है। पिछले वर्ष की कुल व्यापक आय 1561.60 करोड़ रुपए की तुलना में, वर्ष के दौरान 651.83 करोड़ रुपए है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, 31.10.2021 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के निम्नलिखित देनदारों से बकाया प्राप्य (डिस्कॉम द्वारा स्रोत पर कर कटौती के प्रति लेखांकित विलंब प्रभार सहित) हैः–

लाभग्राही	**(रूपए करोड़ में)**
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)	2,140.67
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)	1,751.50
टीपीडीडीएल	6.61
नई दिल्ली नगर पालिका	53.97
अन्य	53.81
योग	4,006.56

परिचालनात्मक निष्पादनः

वर्ष के दौरान संयंत्रों का परिचालनात्मक ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

विवरण	**पीपीएस–1, आईपी एस्टेट**	**पीपीएस–3, बवाना**	**योग**
क्षमता (मेगावाट)	330	1371.20	1701.20
सकल उत्पति (मिलियन यूनिट)	1535.32	3309.32	4844.64

उपलब्धता (प्रतिशत)	93.24	व्यस्त काल	व्यस्त काल के अलावा	
		92.43	92.18	कम मांग वाला सीजन
		85.08	85.33	उच्च मांग वाला सीजन*

+ वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जून, जुलाई तथा अगस्त उच्च मांग वाले माह हैं तथा शेष माह कम मांग वाले माह हैं।

प्रगति पावर स्टेशन–1 (पीपीएस–1)

इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड नई दिल्ली.110002 में वर्ष 2002–2003 में 02 गैस टर्बाइन्स (जीटी), जीई (यूएसए) मेक के 104 मेगावाट क्षमता प्रत्येक तथा 01 स्टीम टर्बाइन जनरेटर (एसटीजी), बीएचईएल मेक, क्षमता 122 मेगावाट से युक्त 330 मेगावाट गैस आधारित कम्बाइन साइकिल पावर संयंत्र चालू हुए थे।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 96.95 प्रतिशत की तुलना में, स्टेशन की उपलब्धता 93.24 प्रतिशत हो गई है। समीक्षा अवधि के दौरान पीपीएस–1 की उपलब्धता स्टेशन पर निष्पादित विभिन्न एवं अनुरक्षण क्रियाकलापों के कारण से है, जबकि पिछले वर्ष किसी प्रकार की कोई प्रमुख योजनागत प्रक्रिया निष्पादित नहीं की गई थी। वर्ष के दौरान, संयंत्र भार गुणक (पीएलएफ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) द्वारा सिस्टम मांग में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप कम रहा।

प्रगति पावर स्टेशन–3 (पीपीएस–3)

बवाना, दिल्ली में 216 मेगावाट क्षमता प्रत्येक के 04 गैस टर्बाइन (जीटी), जीई (यूएसए) मेक9 उन्नत श्रेणी के गैस टर्बाइन तथा 02 स्टीम टर्बाइन जनरेटर, बीएचईएल मेक, क्षमता 253.6 मेगावाट से युक्त 1371.2 मेगावाट पीपीएस–3, बवाना गैस आधारित कंबाइन साइकिल पावर संयंत्र मार्च, 2014 में चालू हुए थे।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2024 से संबंधित मूल्यसूची निर्धारण के अनुसार स्टेशन की उपलब्धता को दो भिन्न सीजन यथा उच्च मांग सीजन एवं कम मांग सीजन में विभाजित किया गया है तथा पूर्ण नियत प्रभारों की प्राप्ति

के लिए जनरेटिंग स्टेशन को प्रत्येक सीजन के लिए अलग अलग 85 प्रतिशत की उपलब्धता हासिल करनी होती है। इसके अलावा, प्रत्येक सीजन की उपलब्धता का दैनिक आधार पर वर्गीकरण व्यस्त काल एवं कम व्यस्त काल में किया गया है। पीपीएस–3, बवाना द्वारा विचाराधीन अवधि के दौरान सभी वर्गों के लिए मानक वार्षिक उपलब्धता लक्ष्य हासिल किया गया है। वर्ष के दौरान, न्यून सिस्टम मांग के परिणामस्वरूप एसएलडीसी कम होने से संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) कम रहा है।

2. मरम्मत व अनुरक्षण संबंधी क्रियाकलापः

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्टेशन के परिचालनों की विश्वसनीयता एवं कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए स्टेशन पर निम्नलिखित मरम्मत एवं अनुरक्षण के क्रियाकलाप किए गए थे :–

प्रगति पावर स्टेशन–1 (पीपीएस–1)

- अक्तूबर – नवम्बर, 2020 में जीटी संख्या–1 का कम्बुस्शन निरीक्षण तथा जनरेटर की वायरेशन की समस्या का समाधान किया गया है।
- इनरजेन गैस फायर खोज प्रणाली का उन्नयन।
- कूलिंग टावर का नवीकरण
- सभी 08 सैल्स में कूलिंग टावर फिन्स बदल दिए गए हैं।

प्रगति पावर स्टेशन–3 (पीपीएस–3)

- सितम्बर – अक्तूबर, 2020 में जीटी–2 का हॉट गैस पॉथ निरीक्षण किया गया है।
- प्रबंधन द्वारा पीपीएस–3, बवाना स्टेशन के लिए पूंजी कलपुर्जों के रूप में 220.4 एमवीए जनरेटर ट्रांसफार्मर कलपुर्जों के प्राप्ण का निर्णय लिया गया है। इसके संबंध में अक्तूबर, 2019 को 12 माह की एक्स–वर्क्स डिलीवरी के साथ क्रयादेश जारी किया गया था। बीएचईएल भोपाल द्वारा कोविड–19 के कारण अप्रत्याशित आपदा खंड के विचार आपूर्ति की अंतिम तिथि में विस्तार का अनुरोध किया गया था। ट्रांसफार्मर की अंतिम जांच पूरी हो गई है तथा यह दिसम्बर, 2020 में स्थल पर प्राप्त हो गया है।
- पीपीएस–3,बवाना में न्यू स्टेशन आक्सिलरी ट्रांसफार्मर नम्बर–4 चालू किया गया है तथा इसे 6.6 केवी बस डक्ट के साथ सेवा में उपयोग किया जा रहा है। इससे संबंधित ऑन लोड ट्रेल पहले ही पूरे कर लिए गए हैं।
- अग्नि दुर्घटना में नष्ट हुई सभी आक्सिलरिज एवं सहायक उपकरणों का प्रतिस्थापन/मरम्मत कर ली गई है तथा सम्पूर्ण प्रणाली को कार्यक्षम बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

3 भविष्य के लिए संभावनाएं

उत्तम निष्पादन को संवहनीय बनाने के सुनिश्चय के लिए आगामी वर्षों में निम्नलिखित क्रियाकलाप किए जाने प्रस्तावित हैं :–

प्रगति पावर स्टेशन – 1 (पीपीएस–1)

- सितम्बर–अक्तूबर, 2023 में जीटी1 की प्रमुख जांच (उन्नत गैस पॉथ कंपोनेंट्स के साथ प्रमुख जांच) किए जाने की योजना है।
- पूंजी व्यय से गैस टर्बाइन के कम्प्रेशर रोटोर का प्रापण
- ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का कार्यान्वयन

प्रगति पावर स्टेशन–3 (पीपीएस–3)

- एसटीजी नम्बर–1 की प्रमुख ओवरहालिंग
- नवम्बर–दिसम्बर, 2023 में जनरेटर ओवरहालिंग के साथ जीटी नम्बर–4 की हॉट गैस पॉथ जांच ?

- जीटी के पुराने ह्यूमन मशीन इंटरफेस (एचएमआई) को बदलना तथा एलसीआई और मार्क-4 टीएमआर गैस टर्बाइन कंट्रोल अपग्रेड (एचडब्ल्यू) का मार्क -वीआईई तथा एलसीआई से उन्नयन करना

4. नई पावर परियोजनाएं

बामनौली में गैस आधारित 750 मेगावाट (एन) की कंबाइंड साइकिल प्रगति-2 पावर परियोजना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में बामनौली में गैस आधारित 750 मेगावाट की कंबाइंड साइकिल गैस पावर परियोजना, सितंबर 2010 में स्थापित की जानी थी। सप्लाई, इरेक्शन और कमिशनिंग का टर्नकी अनुबंध बीएचइएल को पहले ही दिया जा चुका है। गैस की उपलब्धता न होने के कारण बिजली विभाग, जीएनसीटीडी दिल्ली के निदेश के अनुसार इरेक्शन का कार्य शुरु नहीं किया गया है। तथापि, परियोजना स्थल के उपर से गुजरने वाली 400 केवी डीसी ओवरहैड झटीकरा-बामनौली और बल्लभगढ़ पारेषण लाइन को भूमिगत करने का कार्य पहले ही शुरु हो चुका है। डीटीएल ने 400 केवी डीसी झटीकरा-बामनौली सर्किट और 400 केवी डीसी बल्लभगढ़-बामनौली सर्किट का कार्य दिनांक 03.08.2017 को हाथ में ले लिया गया है।

5. मूल्यसूची निर्धारण :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कम्पनी द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सम्मुख निम्नलिखित याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं तथा उनके संबंध में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निम्नानुसार आदेश जारी किए गए हैं :-

(i) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2013-14 तक की एमवाईटी अवधि के लिए पीपीएस-3 की मूल्य सूची ट्रूइंग अप के लिए पीपीसीएल द्वारा 21.12.2015 को दायर याचिका के प्रति 19.11.2019 को ट्रूअप आदेश जारी किया गया है। इसी के संबंध में पीपीसीएल द्वारा 10.01.2020 को समीक्षा याचिका दायर की गई है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की एमवाईटी अवधि के लिए पीपीएस-3 की मूल्यसूची के निर्धारण के लिए 21.09.2015 को पीपीसीएल द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में दायर याचिका के प्रति पीपीएस-3 के लिए 26.11.2019 को मूल्यसूची आदेश भी जारी किया है।

(ii) पीपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-2020 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि के लिए क्रमशः पीपीएस-3 की मूल्यसूची को ट्रूअप करने और निर्धारण के लिए 12.03.2020 को याचिका दायर की है।

(iii) पीपीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मूल्यसूची को ट्रूअप करने और पीपीएस-1 के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 की मूल्यसूची का निर्धारण करने के संबंध में 26.12.2019 को दायर की गई याचिका के प्रति दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 28.8.2020 के अपने मूल्यसूची आदेश जारी किए गए हैं।

(iv) पीपीसीएल द्वारा पीपीएस-1 के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मूल्यसूची को ट्रूइंग करने तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबधं में मूल्यसूची का निर्धारण करने के लिए दिनांक 19.1.2021 को दायर की गई याचिका के प्रति दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग की ओर से दिनांक 30.9.2021 को मूल्यसूची आदेश जारी कर दिया गया है जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ट्रूअप किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मूल्यसूची का निर्धारण किया गया है।

6. उन कंपनियों के नाम, जिनके साथ वर्ष के दौरान सहायक, संयुक्त उद्यम अथवा संबद्ध कंपनियों के रूप में संबंध स्थापित हुए/संबंध समाप्त हुए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी का कोई संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध कम्पनी/सहायक कंपनी नहीं है।

7. पर्यावरणः

वैश्विक महामारी तथा कोविड प्रोटोकोल्स के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन नहीं किया गया था।

8. **सुरक्षा :**

कंपनी द्वारा दिनांक 4 से 10 मार्च, 2021 के दौरान वर्चुअल स्वरूप में 50वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2021 का थीम ''आपदा से सीख एवं सुरक्षित भविष्य के लिए तैयारी'' था। इस अवसर पर प्रत्येक के द्वारा सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित शपथ ग्रहण की गई थी। कंपनी के सभी स्टेशनों पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित सुरक्षा दिवस जागरूकता सामग्री का वितरण किया गया था।

9. **मानव संसाधन प्रयास :**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और सद्भावपूर्ण रहे। आपकी कंपनी द्वारा व्यापक चिकित्सा देखभाल, आवास और सामाजिक सुरक्षा जैसे कार्यों के माध्यम से कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए अनेकों कल्याणकारी लाभ जारी रखे गए हैं।

कंपनी द्वारा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 की अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2020 मनाया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 93 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए थे तथा सभी 93 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था।

वर्ष के दौरान प्रमुख मानव संसाधन पहलः–

- श्रेणी क के 17 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई
- श्रेणी ख, ग तथा घ के 68 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया;
- श्रेणी ग तथा घ में 82 कर्मचारियों को टीबीपीएस प्रदान किया गया;
- डीओटी, यूटीसीएस, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के माध्यम से हमारे संगठनात्मक कार्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए;
- इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड/प्रगति पावर कॉर्पोशन लिमिटेड के विभिन्न विंगों में छात्रों (संख्या 11) के लिए ग्रीष्मकालीन/ शीतकालीन/औद्योगिक प्रशिक्षण आयोजित किए गए;
- वित्त विभाग में 3 माह की अवधि के लिए एक परामर्शदाता की सेवाएं प्राप्त की गई;
- इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड/प्रगति पावर कॉर्पोशन लिमिटेड के कर्मचारियों (70 कर्मचारी) के लिए प्राथमिक चिकित्सा/सीपीआर के अनुकूलित प्रशिक्षण आयोजित किया गया;
- परिवीक्षाधीन 16 डैनिक्सो (58वां बैच) को विद्युत विभाग के साथ सम्बद्ध किया गया।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश 22.10.2021 को परिपत्र जारी किया गया।
- इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड/प्रगति पावर कॉर्पोशन लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा नीति में संशोधन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अनुरूप सभी कंपनियों के लिए समान अस्पताल पैनल समिति का गठन किया गया;
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित वेतन संशोधन समिति की अनुशंसा के अनुसार इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड तथा प्रगति पावर कॉर्पोशन लिमिटेड के लिए संशोधित वेतन संरचना का कार्यान्वयन;
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ओवरटाइम की दरों में संशोधन किया गया तथा हॉलिडे वेतन के प्रति प्रतिपूरक विश्राम समाप्त कर दिया गया है।

10. **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरणः**

कंपनी में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष के लिए नीति लागू है। तदनुसार, यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का पहले ही गठन किया जा चुका है। समिति के पीठासीन अधिकारी एवं प्रत्येक

सदस्य को निर्दिष्ट तिथि से 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए समिति में शामिल किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी प्रत्येक रिकार्ड, अनुपालन एवं संबंधित उत्तरों इत्यादि का अनुरक्षण कर रही है। लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए उपयुक्त रिपोर्टिंग तंत्र मौजूद हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, यौन उत्पीड़न की कोई नई शिकायत प्राप्त नहीं की गई थी तथा पूर्व वर्षों के संबंध में शून्य शिकायतें लंबित हैं।

11. रिजर्व :

कम्पनी के पास उपलब्ध अतिरिक्त निधियों, निधियों से अर्जित ब्याज में से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से पीपीएस–2, बामनौली परियोजना के लिए प्राप्त इक्विटी पूंजी के निवेश में से पिछले वर्ष निर्मित 36.06 करोड़ रूपए की तुलना में 29.72 करोड़ रूपए का विशेष रिजर्व निर्मित किया गया है।

12. लाभांश :

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 20 करोड़ रूपए (केवल बीस करोड़ रूपए) के लाभांश की अनुशंसा की थी, जो कि निदेशक मंडल द्वारा कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखों का अनुमोदन किए जाने तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 की स्थगित 20वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों से अनुमोदन प्राप्ति की शर्त पर है।

13. सावधी जमा :

विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय–5 के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं।

14. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण :

कंपनी ने सुदृढ़ द्विस्तरीय आंतरिक नियंत्रण तंत्रव्यवस्था विकसित की है, जिसमें इकाई स्तर के नियंत्रण और प्रक्रिया स्तर के नियंत्रण शामिल हैं। कंपनी के इकाई स्तर के नियंत्रणों में सतर्कता तंत्र नीति, कड़ी प्रबंधन समीक्षा, एमआईएस और आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र, जैसे घटक शामिल हैं। सुचारू एवं त्वरित निर्णय निर्धारण के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन का व्यापक मैनुअल उपलब्ध है। कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं का यथोचित अनुपालन सुनिश्चित करने, परिचालनों की कार्यक्षमता और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण और संतुलनों के कार्यान्वयन द्वारा प्रक्रिया स्तर के नियंत्रण सुनिश्चित किए गए हैं। सभी नियंत्रण और संतुलन बनाए जाने और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां दुरूस्त होने के सुनिश्चय के लिए अनुभवी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा नियमित और व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षाएं की जाती हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल की दो समितियां –यथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के अनुपालन की निगरानी के लिए लेखापरीक्षा समिति और परिचालन संबंधी कार्यकुशलता के पर्यवेक्षण के लिए परिचालन निष्पादन समिति हैं। जिस गत्यात्मक वातावरण में कंपनी कार्य कर रही है, उसे देखते हुए जहां कही भी अपेक्षित होता है, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का और अधिक मानकीकरण करके तथा प्रकिया परिवर्तनों, जहां अपेक्षित हो, के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए कार्रवाई की जाती है। प्रबंधन के साथ ही साथ लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों का पर्यवेक्षण किया जाता है और कार्यान्वयन की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। प्रबंधन द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किए जाने से कंपनी में आंतरिक नियंत्रण का परिवेश सुदृढ़ होता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तताः

कंपनी ने वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और डिजाइन या परिचालन में कोई उल्लेखनीय वस्तुगत कमी नहीं देखी गई है।

15. जोखिम प्रबंधन नीति :

कंपनी में जोखिम प्रबंधन व्यवस्था स्थापित है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन की प्रक्रियाओं और पद्धतियों में जोखिम की पहचान, वर्गीकरण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। कंपनी द्वारा उन सभी रणनीतिक, परिचालनात्मक एवं वित्तीय जोखिमों का अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक, दोनों, का संज्ञान आंतरिक एवं बाह्य रूप से उपलब्ध सूचना एवं अद्यतन रूझान के अनुसार जोखिम सूचना के आधार पर किया जाता है तथा

उसका उपयोग जोखिम निवारण क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। कंपनी के सम्मुख प्रस्तुत प्रमुख जोखिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है :–

- ईंधन की अपर्याप्त आपूर्ति एवं इनके मूल्य।
- पर्याप्त अनुसूची प्राप्त न होने का जोखिम।
- डिस्कॉम्स से बकायों का भुगतान प्राप्त न होने का जोखिम।
- विनियामक मूल्यसूची मानदंडों में अनिश्चितता का जोखिम।
- उत्सर्जन और विनियामक मापदंडों का अनुपालन।
- संयंत्र परिचालनों को कार्यक्षम बनाए रखना।

लेखापरीक्षा समिति, कंपनी में पूरे जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की देखरेख करती है। लेखापरीक्षा समिति ने कंपनी द्वारा जोखिम प्रबंधन नीति एवं प्रक्रिया के संबंध में किए गए प्रयासों और साथ ही सम्मुख व्याप्त जोखिमों और लागू की गई तदनुरूपी जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

16. सांविधिक लेखापरीक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एवं एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा 2021–22 के लिए मैसर्स वीएसडी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में की गई थी तथा उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लेखापरीक्षण किया है।

17. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां :

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हता/प्रेक्षण के संबंध में प्रबंधन द्वारा की गई टिप्पणियां **अनुलग्नक–1** में संलग्न हैं।

18. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियां :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के संबंध में कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां एवं उनके प्रति प्रबंधन के उत्तर रिपोर्ट के **अनुलग्नक–2** में प्रस्तुत हैं।

19. लागत लेखापरीक्षा :

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विहित लागत खातों और रिकॉडों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखांकन रिकॉर्डो की लेखापरीक्षा हेतु मैसर्स चंद्रा वाधवा एण्ड कंपनी, लागत लेखाकार को नियुक्त किया गया था । उक्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत रिकार्डों का लेखापरीक्षण लागत लेखापरीक्षकों द्वारा पूरा कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित कंपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट एक्सबीआरएल फॉरमेट में केन्द्र सरकार को 1 अप्रैल, 2021 को प्रस्तुत की गई थी। कम्पनी के निदेशक मंडल की दिनांक 29 मार्च, 2023 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2020–21 से संबंधित कम्पनी की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक अनुमोदित कर दिए गए थे।

20. सचिवीय लेखापरीक्षा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के उपबंधों और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के अनुपालन में कंपनी द्वारा मैसर्स स्वर्ण जैन एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखापरीक्षक से प्राप्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उससे संबंधित प्रबंधन की टिप्पणियां इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–3** में दी गई है।

21. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटी अथवा निवेशों का विवरणः

कंपनी ने वर्ष के दौरान, ऐसा कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की है और न ही कोई ऐसा निवेश किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के दायरे में आता हो।

22. धारा 188(1) में निर्दिष्ट संबद्ध पार्टियों के साथ संविदा अथवा समझौतों का विवरणः

निदेशक मंडल, वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 42 की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें भारतीय लेखांकन मानक के अनुसरण में संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण दिया गया है। उसमें प्रकटीकरण किए गए व्यवसाय संव्यवहार के सामान्य अनुक्रम में और निष्पक्ष रीति से किए गए थे। वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण के अलावा कंपनी और इसके निदेशकों, प्रबंधन, सहायक कंपनियों या सगे–संबंधियों के बीच कोई सारभूत् संबद्ध पार्टी लेन–देन नहीं किया गया है ।

तदनुसार, धारा 188 (1) में निर्दिष्ट संबद्ध पार्टियों के साथ संविदाओं या समझौतों के विवरण और ऐसी संविदाओं व समझौतों करने का औचित्य इत्यादि का विवरण फार्म एओसी–2 में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

23. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :

कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–4** में प्रस्तुत है। निदेशक मंडल की बैठकों से संबंधित विवरण कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट में दिया गया है।

24. निदेशकों की नियुक्ति संबंधी नीतिः

सरकारी कंपनी होने के नाते कम्पनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति की शक्तियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्राप्त हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड.) के प्रावधान निदेशकों की अर्हता, सकारात्मक भाव के निर्धारण, निदेशक की स्वतंत्रता तथा अन्य मामलों सहित निदेशकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक के संबंध में कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, ये विवरण इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं।

25. निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की संरचना में परिवर्तन से संबंधित विवरण :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी के निदेशकों की सूची तथा उसमें किए गए परिवर्तन निम्नानुसार हैं :–

क. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	अर्धवार्षिता की तिथि
1	श्रीमती पद्मिनी सिंगला, सचिव (पावर), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	05.07.2019	31.03.2021
2	श्री सत्य गोपाल, अपर मुख्य सचिव (पावर), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार	अध्यक्षएवं प्रबंध निदेशक	31.03.2021	31.07.2022
3	श्री डी वर्मा, विशेष सचिव (पावर) रा.रा.क्षे.दि. सरकार	निदेशक (मानव संसाधन)	18.07.2019	24.04.2020
4	श्री रवि दधिच, विशेष सचिव (पावर) रा.रा.क्षे.दि. सरकार	निदेशक (मानव संसाधन)	24.04.2020	09.09.2020
5	श्री जे.के. जैन, विशेष सचिव (पावर) रा.रा.क्षे.दि. सरकार	निदेशक (मानव संसाधन)	09.09.2020	08.07.2021
6	श्री एस.एम.वर्मा	निदेशक (तकनीकी)	01.05.2019	14.01.2022
7	श्री रविन्द्र कुमार जैन	निदेशक (वित्त)	05.06.2017	31.05.2021
8	श्री बी.एन. ओझा	अंशकालिक निदेशक	01.10.2009	–
9	श्री मदन वर्मा	अंशकालिक निदेशक	18.2.2010	–
10	श्री तरूण चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	08.06.2016	07.06.2022

26. स्वतंत्र निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की अपेक्षाओं के अनुसार, विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी से अपने निदेशक मंडल में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक शामिल करने की अपेक्षा की गई है। तथापि, कंपनी के निदेशक मंडल में न्यूनतम अपेक्षित दो स्वतंत्र निदेशकों की तुलना में विचाराधीन वर्ष के दौरान केवल एक स्वतंत्र निदेशक श्री तरूण चतुर्वेदी दिनांक 8 जून, 2016 से नियुक्त थे। कंपनी द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में एक और स्वतंत्र निदेशक के नाम की अनुंशसा का मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) की अपेक्षाओं के अनुसार मानदंडों को पूरा करने के संबंध में कंपनी ने 10 जून, 2020 को श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक से इस आशय का घोषणा विवरण प्राप्त कर लिया है तथा इसे निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 6 जून, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में संज्ञान में लिया गया है। इसके अलावा, श्री तरूण चतुर्वेदी दिनांक 7 जून, 2022 से कम्पनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने दिनांक 26.8.2021 के आदेश संख्या सीडी–014661216/पावर/3030 के माध्यम से श्री संदीप अग्रवाल तथा श्रीमती अंजली राय को प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया था। इसके अलावा, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28/08/2021 को आयोजित अपनी बैठक में श्री संदीप अग्रवाल तथा श्रीमती अंजली राय को प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था, तथा दोनों स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करके प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन भी किया था। अब, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने निदेशक मंडल में न्यूनतम 2 स्वतंत्र निदेशकों के साथ–साथ अपनी लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में न्यूनतम 2 स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 177 और 178 के प्रावधानों का अनुपालन कर लिया है।

27. निदेशकों एवं निदेशक मंडल के निष्पादन का मूल्यांकन :

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कम्पनी के निदेशक मंडल में संबंधित नियम एवं शर्तों निदेशकों की नियुक्ति की शक्तियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्राप्त हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए सरकारी कम्पनियों के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(पी) के प्रावधान लागू नहीं है। तदनुसार यह विवरण इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

28. लेखापरीक्षा समिति :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है। लेखापरीक्षा समिति का प्रकटीकरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में किया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

29. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुपालन में, कंपनी में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति का प्रकटीकरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

30. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) :

कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया गया है जिसे कंपनी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप के लिए सीएसआर नीति तैयार करके अपनी अनुशंसाएं निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने, सीएसआर नीति की निगरानी व कार्यान्वयन और सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च की जाने वाली राशि की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समिति का ब्योरा कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 17,85,18,257/– रूपए की योग्य सीएसआर निधियों का अंतरण स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा निधि, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधान मंत्री केयर निधि में दिनांक 27.9.2021 को किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सीएसआर गतिविधियों तथा अन्य संबंधित मामलों की रिपोर्ट <u>अनुलग्नक–5</u> में संलग्न है।

31. परिचालनात्मक निष्पादन समिति :

इस समिति का ब्यौरा कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है। कंपनी के पावर स्टेशनों के परिचालनात्मक निष्पादन की समीक्षा के लिए इस समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है तथा पावर स्टेशनों के परिचालनात्मक निष्पादन से संबंधित चर्चा निदेशक मंडल की बैठकों में भी की जाती है।

32. कंपनी मामलों की स्थितिः

कंपनी के मामलों की स्थिति पर चर्चा का विवरण, निदेशक मंडल की इस रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय निष्पादन, परिचालनात्मक निष्पादन और भावी प्रतिफल नामक शीर्षकों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

33. व्यापार की प्रकृति में परिवर्तनः

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

34. वार्षिक विवरण का संक्षेप सार :

अधिनियम की धारा 134(3)(क) का अनुसरण करते हुए कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 92(3) में संदर्भित विचाराधीन अवधि के वार्षिक विवरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करने के पश्चात कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया हैः–

http://ipgcl-ppcl.gov.in/publicnoticeDocs.htm

35. सचेतक तंत्रव्यवस्था नीति :

निदेशक मंडल द्वारा सचेतक तंत्रव्यवस्था नीति अंगीकार की गई है। नीति के अंतर्गत, कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों के लिए नीति में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी को किसी प्रकार की अनुचित गतिविधि, अनैतिक आचरण, वास्तविक अथवा संदिग्ध जालसाजी, घोर कदाचार, अविवेकपूर्ण कृत्य इत्यादि की सूचना देने का एक तंत्र उपलब्ध कराया गया है। यह नीति नीचे दिए गए वेबलिंक के माध्यम से कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैः–

http://ipgcl-ppcl.gov.in/download.htm

36. कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी से अपनी निदेशक रिपोर्ट में कर्मचारियों के पारिश्रमिक के मध्य गुणन में प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात एवं निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। तथापि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कम्पनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्रदान की गई है। तदनुसार, ये विवरण निदेशक रिपोर्ट के भाग में शामिल नहीं किए गए हैं।

37. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय :

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(एम) के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षित सूचना इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–6** में संलग्न है।

38. सामग्रीगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं, यदि कोई ऐसी हों जिनसे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई होः

भविष्य के लिए संभावनाएं शीर्ष के अंतर्गत पहले से ही प्रस्तुत की गई सूचना के अलावा, 31 मार्च, 2021 के पश्चात घटित ऐसी कोई प्रतिकूल सामग्रीगत परिवर्तन अथवा प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जिनमें कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती हो।

39. विनियामकों, न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित ऐसे महत्वपूर्ण आदेश जिनसे गोइंग कंसर्न एवं कंपनी के परिचालन प्रभावित हो सकते हों :

हमारी जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को विनियामकों, न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है जिनसे गोइंग कंसर्न की स्थिति अथवा कंपनी के भावी परिचालन प्रभावित हो सकते हों।

40. निदेशकों का उत्तरदेयता विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) की अपेक्षाओं के अनुसरण में निदेशकों के दायित्व से संबंधित विवरण में निदेशकों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि :–

(i) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है और साथ ही नियमों से सारभूत विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं;

(ii) निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2021 की कंपनी के कार्यों की स्थिति तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष में कंपनी के लाभों की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाएं गए हैं, जो औचित्यपरक एवं न्यायसंगत हैं;

(iii) निदेशकों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों को संरक्षित रखने तथा जालसाजी एवं अनियमितताओं से बचाव व इनका पता लगाने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसरण में लेखांकन रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

(iv) निदेशकों द्वारा गोइंग कंसर्न के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं; और

(v) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां स्थापित की थीं तथा ये व्यवस्थाएं पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से कार्यात्मक थीं।

41. आभार :

आपका निदेशक मंडल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, भारत सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्रों से प्राप्त समर्थन एवं सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। गेल, बीएचईएल, बैंकों, विक्रेताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा कंपनी के कार्यों से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति के प्रति भी आपका निदेशक मंडल अपना आभार प्रस्तुत करता है।

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और दिए गए योगदान के प्रति भी निदेशक मंडल अपना आभार व्यक्त करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

	ह0/–	ह0/–
स्थान : नई दिल्ली	(रवि धवन)	(मुकेश कुमार शर्मा)
दिनांक : 07.12.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी)

अनुलग्नक–1

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में व्यक्त अर्हक मत पर प्रबंधन के उत्तर

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों का अर्हक मत	प्रबंधन का उत्तर
3.1	कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में डिस्कॉम के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 109 – ''वित्तीय लिखत'' के अनुसार व्यापार प्राप्यों से संबंधित संभावित क्रेडिट हानियों का मूल्यांकन एवं प्रावधान नहीं किए हैं तथा तदनुसार, इनका आर्थिक प्रभाव ज्ञात नहीं किया जा सकता है।	बिजली क्रय करारों (पीपीए) के साथ पठित मूल्यसूची विनियमों के अनुसार डिस्कॉम्स से यह अपेक्षा है कि वे कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले बिजली बिलों का निर्धारित अवधि में भुगतान करने की व्यवस्था करें तथा ऐसा न किए जाने पर डिस्कॉम्स से उपर्युक्त बिजली क्रय करारों (पीपीए) के साथ पठित मूल्यसूची विनियमों में किए गए दर निर्धारण के अनुसार विलंब भुगतान प्रभार (एलपीएससी) का भुगतान भी किए जाने की अपेक्षा है। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) तथा बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) द्वारा जहां एक ओर विलंब भुगतान प्रभार (एलपीएससी) सहित बकाया देयों के प्रति कोई आपत्ति नहीं की है वहीं दोनों ही डिस्कॉम्स ने उक्त बकाया देयताओं का भुगतान भी इस उल्लेख के साथ जारी नहीं किया है कि वे दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उनकी विनियामक परिसम्पतियों का ऋणशोधन किए जाने के कारण निधियों की अत्यधिक तंगी से जूझ रहे हैं। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) तथा बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाओं के जवाब में माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में पारित अपने आदेश में बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल को चालू देयताओं/कम्पनी की ओर से प्रस्तुत बिलों की राशि का 70 प्रतिशत भुगतान किए जाने का निदेश दिया गया है। इसके अलावा, बिजली विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा कम्पनी की बकाया देयताओं का पथांतरण कम्पनी को उपभोक्ता अनुदान के रूप में किया जा रहा है जो कि वस्तुतः रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार की ओर से बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल को देय है। तथापि, बीआरपीएल एवं बीवाईपीएल द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कम्पनी को भुगतान न किए जाने के कारण कम्पनी द्वारा बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल के खिलाफ दो अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं। किसी भी कारण से बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल से बकाया देयताओं की वसूली न होने की कोई संभावना नहीं है। तदनुसार, ऐसा कोई कारण तथा औचित्य नहीं है जिसके प्रभाव से उक्त देयताओं को अप्राप्य मान लिया जाए और इनके प्रति लेखा बहियों में किसी प्रकार के कोई प्रावधान किए जाएं।
3.2	कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम,	एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति रा.रा.दि. सरकार को प्राप्त है तथा

	2013 की धारा 149(4) के तहत चुकता शेयर पूंजी 10 करोड़ रूपए से अधिक होने अथवा टर्नओवर 100 करोड़ रूपए से अधिक होने अथवा सभी बकाया ऋणों, लाभांशों तथा जमा का योगफल 50 करोड़ रूपए से अधिक होने की स्थिति में सार्वजनिक कम्पनियों में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होने की अपेक्षा की गई है। प्रत्यक्ष रूप से कंपनी की चुकता शेयर पूंजी, टर्नओवर एवं सभी बकाया ऋणों का योगफल ऊपर उल्लिखित मौद्रिक सीमाओं से अधिक है। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने के प्रावधान कंपनी के संबंध में लागू होते हैं। तथापि, यह देखने में आया है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में उक्त प्रावधानों का अन्यथा अनुपालन पूर्ववत है जबकि यह अनुपालन वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया गया है।	तदनुसार, कंपनी ने रा.रा.दि. सरकार से अपने निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने का अनुरोध किया था। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी में केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक श्री तरूण चतुर्वेदी थे। इसके पश्चात श्री तरूण चतुर्वेदी दिनांक 7 जून, 2021 से निदेशक नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने दिनांक 26.8.2021 के आदेश संख्या सीडी–014661216/पावर/3030 के माध्यम से श्री संदीप अग्रवाल तथा श्रीमती अंजली राय को प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया था तथा इसके संबंध में प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28/08/2021 को आयोजित अपनी बैठक में श्री संदीप अग्रवाल तथा श्रीमती अंजली राय को प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, तथा दोनों स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करके प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन भी किया था। इस प्रकार, अब कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 149, 177 तथा 178 के प्रावधानों के अनुसार अपने निदेशक मंडल में कम से कम 2 स्वतंत्र निदेशक होने की अपेक्षा और साथ ही लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में से न्यूनतम 2 स्वतंत्र निदेशक होने की अपेक्षा का पालन कर लिया गया है।
3.3	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की बहुसंख्या के साथ कम से कम 3 निदेशक होने अपेक्षित हैं। विचाराधीन अवधि के दौरान कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। इस प्रकार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। तथापि, यह देखने में आया है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में उक्त प्रावधानों का अन्यथा अनुपालन पूर्ववत है जबकि यह अनुपालन वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया गया है।	

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

	ह0/–	ह0/–
स्थान : नई दिल्ली	(रवि धवन)	(मुकेश कुमार शर्मा)
दिनांक : 07.12.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी)

अनुलग्नक–2

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत की गई टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग तंत्र के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक से यह अपेक्षा है कि वे अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में किए जाने वाले वित्तीय विवरणों से संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर अपना मत कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत प्रस्तुत करें। यह उल्लेख किया जाता है कि उनके द्वारा इस दायित्व का निर्वाह दिनांक 14.01.2023 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से कर दिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की प्राप्ति के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा प्रमुखतः यह सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चुनिंदा के परीक्षण/जांच पड़ताल तक सीमित है।

अपनी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं, अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण मामलों को रेखांकित करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरी राय में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं।

क. तुलन पत्र

परिसम्पतियां

चालू परिसम्पतियां

नकदी एवं नकदी समतुल्य (नोट–10): 756.43 करोड़ रूपए

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 8 के अनुसार ''तुलन पत्र में नकदी एवं नकदी समतुल्यों में बैंकों में जमा नकदी तथा उपलब्ध नकदी, नकदी म्युचुअल फंड तथा तीन माह अथवा कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तनों के मामूली जोखिम वाले हों, शामिल हैं।''

इसके अलावा, इंड एएस 7 (नकदी प्रवाह विवरण) के अनुसार नकदी समतुल्यों का धारण निवेश अथवा अन्य उद्देश्यों की तुलना में अल्प–कालिक नकदी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के उद्देश्यों से होता है। किसी निवेश को नकदी समतुल्य माना जाने के लिए यह किसी ज्ञात राशि में त्वरित परिवर्तन किए जाने योग्य होना चाहिए तथा इसमें मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम होने चाहिए। तदनुसार, किसी निवेश को सामान्यतः नकदी समतुल्य केवल तभी माना जा सकता है जब प्राप्ति की तिथि से इसकी परिपक्वता तीन माह अथवा कम अवधि की हो।

तथापि, 554.38 करोड़ रूपए मूल्य की 13 सावधि जमा, जिनकी परिपक्वता की अवधि, जमा की तिथि से, तीन माह से अधिक अवधि की है, के संबंध में लेखांकन नीति का उल्लंघन करके इंड एएस7 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप नकदी एवं नकदी समतुल्यों का अतिकथन हुआ है तथा नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष, प्रत्येक, के संबंध में 554.38 करोड़ रूपए की न्यूनोक्ति हुई है।

देयताएं

चालू देयताएं

अन्य चालू देयताएं (नोट 24): 4.22 करोड़

2. उपर्युक्त में दक्षिण दिल्ली नगर निगम को संपति कर की 4.7 करोड़ रूपए की वह राशि शामिल नहीं है जो इस मामले पर विशेष सचिव (पावर) तथा आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मध्य अक्तूबर, 2021 बैठक के परिणामस्वरूप देय थी तथा जिसका भुगतान मार्च,

2022 में किया गया था। तथापि, 4.7 करोड़ रूपए की संशोधित मांग को विचार में लिए बिना 15.61 करोड़ रूपए के देय सम्पति कर का प्रकटीकरण आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं एवं अन्य व्ययों के संबंध में 4.7. करोड़ रूपए प्रत्येक की न्यूनोक्ति हुई है। ऐसा होने से वर्ष के दौरान का भी समान रूप से अतिकथन हुआ है। इसके अलावा, इससे आकस्मिक देयताओं के संबंध में 15.61 करोड़ रूपए का अतिकथन भी हुआ है।

ख. नकदी प्रवाह विवरण

3. टिप्पणी संख्या 1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह उल्लेख है कि 554.38 करोड़ रूपए के सावधि जमा चूकवश नकदी एवं नकदी समतुल्य के स्थान पर नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष में शामिल कर लिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप नकदी एवं नकदी समतुल्यों का अतिकथन तथा निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह की 554.38 करोड़ रूपए तथा नकदी प्रवाह में भी न्यूनोक्ति हुई है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

4. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 1.1 के अनुसार संपति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) की किसी मद की परिसम्पति के रूप में स्वीकृति केवल तब की जाती है जब यह विश्वसनीता हो कि उससे कम्पनी के लिए मद से संबंधित भावी आर्थिक लाभों का प्रवाह होगा तथा मद की लागत का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा तथा पूंजी कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) परिसम्पति को स्थल पर लाने तथा प्रबंधन द्वारा आशित विधि से उसे परिचालन के लिए आवश्यक बनाने से सम्बद्ध प्रत्यक्ष लागतें होती हैं।

नोट संख्या 3 में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, यह उल्लेख किया जाता है संपति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत पूंजी कार्य प्रगति में 109.86 करोड़ रूपए की वह राशि शामिल है जो 400 केवी ओवरहैड लाइनों तथा बामनौली परियोजना में 750 मेगावाट पावर संयंत्र की स्थापना (परिसम्पति के निर्माण (तैयारी) के लिए) से संबंधित आनुषंगिक कार्यों पर व्यय की गई थी। इसके संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा अगस्त, 2011 में कम्पनी को यह निदेश दिए गए थे कि वह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/भारत सरकार से गैस की निश्चित प्रतिबद्धता की प्राप्ति के बिना बामनौली में पावर संयंत्र से संबंधित किसी भी लागत का व्यय न करे। दस वर्ष बीत जाने के पश्चात अब तक (मार्च 2023) इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। कम्पनी के अन्य पावर संयंत्र (पीपीएस 1 तथा 3) को भी अपनी स्थापित/उपलब्ध क्षमता के अनुरूप पर्याप्त गैस नहीं प्राप्त हो पा रही है।

इसके अलावा, ऐसा देखने में आया है कि परिवहन विभाग द्वारा बामनौली परियोजना के लिए आबंटित भूमि का अंतरण परिवहन विभाग को किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है तथा कम्पनी ने भी इस भूमि का निर्धारण अपनी एक अन्य परियोजना अर्थात सौर परियोजना के लिए निर्धारित कर रही है। ऐसी स्थिति में, बामनौली में पावर संयंत्र की स्थापना करने एवं आर्थिक लाभों का प्रवाह होने की संभावना काफी कम है। तदनुसार, बामनौली परियोजना के संबंध में पूंजी कार्य प्रगति पर के लिए किए गए उक्त व्यय की स्वीकृति कम्पनी की लेखांकन नीति के अनुसार नहीं है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2019–20 के लेखों के लिए इस संबंध में की गई टिप्पणी के पश्चात भी प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

घ. वित्तीय विवरणों के नोट

5. कम्पनी द्वारा अपनी बहियों में चालू कर परिसम्पतियों के अंतर्गत 94.58 करोड़ रूपए के आस्थगित स्रोत पर कर क्रेडिट की स्वीकृति की गई है जो कि निदेशक मंडल द्वारा (दिनांक 21.12.2022 को आयोजित 108 वीं बैठक में) लिए गए इस निर्णय के अनुसरण में है कि उक्त राशि के स्रोत पर कर क्रेडिट के *10 प्रतिशत* भाग की स्वीकृति लंबित भुगतान प्रभार शुल्क (एलपीएससी) के प्रति की जाए। ऐसा किए जाने के परिणामस्वरूप, स्रोत पर कर कटौती का 90 प्रतिशत भाग उस वित्तीय वर्ष की कर देयता के प्रति दावा करने के लिए आस्थगित कर दिया गया है जिस वित्तीय वर्ष में कम्पनी को डिस्कॉम्स से उक्त आय की प्राप्ति होगी।

कम्पनी द्वारा चालू वर्ष 2020–21 के दौरान बहियों में एलपीएससी पर 10 प्रतिशत के स्रोत पर कर क्रेडिट की स्वीकृति की है परन्तु एलपीएससी पर स्रोत पर कर कटौती की प्रक्रिया में इस बदलाव के प्रभाव का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट में नहीं किया गया है।

6. इंड एएस 10 –रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं के पैरा संख्या 13 के अनुसार – ''यदि लाभांश की घोषणा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात परन्तु वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के अनुमोदन से पूर्व की जाती है तो ऐसे लाभांशों का नोट्स में प्रकटीकरण इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के अंतर्गत किया जाएगा।'' कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2022 को

आयोजित अपनी 105वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 20.00 करोड़ रूपए के लाभांश की घोषणा की गई है तथा कम्पनी के लेखों का अनुमोदन दिसम्बर 2022 में किया गया था। तथापि, इंड एएस 10 तथा इंड एएस 1 के संबंध में लाभांश से संबंधित अपेक्षित लेखांकन नोट्स में प्रकटीकरण नहीं किए गए थे।

कृते तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

ह0/–

(अमन दीप चथा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.05.2023

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

1.	**क. तुलन पत्र** **परिसम्पतियां** **चालू परिसम्पतियां** **नकदी एवं नकदी समतुल्य (नोट–10):** **756.43 करोड़ रूपए** 1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 8 के अनुसार ''तुलन पत्र में नकदी एवं नकदी समतुल्यों में बैंकों में जमा नकदी तथा उपलब्ध नकदी, नकदी म्युचुअल फंड तथा तीन माह अथवा कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तनों के मामूली जोखिम वाले हों, शामिल हैं।'' इसके अलावा, इंड एएस 7 (नकदी प्रवाह विवरण) के अनुसार नकदी समतुल्यों का धारण निवेश अथवा अन्य उद्देश्यों की तुलना में अल्प–कालिक नकदी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के उद्देश्यों से होता है। किसी निवेश को नकदी समतुल्य माना जाने के लिए यह किसी ज्ञात राशि में त्वरित परिवर्तन किए जाने योग्य होना चाहिए तथा इसमें मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम होने चाहिए। तदनुसार, किसी निवेश को सामान्यतः नकदी समतुल्य केवल तभी माना जा सकता है जब प्राप्ति की तिथि से इसकी परिपक्वता तीन माह अथवा कम अवधि की हो। तथापि, 554.38 करोड़ रूपए मूल्य की 13 सावधि जमा, जिनकी परिपक्वता की अवधि, जमा की तिथि से, तीन माह से अधिक अवधि की है, के संबंध में लेखांकन नीति का उल्लंघन करके इंड एएस7 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप नकदी एवं नकदी समतुल्यों का अतिकथन हुआ है तथा नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष, प्रत्येक, के संबंध में 554.38 करोड़ रूपए की न्यूनोक्ति हुई है।	इंड एएस 7 – ''नकदी एवं नकदी समतुल्य'' के अनुसार जो निवेश किसी ज्ञात नकद राशि के लिए तत्काल परिवर्तन योग्य होते हैं वे निवेश नकदी एवं नकदी समतुल्य के लिए प्रस्तुति योग्य हैं। तदनुसार, तुलन पत्र तिथि को तीन माह के परिपक्वता दायरे में आने वाले बैंकों में अल्पकालिक जमा को वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक वित्तीय लेखों में नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, इस संबंध में आगे यह प्रस्तुत है कि किसी निवेश का निर्धारण नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में किए जाने के लिए लेखापरीक्षा पैरा में संदर्भित इंड एएस–7 के ''सामान्य'' सिद्धांत का अनुसरण किया जाना है। इन अल्पकालिक जमा का कुछ भाग जून, 2021 में विभिन्न तिथियों को परिपक्व हो रहे थे अतः इन अल्पकालिक जमा को भी 31.3.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के तुलन पत्र में 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार किया गया निवेश माना गया है।
2.	**देयताएं** **चालू देयताएं** **अन्य चालू देयताएं (नोट 24): 4.22 करोड़** उपर्युक्त में दक्षिण दिल्ली नगर निगम को संपति कर की 4.7 करोड़ रूपए की वह राशि शामिल नहीं है जो इस मामले पर विशेष सचिव (पावर) तथा आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मध्य अक्तूबर, 2021 बैठक के परिणामस्वरूप देय थी तथा जिसका भुगतान मार्च, 2022 में किया गया था। तथापि, 4.7 करोड़ रूपए की संशोधित मांग को विचार में लिए बिना 15.61 करोड़ रूपए के देय सम्पति कर का प्रकटीकरण आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य	इसके संबंध में यह प्रस्तुत है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा कम्पनी के प्रति की गई सम्पति कर की मांग वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्पष्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि कम्पनी ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के सम्मुख मांग के प्रति विवाद/विरोध प्रस्तुत किया था। सम्पति कर के विवाद का यह मामला, चूंकि मार्च, 2022 तक विवाद/विरोध के दायरे में था 31.3.2021 तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी अतः लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए 31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लेखों में इसे बकाया देयता दर्शाया गया था। तथापि, यह मांग विवादित है, जिसके कारण कम्पनी द्वारा इसे वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखों में आकस्मिक देयता के रूप में ही दर्शाया गया है।

	चालू देयताओं एवं अन्य व्ययों के संबंध में 4.7. करोड़ रूपए प्रत्येक की न्यूनोक्ति हुई है। ऐसा होने से वर्ष के दौरान का भी समान रूप से अतिकथन हुआ है। इसके अलावा, इससे आकस्मिक देयताओं के संबंध में 15.61 करोड़ रूपए का अतिकथन भी हुआ है।	
3.	**ख. नकदी प्रवाह विवरण** टिप्पणी संख्या 1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह उल्लेख है कि 554.38 करोड़ रूपए के सावधि जमा चूकवश नकदी एवं नकदी समतुल्य के स्थान पर नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष में शामिल कर लिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप नकदी एवं नकदी समतुल्यों का अतिकथन तथा निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह की 554.38 करोड़ रूपए तथा नकदी प्रवाह में भी न्यूनोक्ति हुई है।	इंड एएस 7 – "नकदी एवं नकदी समतुल्य" के अनुसार जो निवेश किसी ज्ञात नकद राशि के लिए तत्काल परिवर्तन योग्य होते हैं वे निवेश नकदी एवं नकदी समतुल्य के लिए प्रस्तुति योग्य हैं। तदनुसार, तुलन पत्र तिथि को तीन माह के परिपक्वता दायरे में आने वाले बैंकों में अल्पकालिक जमा को वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक वित्तीय लेखों में नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, इस संबंध में आगे यह प्रस्तुत है कि किसी निवेश का निर्धारण नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में किए जाने के लिए लेखापरीक्षा पैरा में संदर्भित इंड एएस–7 के "सामान्य" सिद्धांत का अनुसरण किया जाना है। इन अल्पकालिक जमा का कुछ भाग जून, 2021 में विभिन्न तिथियों को परिपक्व हो रहे थे अतः इन अल्पकालिक जमा को भी 31.3.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के तुलन पत्र में 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार किया गया निवेश माना गया है।
4.	**ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां** महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 1.1 के अनुसार संपति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) की किसी मद की परिसम्पति के रूप में स्वीकृति केवल तब की जाती है जब यह विश्वसनीता हो कि उससे कम्पनी के लिए मद से संबंधित भावी आर्थिक लाभों का प्रवाह होगा तथा मद की लागत का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा तथा पूंजी कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) परिसम्पति को स्थल पर लाने तथा प्रबंधन द्वारा आशित विधि से उसे परिचालन के लिए आवश्यक बनाने से सम्बद्ध प्रत्यक्ष लागतें होती हैं। नोट संख्या 3 में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, यह उल्लेख किया जाता है संपति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत पूंजी कार्य प्रगति में 109.86 करोड़ रूपए की वह राशि शामिल है जो 400 केवी ओवरहैड लाइनों तथा बामनौली परियोजना में 750 मेगावाट पावर संयंत्र की स्थापना (परिसम्पति के निर्माण (तैयारी) के लिए) से संबंधित आनुषंगिक कार्यों पर व्यय की गई थी। इसके संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा अगस्त, 2011 में कम्पनी को यह निदेश दिए गए थे कि वह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/भारत सरकार से गैस की निश्चित प्रतिबद्धता की प्राप्ति के बिना बामनौली में पावर संयंत्र से संबंधित किसी भी लागत का व्यय न करे। दस वर्ष बीत जाने के पश्चात अब तक	इस मामले में, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ओवरहैड लाइनों की शिफि्टंग के लिए पूंजी व्यय योजना के अंतर्गत बामनौली, दिल्ली में गैस आधारित 750 मेगावाट पावर संयंत्र की स्थापना के उद्देश्य से पूंजी व्यय किया गया है, तथापि इसके पश्चात रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा इस पर कोई आगे अन्य व्यय न करने के लिए कहा गया था। तथापि, यहां यह उल्लेखनीय है कि अब तक उक्त पूंजी व्यय योजना को बंद किए जाने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। उक्त निर्णय के निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारी दिल्ली सरकार का मंत्रिमंडल है, अतः उक्त पूंजी व्यय योजना को बंद करने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। यहां आगे यह प्रस्तुत है कि किसी भी संव्यवहार का लेखांकन उपचार मामले की स्थिति पर आधारित होता है तथा यह किसी बकाया मामले के भावी परिणाम की संभावना पर आधारित नहीं होता है। इस मामले में चूंकि पूंजी व्यय योजना को बंद करने का कोई निर्णय दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा नहीं लिया गया है तथा पूंजी व्यय के लिए किए जाने वाले लेन देन को कम्पनी की लेखांकन नीति के उपबंधों के अंतर्गत पूंजी कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत ही दर्शाया जा सकता है क्योंकि उक्त व्यय न तो किसी संपादित परियोजना का व्यय

	(मार्च 20.23) इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। कम्पनी के अन्य पावर संयंत्र (पीपीएस 1 तथा 3) को भी अपनी स्थापित/ उपलब्ध क्षमता के अनुरूप पर्याप्त गैस नहीं प्राप्त हो पा रही है। इसके अलावा, ऐसा देखने में आया है कि परिवहन विभाग द्वारा बामनौली परियोजना के लिए आबंटित भूमि का अंतरण परिवहन विभाग को किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है तथा कम्पनी ने भी इस भूमि का निर्धारण अपनी एक अन्य परियोजना अर्थात सौर परियोजना के लिए निर्धारित कर रही है। ऐसी स्थिति में, बामनौली में पावर संयंत्र की स्थापना करने एवं आर्थिक लाभों का प्रवाह होने की संभावना काफी कम है। तदनुसार, बामनौली परियोजना के संबंध में पूंजी कार्य प्रगति पर के लिए किए गए उक्त व्यय की स्वीकृति कम्पनी की लेखांकन नीति के अनुसार नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2019–20 के लेखों के लिए इस संबंध में की गई टिप्पणी के पश्चात भी प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।	और न ही यह दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिए जाने तक के लिए परित्याग की गई कोई परियोजना है।
5.	**घ. वित्तीय विवरणों के नोट** कम्पनी द्वारा अपनी बहियों में चालू कर परिसम्पतियों के अंतर्गत 94.58 करोड़ रूपए के आस्थगित स्रोत पर कर क्रेडिट की स्वीकृति की गई है जो कि निदेशक मंडल द्वारा (दिनांक 21.12. 2022 को आयोजित 108 वीं बैठक में) लिए गए इस निर्णय के अनुसरण में है कि उक्त राशि के स्रोत पर कर क्रेडिट के *10 प्रतिशत* भाग की स्वीकृति लंबित भुगतान प्रभार शुल्क (एलपीएससी) के प्रति की जाए। ऐसा किए जाने के परिणामस्वरूप, स्रोत पर कर कटौती का 90 प्रतिशत भाग उस वित्तीय वर्ष की कर देयता के प्रति दावा करने के लिए आस्थगित कर दिया गया है जिस वित्तीय वर्ष में कम्पनी को डिस्कॉम्स से उक्त आय की प्राप्ति होगी। कम्पनी द्वारा चालू वर्ष 2020–21 के दौरान बहियों में एलपीएससी पर 10 प्रतिशत के स्रोत पर कर क्रेडिट की स्वीकृति की है परन्तु एलपीएससी पर स्रोत पर कर कटौती की प्रक्रिया में इस बदलाव के प्रभाव का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट में नहीं किया गया है।	आयकर अधिनियम के अंतर्गत यह प्रस्तुत है कि प्रत्येक निर्धारण वर्ष से संबंधित प्रक्रिया अलग से एवं पृथक रूप में की जाती है तथा तदनुसार कर योग्य आय अथवा स्व–निर्धारण (स्रोत पर कटौती के कर क्रेडिट सहित) का आकलन आयकर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या के आधार पर भिन्न वर्षों में भिन्न प्रकार का हो सकता है तथा ऐसा प्रत्येक निर्धारण वर्ष के दौरान उत्पन्न होने तथ्यों के अनुसार विशेषज्ञ मत के आधार पर होता है। विशेषज्ञ मत के आधार पर कम्पनी ने विलंब भुगतान प्रभार (एलपीएससी) से संबंधित स्रोत पर कर कटौती के क्रेडिट का उपचार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए स्रोत पर कर कटौती की केवल 10 प्रतिशत राशि का दावा करके किया है तथा स्रोत पर कर कटौती के 90 प्रतिशत को भविष्य में प्राप्त होने वाली एलपीएससी के प्रति आय के रूप में समंजन (सैट ऑफ) करने के लिए आस्थगित कर दिया है। तथापि, ऐसा किया जाना लेखांकन नीति में परिवर्तन नहीं है तथा तदनुसार इससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव की अलग से लेखों में प्रस्तुति की जानी आवश्यक नहीं है।
6.	इंड एएस 10 –रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं के पैरा संख्या 13 के अनुसार – ''यदि लाभांश की घोषणा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात परन्तु वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के अनुमोदन से पूर्व की जाती है तो ऐसे लाभांशों का नोट्स में प्रकटीकरण इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के अंतर्गत किया जाएगा।'' कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी 105वीं	यद्यपि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लाभांश की अनुशंसा निदेशक मंडल द्वारा की गई थी परन्तु इसे शेयरधारकों को भुगतान के लिए देय बनाने के लिए कम्पनी की वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तदनुसार, इसके संबंध में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखों में प्रकटीकरण नहीं किए गए थे।

	बैठक में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 20.00 करोड़ रूपए के लाभांश की घोषणा की गई है तथा कम्पनी के लेखों का अनुमोदन दिसम्बर 2022 में किया गया था। तथापि, इंड एएस 10 तथा इंड एएस 1 के संबंध में लाभांश से संबंधित अपेक्षित लेखांकन नोट्स में प्रकटीकरण नहीं किए गए थे।	

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

	ह0/–	ह0/–
स्थान : नई दिल्ली	(रवि धवन)	(मुकेश कुमार शर्मा)
दिनांक : 07.12.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी)

अनुलग्नक–3

फार्म संख्या एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में

सदस्यगण,

प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिमाद्री, राजघाट पावर हाउस परिसर

नई दिल्ली – 110002

हमने, मैसर्स प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एतद्द्वारा ''कंपनी'' के रूप में संदर्भित) द्वारा लागू सांविधिक उपबंधों का अनुपालन किए जाने और उत्तम कॉर्पोरेट व्यवहारों का अनसुरण किए जाने की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए ऐसी विधि का उपयोग किया है, जिससे हमें कॉर्पोरेट कार्यों/सांविधिक अनुपालनों के लिए मूल्यांकन तथा उनके संबंध में अपना मत व्यक्त करने का औचित्यपरक आधार प्राप्त हो सके।

कंपनी की बहियों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्मों और फाईल की गई विवरणियों और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्ड तथा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम, एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार कंपनी ने, **31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की** लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में रिपोर्टिंग के लिए उचित निदेशक मंडल प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र उस सीमा तक और उस भांति व शर्तों पर स्थापित हैं, जिसके अनुसार तथा आधार पर एतद्द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है कि:–

हमने, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी की बहियों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्मों तथा फाइल किए गए विवरणों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्ड की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत की है:–

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत निर्मित नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम,1996 और उसके अंतर्गत निर्मित विनियम एवं उप–नियम; **लागू नहीं ।**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश एवं बाहरी वाणिज्यिक ऋण से संबद्ध की सीमा तक उसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम; **वर्ष के दौरान इससे संबंधित कोई प्रकिया नहीं हुई ।**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश **कंपनी के लिए लागू नहीं हैं क्योंकि यह सूचीबद्ध नहीं है:**

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर्स), विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अतरंग व्यापार निषेध) विनियम, 1992;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश,1999;

(ड़) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम और ग्राहकों से संव्यवहार के संबंध में;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009; और

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी–खरीद), विनियम, 1998;

(6) कंपनी पर विशिष्ट रूप से लागू निम्नलिखित कानूनों के अंतर्गत अनुपालनों/प्रणालियों का सत्यापन कंपनी के संबंधित विभाग द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आवधिक प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया था।

क) विद्युत अधिनियम, 2003

ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :–

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक ।

(ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किया गया सूचीबद्धता अनुबंध –**लागू नहीं क्योंकि यह कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।**

विचाराधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित टिप्पणियों की शर्त पर, कंपनी द्वारा ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि का अनुपालन किया गया है:–

1. कंपनी द्वारा निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या की अपेक्षा के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था, जबकि अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

2. कंपनी ने, क्रमशः लेखापरीक्षा समिति के गठन तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के लिए न्यूनतम संख्या के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षा पूरी करने के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 178 के उपबंधों का अनुपालन किया है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन व पारिश्रमिक समिति में केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक था जबकि न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा है।

3. हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में अपेक्षित राशि का व्यय विचाराधीन वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

4. विचाराधीन अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित कम्पनी के वार्षिक लेखों की प्रस्तुति वार्षिक आम सभा में सदस्यों के सम्मुख नहीं की गई थी तथा उक्त बैठक को स्थगित कर दिया गया था परन्तु स्थगित वार्षिक आम सभा का आयोजन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट सांविधिक समय सीमा में नहीं किया गया था।

5. विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा 31.3.2020 को समाप्त वर्ष के एओसी 4 एक्सबीआरएल फार्म एवं फार्म एमजीटी7 में वार्षिक विवरण की कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली को प्रस्तुति न किए जाने के अलावा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सम्मुख विविध फार्म तथा विवरणों की प्रस्तुति निर्धारित समय के अनुसार की गई है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:–

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल में कम से दो स्वतंत्र निदेशक होने की अपेक्षा का अनुपालन करके नहीं किया गया है क्योंकि वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक था। निदेशक मंडल के गठन के संबंध में विचाराधीन वर्ष के दौरान किया गया परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था।

निदेशक मंडल की बैठकों, कार्यसूची तथा कार्यसूची की अनुसूची के लिए विस्तृत टिप्पणी से संबंधित सूचना सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पूर्व भिजवाकर पर्याप्त समय दिया गया था तथा बैठक के आयोजन से पूर्व तथा बैठक में आशय पूर्ण प्रतिभागिता के लिए अपेक्षित अग्रेतर सूचना एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाने की पर्याप्त व्यवस्था स्थापित की गई है। अधिकांश निर्णय बहुमत के आधार पर लिए गए हैं तथा असहमत सदस्यों से प्राप्त विचार, यदि कोई है, बैठक के कार्यवृत्त में रिकार्ड किए गए थे।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमें प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार, लागू विधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिदेशों के अनुपालन की निगरानी तथा सुनिश्चय के लिए कंपनी के आकार तथा परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्थाएं एवं प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं। तथापि, अनुपालन की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :–

क) कम्पनी के प्रगति पावर स्टेशन (पीपीएस–3) के संबंध में ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कके प्रावधानों के अंतर्गत स्थापना पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन दिया गया है परन्तु कम्पनी को अभी नवीकरण/अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

ख) कम्पनी के पावर स्टेशन, प्रगति पावर स्टेशन (पीपीएस–3) के संबंध में कम्पनी द्वारा दिल्ली अग्नि शमन अधिनियम के अंतर्गत संरक्षा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया गया है, तथा कम्पनी को अभी विभाग से संरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

ग) विचाराधीन अवधि के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर अधिनियम के प्रावधानों के प्रति संवेदी बनाने के लिए कार्यशालाओं तथा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा आंतरिक समिति के लिए अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए जाने से संबंधित अनुपालन नहीं किया गया है जिसके कारण कम्पनी के सम्मुख वित्तीय एवं विधिक मामले प्रस्तुत हो सकते हैं।

घ) विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा न तो कम्पनी के कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है और न ही उपयोज्यता से संबंधित छूट की मांग की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी के सम्मुख वित्तीय एवं विधिक मामले प्रस्तुत हो सकते हैं।

ङ) विचाराधीन अवधि के दौरान कम्पनी के पावर स्टेशन प्रगति पावर स्टेशन (पीपीएस–3) द्वारा खतरनाक अपशिष्ट के भंडारण के प्राधिकार प्राप्त करने का आवेदन किया गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जबकि अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र की प्रस्तुति 9.5.2019 को की गई थी।

च) हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार विचाराधीन अवधि के दौरान दिल्ली श्रम कल्याण निधि नियमावली, 1997 के प्रावधानों का अनुपालन कम्पनी द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा कम्पनी स्वयं पर इसकी उपयोज्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है।

छ) हमें प्रस्तुत सूचना के अनुसार विचाराधीन वर्ष के दौरान उपदान का भुगतान 30 दिन की पात्रता अवधि में न किए जाने के संबंध में उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। इसके अलावा, सांविधिक सीमा में उपदान की पूर्ण राशि चुकता नहीं की गई है जो उपदान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह रिपोर्ट **अनुलग्नक–1** में संलग्न समान तिथि के मेरे पत्र के साथ पठित है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

कृते स्वर्ण जैन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

दिनांक : 24.02.2022
स्थान : नई दिल्ली

ह./–
(स्वर्ण कुमार जैन)
स्वत्वधारी
एफसीएस 3236
सीपी4906
यूडीआईएनःएफ003236सी002704792

सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक, जो रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुलग्नक–।

सेवा,

सदस्यगण,

प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिमाद्री, राजघाट पावर हाउस परिसर, नई दिल्ली – 110002

यह पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के साथ पठित है।

1 सचिवीय रिकॉर्ड का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत व्यक्त करना है।

2 हमने सचिवीय रिकॉर्ड की विषय–वस्तु की सत्यता के प्रति उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए यथोचित लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्रयुक्त प्रक्रियाएं एवं पद्धतियां हमारे प्रस्तुत मत का औचित्यपरक आधार हैं।

3 हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की सटीकता का सत्यापन नहीं किया है, क्योंकि ये सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षा किए जाने के अधीन रहे हैं और वित्तीय लेखों पर लेखापरीक्षकों की योग्य टिप्पणियां उनकी रिपोर्ट में देखी जा सकती है।

4 वर्ष के दौरान की गई जालसाजियों के ब्योरे के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित लेखों को देखा जा सकता है।

5 जहां–कहीं भी अपेक्षित था वहां हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन से जानकारियां प्राप्त की हैं।

6 निगमित और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच प्रक्रियाओं के परीक्षण के आधार पर सत्यापन तक सीमित है।

7 यह सचिवीय लेखापरीक्षा न तो कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों की भावी व्यवहार्यता और न ही प्रबंधन द्वारा की जा रही प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता अथवा प्रभाव्यता के प्रति किसी प्रकार का आश्वासन है।

कृते स्वर्ण जैन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

दिनांक : 24.02.2022
स्थान : नई दिल्ली

ह./–
(स्वर्ण कुमार जैन)
स्वत्वधारी
एफसीएस 3236
सीपी4906
यूडीआईएन:एफ003236सी002704792

सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020–21 की अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

क्र. सं.	टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणियां
1	कंपनी द्वारा निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या की अपेक्षा के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था, जबकि अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।	(पैरा 1 एवं 2) तथ्यपरक विवरण। सरकारी कंपनी होने के फलस्वरूप, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की शक्ति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास है और तदनुसार कंपनी ने अपने निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से अनुरोध किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने दिनांक 26.8.2021 के आदेश संख्या सीडी– 014661216/पावर/3030 के माध्यम से श्री संदीप अग्रवाल तथा श्रीमती अंजली राय को इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक नामित किया गया है। इसके अलावा, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28.8.2021 को आयोजित अपनी बैठक में श्री संदीप अग्रवाल तथा श्रीमती अंजली राय को प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है तथा प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन करके इन दोनों स्वतंत्र निदेशकों को इनमें शामिल किया गया है। इस प्रकार, अब प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 149, 177 तथा 178 के प्रावधानों के अनुसार अपने निदेशक मंडल में कम से कम 2 स्वतंत्र निदेशक होने की अपेक्षा और साथ ही लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में से न्यूनतम 2 स्वतंत्र निदेशक होने की अपेक्षा का पालन कर लिया गया है।
2	कंपनी ने, क्रमशः लेखापरीक्षा समिति के गठन तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के लिए न्यूनतम संख्या के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षा पूरी करने के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 178 के उपबंधों का अनुपालन किया है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन व पारिश्रमिक समिति में केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक था जबकि न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा है।	
3	हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में अपेक्षित राशि का व्यय विचाराधीन वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार तथा प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल से दिनांक 28.8.2021 को आयोजित बैठक में प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2020–21 की 17,85,18,257/– रूपए की अव्ययित सीएसआर राशि का अंतरण दिनांक 27.9.2021 को स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष तथा प्रधान मंत्री केयर निधि में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कर दिया गया है। 1. स्वच्छ भारत कोष – 4,46,29,564.25/–रूपए 2. स्वच्छ गंगा कोष – 4,46,29,564.25/–रूपए 3. प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष – 4,46,29,564.25/–रूपए 4. प्रधान मंत्री केयर निधि – 4,46,29,564.25/–रूपए

4	विचाराधीन अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित कम्पनी के वार्षिक लेखों की प्रस्तुति वार्षिक आम सभा में सदस्यों के सम्मुख नहीं की गई थी तथा उक्त बैठक को स्थगित कर दिया गया था परन्तु स्थगित वार्षिक आम सभा का आयोजन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट सांविधिक समय सीमा में नहीं किया गया था।	(पैरा 4 तथा 5) (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक आम सभा का आयोजन 30.9.2020 तक किया जाना अपेक्षित था (ii) वैश्विक महामारी कोविड19 से उत्पन्न कठिनाइयों के परिणामस्वरूप कम्पनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा हरियाणा द्वारा अपने दिनांक 8.9.2020 के आदेश संख्या आरओसी/दिल्ली /एजीएम एक्स्टेंशन/2020 के माध्यम से वार्षिक आम सभा के आयोजन के लिए 3 माह का समय विस्तार अर्थात इसका आयोजन 31.12.2020 तक किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया था। (iii) प्रगति पावर कॉर्पोरेशन कम्पनी लिमिटेड एक प्रमुख बिजली आपूर्ति के लिए उत्पादक कम्पनी है तथा यह कोरोना वैश्विक महामारी की गहन चपेट से प्रभावित हुई थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान लगभग सभी कर्मचारी कोविड–19 से प्रभावित हुए थे तथा डीडीएमए की संगरोध नीति के अनुसार वे समय समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते थे। इस अवरोध के कारण विविध प्रक्रियाओं के लिए अवरोध उत्पन्न हुए थे तथा कम्पनी के अनेकों ऐसे कार्य लंबित हो गए थे जिनके लिए कम्पनी की लगभग सभी विंग्स से इनपुट प्राप्ति की आवश्यकता होती है। (iv) कम्पनी की 19वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन दिनांक 30. 12.2020 को हुआ था परन्तु यह बैठक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय से वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित लेखों पर टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण स्थगित कर दी गई थी। आयोजित बैठक में इसके संबंध में की गई चर्चा का बैठक के कार्यवृत्त में किया गया उल्लेख निम्नानुसार उद्धृत है :– *"अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सूचित किया गया कि नए प्रकार के कोरोना वायरस के प्रसार तथा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के परिणामस्वरूप उत्पन्न अनिश्चितता से लेखों को अंतिम रूप प्रदान दिए जाने के साथ लेखापरीक्षा भी प्रभावित हुई है। उन्होंने आगे बताया कि कम्पनी के वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने तथा लेखापरीक्षा में थोड़ा समय और लगेगा तथा इसके पश्चात कम्पनी वित्तीय वर्ष 2019–20 के वित्तीय विवरणों की प्रस्तुतिकम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) की अपेक्षाओं के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के लिए की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि इस वार्षिक आम सभा में, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ, इन परिस्थितियों में, वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति की जानी संभव नहीं है।*
5.	विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा 31.3.2020 को समाप्त वर्ष के एओसी 4 एक्सबीआरएल फार्म एवं फार्म एमजीटी7 में वार्षिक विवरण की कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली को प्रस्तुति न किए जाने के अलावा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सम्मुख विविध फार्म तथा विवरणों की प्रस्तुति निर्धारित समय के अनुसार की गई है।	

		अध्यक्ष महोदया द्वारा मद संख्या 1 के अंतर्गत लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, निदेशक तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को अंगीकार किए जाने से संबंधित कार्यसूची की इस मद को स्थगित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया। सदस्यों द्वारा कार्यसूची की मद संख्या 1 को स्थगित किए जाने तथा इसकी प्रस्तुति स्थगित बैठक से पूर्व तब प्रस्तुत करने की सहमति दी गई जब लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ तैयार हों।" (v) इसके पश्चात, कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2019–20 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दिनांक 4.3.2021 को प्राप्त हुई थीं। (vi) सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की प्रस्तुति के पश्चात इसे अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए दिनांक 11.3.2021 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत कर दिया गया था। सीजीए लेखापरीक्षा टीम की अंतरिम टिप्पणियां ईमेल के माध्यम दिनांक 6.5.2021 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत की गई थी। (vii) श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सेवाएं दिनांक 7.6.2021 से समाप्त होने के पश्चात प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति का गठन 28.8.2021 तक नहीं किया जा सका था। इसके पश्चात रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दो नए स्वतंत्र निदेशक नामित किए गए थे तथा निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति दिनांक 28.8.2021 को हुई थी। (viii) कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28.8.2021 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2019–20 की निदेशक रिपोर्ट के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को अनुमोदित किया गया था। इसके पश्चात लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन दिनांक 28.12.2021 को हुआ था। इसके पश्चात कम्पनी की स्थगित वार्षिक आम सभा का आयोजन 29.12.2021 को हुआ था जिसमें कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2019–20 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए थे तथा इसके पश्चात कम्पनी ने अपने वार्षिक लेखे एवं लेखपरीक्षित विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत किए थे।
6.	**हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि** हमें प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार, लागू विधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी तथा सुनिश्चय के लिए कंपनी के आकार तथा परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्थाएं एवं प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं। तथापि, अनुपालन की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाए	

	जाने की आवश्यकता है। हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :–	
	क) कम्पनी के प्रगति पावर स्टेशन (पीपीएस–3) के संबंध में ठेका श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कके प्रावधानों के अंतर्गत स्थापना पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन दिया गया है परन्तु कम्पनी को अभी नवीकरण/ अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।	ई–डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाई पर पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन की आनलाइन प्रस्तुति की प्रक्रिया की जा रही है।
	ख) कम्पनी के पावर स्टेशन, प्रगति पावर स्टेशन (पीपीएस–3) के संबंध में कम्पनी द्वारा दिल्ली अग्नि शमन अधिनियम के अंतर्गत संरक्षा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया गया है, तथा कम्पनी को अभी विभाग से संरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।	दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा सूचित की गई न्यूनताओं/ प्रेक्षण का दूसरे चरण में अनुपालन प्रगति पर है।
	ग) विचाराधीन अवधि के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर अधिनियम के प्रावधानों के प्रति संवेदी बनाने के लिए कार्यशालाओं तथा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा आंतरिक समिति के लिए अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए जाने से संबंधित अनुपालन नहीं किया गया है जिसके कारण कम्पनी के सम्मुख वित्तीय एवं विधिक मामले प्रस्तुत हो सकते हैं।	कोविड 19 वैश्विक महामारी की स्थिति के दौरान कोविड एहतियातों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे! वर्ष 2021 में आयोजित प्रशिक्षण के लिए दिनांक 18.10.2021 का कार्यालय आदेश संख्या डीएम(एचआर) ट्रेनिंग/ आईपीजीसीएल/21:22/03 जारी किया गया था। इसके अलावा, भविष्य में और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लेखापरीक्षक के प्रेक्षण को नोट कर लिया गया है।
	घ) विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा न तो कम्पनी के कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है और न ही उपयोज्यता से संबंधित छूट की मांग की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी के सम्मुख वित्तीय एवं विधिक मामले प्रस्तुत हो सकते हैं।	क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राजेन्द्र भवन, नई दिल्ली को दिनांक 12.1.2022 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया था कि इं.प्र.पा.ज.कं.लि./प्र.पा.कॉ.लिमिटेड राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थापना हैं तथा इनके कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि से बेहतर लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करवाया जाना अपेक्षित नहीं है।
	ङ) विचाराधीन अवधि के दौरान कम्पनी के पावर स्टेशन प्रगति पावर स्टेशन (पीपीएस–3) द्वारा खतरनाक अपशिष्ट के भंडारण के प्राधिकार प्राप्त करने का आवेदन किया गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जबकि अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र की प्रस्तुति 9.5.2019 को की गई थी।	अपेक्षित शुल्क के साथ दिनांक 9.5.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए तथा यह डीपीसीसी में प्रक्रियाधीन है।
	च) हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार विचाराधीन अवधि के दौरान दिल्ली श्रम कल्याण निधि नियमावली, 1997 के प्रावधानों का अनुपालन कम्पनी द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा कम्पनी स्वयं पर इसकी उपयोज्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है।	इस मामले की जांच पैनल एडवोकेट्स द्वारा की गई थी तथा उनके द्वारा दिए गए मत का संक्षेप सार निम्नलिखित है : *"इं.पा.ज.कं.लि. एवं पीपीसीएल के संबंध में अधिनियम तथा नियम लागू हैं क्योंकि ये अधिनियम एवं नियमों में परिभाषित स्थापना के दायरे में आते हैं। इं.पा.ज.कं.लि. एवं पीपीसीएल के मामले में दिल्ली श्रम कल्याण निधि नियमावली, 1997 केवल उन्हीं कर्मचारियों के*

		मामले में लागू है जो दिनांक 23.5.2022 के कार्यालय आदेश के साथ पठित बम्बई श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1954 की धारा 2(2) के अंतर्गत आते हैं, जिसका आशय उक्त कार्यालय आदेश के अंतर्गत इं.पा.ज.कं.लि. एवं पीपीसीएल से वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारी हैं न कि वे कर्मचारी हैं जो 23.5.2022 के कार्यालय आदेश के साथ पठित अधिनियम की धारा 2(2) के अंतर्गत नहीं आते हैं।''
	छ) हमें प्रस्तुत सूचना के अनुसार विचाराधीन वर्ष के दौरान उपदान का भुगतान 30 दिन की पात्रता अवधि में न किए जाने के संबंध में उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। इसके अलावा, सांविधिक सीमा में उपदान की पूर्ण राशि चुकता नहीं की गई है जो उपदान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का उल्लघन है।	श्री प्रवीण गुप्ता, महाप्रबंधक (रसायन) दिनांक 31.1.2021 को प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए थे। नीतिगत निर्णय निर्धारण तथा उच्चतर अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने और साथ श्री प्रवीण गुप्ता की बकाया देयताओं के संबंध में भी नकी फाइल पर प्रक्रिया की जा रही थी। उपदान का भुगतान श्री गुप्ता द्वारा अपनी देयताएं क्लीयर करने के पश्चात किया गया था। इसके अलावा, श्री गुप्ता से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गुप्ता द्वारा पहले से ही अपने पूर्व नियोक्ता (एनटीपीसी) से दस लाख रूपए की राशि का दावा किया है। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अधिकतम 20 लाख रूपए का उपदान दिया जा सकता है अतः उन्हें उपदान निधि में से 10 लाख रूपए का भुगतान किया गया था।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

	ह0/–	ह0/–
स्थान : नई दिल्ली	(रवि धवन)	(मुकेश कुमार शर्मा)
दिनांक : 07.12.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी)

अनुलग्नक – 4

कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट

प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यह मानना है कि दीर्घकालिक निगमित लक्ष्यों एवं हितधारकों के मूल्यों में संवर्धन के लिए उत्तम कॉर्पोरेट शासन अनिवार्य हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, कॉर्पोरेट शासन के सर्वोच्च मानकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कॉर्पोरेट शासन के संबंध में अपनी अवधारणा परिचालन के प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कानून अनुपालन के सभी सिद्धांतों के अनुसार लक्ष्यबद्ध की गई है।

1. निदेशक मंडल की बैठकें:

निदेशक मंडल की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित होती हैं। सामान्यतः कार्य आवश्यताओं के अनुसार निदेशक मंडल की न्यूनतम चार बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा दो बैठकों के बीच का अंतराल 120 दिन से अधिक नहीं होता है। परिभाषित कार्य सूची प्रारूप में कार्यसूची और कार्यसूची संबंधी टिप्पणियां सभी निदेशकों को पहले ही भेज दी जाती हैं। कार्यसूची दस्तावेजों में प्रत्येक महत्त्वपूर्ण सूचना शामिल की जाती है ताकि बैठक में सार्थक एवं विषय केन्द्रित चर्चा हो सके। यदि कार्यसूची में किसी दस्तावेज को संलग्न करना व्यवहार्य नहीं होता है, तो उसे कार्यसूची में विशेष संदर्भ के साथ बैठक के समक्ष रख दिया जाता है। केवल विशेष एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यसूची के लिए अतिरिक्त अथवा अनुपूरक मद स्वीकार की जाती है।

निदेशक मंडल का गठन

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में सात निदेशक थे, जिनमें से प्रबंध निदेशक सहित चार कार्यात्मक निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा नामित एक अन्य निदेशक है।

निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकें, दिनांक 6 जून, 3 सितम्बर, 28 दिसम्बर, 2020 तथा 1 मार्च, 2021 को आयोजित की गई थी। विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आयोजित वार्षिक आम सभा तथा निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार थी:–

क्र. सं.	निदेशक	निदेशक मंडल की बैठकें	पिछली वार्षिक आम सभा की तिथि 30.12.2020
1.	श्री सत्य गोपाल, अपर मुख्य सचिव (विद्युत), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक *(दिनांक 31.3.2021 से 31.7.2022)*	0/0	लागू नहीं
2.	सुश्री पद्मिनी सिंगला, सचिव (विद्युत), रा.रा.दि.क्षे.सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक *(5.7.2019 से 31.3.2021)*	4/4	जी हां
3.	श्री डी वर्मा, निदेशक (मानव संसाधन) *(18.7.2019 से 24.4.2020)*	0/0	लागू नहीं
4.	श्री रवि दधिच, निदेशक (मानव संसाधन) *(24.4.2020 से 9.9.2020)*	2/2	लागू नहीं
5.	श्री जे.के. जैन, निदेशक (मानव संसाधन) *(9.9.2020 से 8.7.2021)*	2/2	जी, हां
6.	श्री एस.एम. वर्मा, निदेशक (तकनीकी) *(1.5.2019 से 14.1.2022)*	4/4	जी, हां

7.	श्री रविन्द्र कुमार जैन, निदेशक (वित्त) *(5.6.2017 से 31.5.2021)*	4/4	जी, हां
8.	मदन वर्मा, निदेशक *(18.2.2010 से)*	4/4	जी, नहीं
9.	श्री बी. एन. ओझा, निदेशक *(1.10.2019 से)*	4/4	जी, नहीं
10.	श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक *(8.6.2016 से 7.6.2022)*	4/4	जी, हां

2. लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक थेः–

1. श्री तरूण चतुर्वेदी अध्यक्ष
2. श्री मदन वर्मा सदस्य
3 श्री बी.एन. ओझा सदस्य

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की दिनांक 3 सितम्बर, 28 दिसम्बर, 2020 तथा 26 फरवरी, 2021 को तीन बैठकें आयोजित की गई थी। विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	नाम	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	3/3
2.	श्री मदन वर्मा	3/3
3.	श्री बी. एन. ओझा, निदेशक	3/3

निदेशक (वित्त) तथा संबंधित लेखापरीक्षक भी लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किए जाते हैं।

3. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचना

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति में निम्नलिखित निदेशक थेः–

1. श्री तरूण चतुर्वेदी अध्यक्ष
2. श्री मदन वर्मा सदस्य
3. निदेशक (मानव संसाधन) सदस्य
4. निदेशक (तकनीकी) सदस्य

सीएसआर समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान 3 सितम्बर, 2020 को समिति की बैठक आयोजित की गई थी। विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	नाम	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	1/1
2.	श्री मदन वर्मा, निदेशक	1/1
3.	श्री रवि दधिच, निदेशक (मानव संसाधन)	1/1
4.	श्री एस एम वर्मा, निदेशक (तकनीकी)	1/1

4. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक थेः–

1. श्री तरूण चतुर्वेदी — अध्यक्ष
2. श्री बी. एन. ओझा — सदस्य
3. श्री मदन वर्मा — सदस्य

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें

समिति की बैठक 3 सितम्बर, 2020 को आयोजित की गई थी। विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	नाम	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	1/1
2.	श्री बी.एन. ओझा, निदेशक	1/1
3.	श्री मदन वर्मा, निदेशक	1/1

5. परिचालनात्मक निष्पादन समिति :

परिचालन निष्पादन समिति की संरचना

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, परिचालनात्मक निष्पादन समिति की संरचना में निम्नलिखित निदेशक थेः–

1 श्री बी. एन. ओझा — अध्यक्ष

2 श्री मदन वर्मा — सदस्य

3 निदेशक (तकनीकी) — सदस्य

4 निदेशक (वित्त) — सदस्य

परिचालन निष्पादन समिति की बैठकें

वर्ष के दौरान, समिति की दो बैठकें, दिनांक 3 सितम्बर, 2020 तथा 26 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई थी। विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आयोजित समिति की बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

क्र.सं.	नाम	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री बी. एन. ओझा, निदेशक	2/2
2.	श्री मदन वर्मा, निदेशक	2/2
3.	श्री एस.एम.वर्मा, निदेशक (तकनीकी)	2/2
4.	श्री रविन्द्र कुमार जैन, निदेशक (वित्त)	2/2

6. वार्षिक आम बैठक

पिछली दो आम बैठकों की तिथि, समय तथा स्थान का विवरण :

तिथि	30 दिसम्बर, 2020	23 दिसम्बर, 2019
समय	सायं 04.00 बजे	सायं 3:00 बजे
स्थल	सम्मेलन कक्ष, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110 002	हिमाद्री, राजघाट पावर हाउस परिसर, नई दिल्ली – 110 002

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह0/–
(रवि धवन)
प्रबंध निदेशक

ह0/–
(मुकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (तकनीकी)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.12.2023

अनुलग्नक–5

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट

1 कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति का संक्षिप्त विवरण :

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति (सीएसआर नीति) का उद्देश्य यह सुनिश्चय करना है कि कंपनी एक उत्तरदायी कॉर्पोरेट इकाई के रूप में मुख्यतः समाज के जीवन स्तर में सुधार लाने में अपना योगदान प्रदान करे। प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक क्रियाकलापों के माध्यम से स्वयं अपने लिए सामुदायिक साख का निर्माण करते हुए, निगमित कंपनी के रूप में समाज के प्रति सकारात्मक एवं उत्तरदेयी छवि के निर्माण के प्रयास किए गए हैं।

महत्वपूर्ण क्षेत्र

सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र विद्युत सेक्टर से संबंधित होगा तथा ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि उनका चयन निम्नलिखित से संबद्धता के साथ किया जाए:–

(i) अत्यधिक भूखमरी और गरीबी का उन्मूलन।

(ii) शिक्षा को प्रोत्साहन।

(iii) लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना ।

(iv) बाल मृत्यु दर को कम करना एवं मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार लाना ।

(v) मानवों में रोग प्रतिरोध क्षमता वायरस, अक्वायर्ड इम्यून डिफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स), मलेरिया और अन्य रोगों की रोकथाम करना ।

(vi) पर्यावरणीय संवहनीयता का सुनिश्चय करना ।

(vii) रोजगार संवर्धन के लिए व्यावसायिक कौशल का निर्माण।

(viii) सामाजिक व्यवसाय परियोजनाएं।

(ix) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष अथवा सामाजिक आर्थिक विकास तथा राहत एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों या महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में अंशदान।

(x) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित किए जाने वाले अन्य मामले।

2 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचना:–

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक धारिता की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकें	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	सीएसआर समिति के अध्यक्ष	1 (सीएसआर समिति की बैठक 3.9.2020 को आयोजित की गई)	1
2.	श्री मदन वर्मा, निदेशक	सीएसआर समिति के सदस्य	1	1
3.	श्री रवि दधिच, निदेशक (मानव संसाधन)	सीएसआर समिति के सदस्य	1	1
4.	श्री एस.एम.वर्मा, निदेशक (तकनीकी	सीएसआर समिति के सदस्य	1	1

3. नीचे वह वेबलिंक दिया गया है जिसके माध्यम से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति तथा सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण कम्पनी की वेबसाइट पर किया गया है :–

http://www.ipgcl-ppcl.gov.in/CSRactivitiesIPGCLPPCL.htm

4. कृपया कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित की गई सीएसआर परियोजनाओं, यदि लागू हो, के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रस्तुत करें। (रिपोर्ट संलग्न करें)

लागू नहीं है।

5. कृपया कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि तथा वित्तीय वर्ष में समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करें :

क.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्षों से समंजन के लिए उपलब्ध राशि (रूपए में)	वित्तीय वर्ष में समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (रूपए में)
1.	2017–18	शून्य	शून्य
2.	2018–19	शून्य	शून्य
3.	2019–20	शून्य	शून्य
	योग	शून्य	शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभः–

पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी का औसत निवल लाभ निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष 2017–18	3,24,03,07,393/–रूपए)
वित्तीय वर्ष 2018–19	4,02,40,33,384/–रूपए)
वित्तीय वर्ष 2019–20	19,51,33,97,723/–रूपए
योग	8,92,59,12,833/–रूपए

7. (क) धारा 135(5) के अंतर्गत कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत : 17,85,18,257/– रूपए

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों में सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों में से अधिशेष — लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष में समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो — लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष 2020–21 (7क+7ख–7ग) के लिए कुल सीएसआर दायित्व — 17,85,18,257/– रूपए

8. (क) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई अथवा व्यय न की गई सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए कुल राशि (रूपए में)	अव्ययित राशि (रूपए में)				
	धारा 135(6) के अंतर्गत सीएसआर खाते में अंतरित की गई कुल अव्ययित राशि		धारा 135(5) के अनुसार दूसरे परंतुक की अनुसूची 7 के अंतर्गत किसी अन्य विशिष्ट निधि में अंतरण की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
17,85,18,257/– रूपए	शून्य	लागू नहीं	स्वच्छ भारत कोष	4,46,29,564.25/– रूपए	27.9.2021
			स्वच्छ गंगा कोष	4,46,29,564.25/– रूपए	27.9.2021
			प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	4,46,29,564.25/– रूपए	27.9.2021
			प्रधान मंत्री केयर निधि	4,46,29,564.25/– रूपए	27.9.2021

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोजनाओं के प्रति व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण : (शून्य)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
क.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 में सूचीबद्ध क्रियाओं की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थल	
				राज्य	जिला

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए निर्धारित राशि (रूपए में)	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अंतरण की गई सीएसआर की अव्ययित राशि	कार्यान्वयन की विधि – डायरेक्ट (हां / नहीं)	कार्यान्वयन की विधि – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
					नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि (शून्य)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
क.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 में सूचीबद्ध क्रियाओं की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थल	
				राज्य	जिला

(6)	(7)	(8)	(8)	
परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रूपए में)	कार्यान्वयन की विधि – डायरेक्ट (हां / नहीं)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अंतरण की गई सीएसआर की अव्ययित राशि	कार्यान्वयन की विधि – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या

(घ) प्रशासनिक शीर्ष के अंतर्गत व्यय की गई राशि : शून्य

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन के लिए व्यय की गई राशि, यदि कोई हो : शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई राशि (8ख + 8ग + 8घ + 8ङ) : शून्य

(छ) समंजन के लिए शेष राशि, यदि कोई हो

क.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
(1)	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के निवल लाभ का दो प्रतिशत	17,85,18,257/– रूपए
(2)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	17,85,18,257/– रूपए
(3)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अधिक राशि {(2)–(1)}	शून्य
(4)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष	शून्य
(5)	आगामी वित्तीय वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि {(3)–(4)}	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण :

क्र. सं.	पिछले तीन वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अंतर्गत सीएसआर खाते में अंतरित अव्ययित राशि (रूपए में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रूपए में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची 6 के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय के लिए शेष राशि (रूपए में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.	2017–18	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
2.	2018–19	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
3.	2019–20	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
	योग	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वर्ष (वर्षों) की जारी परियोजनाओं के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण : (शून्य)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क.सं.	परियोजना पहचान संख्या	परियोजना का नाम	किस वित्तीय वर्ष में परियोजना प्रारंभ हुई थी	परियोजना की अवधि

(6)	(7)	(8)	(9)
परियोजना के लिए निर्धारित कुल राशि (रूपए में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना पर व्यय की गई राशि (रूपए में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति – निष्पादित / जारी

10. पूंजी परिसम्पतियों का निर्माण अथवा अधिग्रहण किए जाने के मामले में कृपया वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर निधि से निर्मित अथवा अधिगृहित परिसम्पति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (सम्पति वार विवरण)

(क)	पूंजी परिसम्पति (परिसम्पतियों) के निर्माण अथवा अधिग्रहण की तिथि	लागू नहीं
(ख)	पूंजी परिसम्पति के निर्माण अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि	लागू नहीं
(ग)	उस इकाई अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभग्राही का विवरण, उनके पते इत्यादि, जिसके नाम पर पूंजी परिसम्पति का पंजीकरण किया गया है।	लागू नहीं
(घ)	कृपया पूंजी परिसम्पति (परिसम्पतियों) के निर्माण अथवा अधिग्रहण से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (पूंजी परिसम्पति के पूर्ण पते तथा स्थान सहित)	लागू नहीं

11. यदि कंपनी द्वारा धारा 135(5) के अंतर्गत औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय नहीं किया गया है, तो उसके कारण प्रस्तुत करें। (लागू नहीं)

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

	ह0/–	ह0/–	ह0/–
स्थान : नई दिल्ली	(रवि धवन)	(मुकेश कुमार शर्मा)	(अंजली राय)
दिनांक : 07.12.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष–सीएसआर समिति

अनुलग्नक – 7

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 134(3)(एम) के अनुसरण में)

क) ऊर्जा संरक्षण

(1) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय:

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 मार्च, 2012 की अधिसूचना के अनुसार कंपनी का प्रगति पावर स्टेशन (पीपीएस–1) निर्दिष्ट उपभोक्ता है। तदनुसार, कम्पनी से पीएटी (निष्पादन करें, उपलब्धि करें और व्यापार करें) योजना के अंतर्गत नियमों तथा विनियमों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। स्टेशन के लिए पीएटी क्रम वित्त वर्ष 2012–13 से वित्त वर्ष 2014–15 तक लागू था। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा संपादित निगरानी व सत्यापन के आधार पर जीटीपीएस ने 2061 केसीएल/केडब्ल्युएच के लक्ष्य की तुलना में 2026 केसीएएल/केडब्ल्यूएच का एनएसएचआर प्राप्त कर लिया है।

यह स्टेशन 2016–17 से 2018–19 की अवधि के लिए लागू पीएटी क्रम–2 का भी भाग है। इस अवधि के लिए निर्धारित एनएसएचआर लक्ष्य 2081.97 केसीएएल/केडब्ल्यूएच हैं। पीएटी–2 निर्धारण वर्ष 2018–19 के दौरान पीपीएस–1 ने बीईई के अधिसूचित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं तथा ई सर्टिफिकेट जारी करने के लिए दस्तावेज जमा करवा दिए गए हैं।

अब पीपीए–1 ने पीएटी–7 में प्रवेश किया है तथा इसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में 2032.54 केसीएएल/केडब्ल्यूएच के लक्ष्य प्राप्त करने हैं।

पीपीएस–1 द्वारा निम्नलिखित ऊर्जा उपाय किए गए हैं।

पीपीएस–1 ने ऊर्जा संरक्षण के लिए चरण–1 में ऊर्जा दक्ष लाइटिंग सहित अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं, चरण–2 का कार्यान्वयन तथा ऊर्जा आडिट में रूफ टॉप सौर, अन्य योजना के कार्य प्रगति पर है। अगला ऊर्जा आडिट चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए योजनाबद्ध है।

पीएटी क्रम–3 पीपीएस–3, बवाना के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निर्धारण वर्ष 2019–20 के साथ लागू है। पीपीएस–3 बवाना को पीएटी क्रम 3 के अंतर्गत 1876 केसीएएल/केडब्ल्यूएच की संयंत्र ताप रेट का विशिष्ट लक्ष्य दिया गया है। संयंत्र से संबंधित एम एंड वी आडिट सितम्बर 2020 में मैसर्स पीसीआरए द्वारा किया गया था तथा इसकी रिपोर्ट मैसर्स बीईई को अंतिम अनुशंसाओं के लिए प्रस्तुत की गई थी। मैसर्स बीईई से अंतिम अनुशंसाएं प्रतीक्षित हैं। पीपीएस–3 का कार्यान्वयन संयंत्र के परिसरों में अनेक ऊर्जा संरक्षण योजनाओं के लिए किया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

- प्रत्येक तीन रॉ वाटर पम्पों की मोटर के लिए वीएफडी लगाना
- माड्यूल –1 के प्रत्येक तीन एलपीबीएफपी मोटरों में वीएफडी लगाना
- माड्यूल –2 की एलपीबीएफपी की प्रत्येक तीन मोटरों में वीएफडी लगाना
- सीईपी नम्बर 1बी के स्टेज में कमी लाना
- सीईपी नम्बर 2बी में कम स्टेज के साथ नए पम्प का संस्थापन
- तीन सीडब्ल्यू पम्पों नामतः सीडब्ल्यू नम्बर बी, सीडब्ल्यू नम्बर सी तथा सीडब्ल्यू नम्बर डी में ऊर्जा कुशल कोटिंग करना
- माड्यूल –2 के चार सीटी फैन में विद्यमान एसएस ड्राइव शॉफ्ट को कार्बन फाइबर ड्राइव शाफ्ट से बदलना
- प्रशासनिक भवन की टी–5 ट्यूब लाइटों के स्थान पर एलईडी पैनल लाइटें लगाना
- 1860 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सोलर का संस्थापन
- कच्चे पानी के डिस्चार्ज हैडर से यूएफ पम्प के डिस्चार्ज हैडर तक के लिए डायरेक्ट लाइन बिछाई गई है जिससे ऊर्जा बचत के लिए यूएफ पम्प को बाईपास किया गया है।

(2) **ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए किए जा रहे अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई कार्यान्वित किए जा रहे हो।**

पीपीएस–1 के संबंध में पीएटी क्रम–7 (वित्तीय वर्ष 2024–25) तथा ऊर्जा आडिट रिपोर्ट के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ऊर्जा बचत योजनाएं तैयार की गई हैं:

- ➢ कंडेनसेट एक्स्ट्रेक्शन पम्पों (सीईपी) में वीएफडी लगाए जाने की प्रक्रिया की जा रही है।
- ➢ हाई प्रेशर बॉयलर फीड पम्पों (एचपीबीएफपी) तथा कम्प्रेशरों में ऊर्जा आडिट के अनुसार वीएफडी का संस्थापन
- ➢ पारम्परिक लाइटों के स्थान पर ऊर्जा कुशल लाइटें लगाना
- ➢ कंडेंसर क्लीनिंग एवं बैकवॉश के लिए प्रावधान
- ➢ बाकी के सीटी फैन्स में विद्यमान शॉफ्ट एवं ब्लेड्स के स्थान पर कार्बन शॉफ्ट एवं ई–एफआरपी ब्लेड्स लगाना
- ➢ और अधिक रूफ टॉप सौर संस्थापन करना

इसके अलावा, पीपीएस–3, बवाना की आक्सिलरी ऊर्जा खपत में और अधिक कमी लाने के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्य निम्नानुसार हैं:–

- ➢ पीपीएस – 3 के दो और सीईपी में स्टेज रिडक्शन
- ➢ शेष दो सीडब्ल्यू पम्पों के लिए ऊर्जा दक्ष कोटिंग
- ➢ कूलिंग टावरों में, जहां बदला जाना अपेक्षित है, विद्यमान एसएस ड्राइव शॉफ्ट के स्थान पर कार्बन फाइबर ड्राइव शॉफ्ट लगाना
- ➢ फैसिलिटी भवन में टी–5 ट्यूब लाइटों के स्थान पर एलईडी पैनल लाइटें लगाना

(3) **ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए अंतर्गत उपायों का प्रभाव**

ऊपर (1) तथा (2) में उल्लिखित उपायों से एपीसी एवं पीपीए–1 के संयंत्र की ताप दर पर ऊर्जा खपत प्रभाव पड़ा है। बीईइ द्वारा निष्पादन का सत्यापन किए जाने के पश्चात विद्युत मंत्रालय की ओर से फरवरी, 2017 में पीपीएस–1 को 8020 ई–स्कैर्ट्स जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, पीएटी नियमों के अनुसार, पीएटी क्रम–2 के लिए मूल्यांकन वर्ष 2018–19 था तथा बीईई को प्रस्तुत एम एंड वी ऑडिट रिपोर्ट के पीएटी क्रम 2 के लिए निम्नलिखित मापदंड हासिल किए गए थे:–

1)	निवल ताप दर –पीएटी –2 के लिए अधिसूचित लक्ष्य	:	2081.97 केसीएएल / केडब्ल्यूएच
2)	मूल्यांकन वर्ष प्रचालक निवल ताप दर (सामन्यीकरण के बिना)	:	2037.88 केसीएएल / केडब्ल्यूएच
3)	मूल्यांकन वर्ष प्रचालक निवल ताप दर (सामन्यीकरण के साथ)	:	2016.80 केसीएएल / केडब्ल्यूएच
4)	निवल ताप दर में बचत	:	65.17 केसीएएल / केडब्ल्यूएच
5)	कुल आकलित ई–स्कैर्ट्स एवं दावे के लिए प्रस्तुत	:	11726
6)	अधिसूचित लक्ष्य निवल हीट दर –पीएटी–7 (2024–25)	:	2032.54 केसीएएल / केडब्ल्यूएच

पीपीएस –3, बवाना में ऊर्जा खपत के संबंध में क्रम संख्या (1) तथा (2) में वर्णित उपायों का प्रभाव काफी अच्छा हुआ है। एलपीबीएफपी पर वीएफडी का संस्थापन करके प्रति पम्प प्रति दिन लगभग 350 केडब्ल्यूएच तथा पीपीएस –3, बवाना में रॉ वाटर पम्प सी पर वीएफडी का संस्थापन करके प्रति पम्प प्रति दिन लगभग 155 केडब्ल्यूएच की बचत हुई है। सीडब्ल्यू पम्प बी, सी तथा डी की ऊर्जा दक्ष कोटिंग से पम्पों की दक्षता में 5.30 प्रतिशत, 3.91 प्रतिशत तथा 8.24 प्रतिशत की क्रमशः बढ़ोतरी हुई है जिसके

परिणामस्वरूप ऊर्जा बचत हुई है। स्टेज रिडक्शन से सीईपी में लगभग 1800 केडब्ल्यूएच प्रति दिन की बचत हुई है। 18 के डब्ल्यू यूएफ पम्प को बॉयपास करने से और अधिक ऊर्जा बचत हुई है।

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन

क) **प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त ब्योरा ।**

नया संयंत्र होने के कारण किसी प्रकार का नवीकरण अपेक्षित नहीं है।

ख) **उपर्युक्त प्रयासों अर्थात् उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन, आदि के परिणामस्वरूप उत्पन्न लाभ ।**

लागू नहीं ।

ग) **आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष की शुरूआत से गणना करके, पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित) की स्थिति में, निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए ।**

(1) **आयातित प्रौद्योगिकी**

किसी नई प्रौद्योगिकी का आयात नहीं किया गया है।

(2) **आयात का वर्ष**

लागू नहीं।

(3) **क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह समावेशित कर ली गई है?**

लागू नहीं ।

(4) **यदि पूरी तरह समावेशित नहीं की गई, तो किन क्षेत्रों में ऐसा हुआ, इसके कारण।**

लागू नहीं ।

घ) अनुसंधान और विकास पर व्यय

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया है।

ग) विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय नहीं हुई है। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय 73.71 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 44.59 करोड़ रूपए) है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

	ह0/–	ह0/–
स्थान : नई दिल्ली	(रवि धवन)	(मुकेश कुमार शर्मा)
दिनांक : 07.12.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी)

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

योग्य मत

1. हमने मैसर्स प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च, 2021की स्थिति को तुलन पत्र, और उस वर्ष को समाप्त लाभ व हानि विवरण(अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरण के नोट शामिल हैं (जिन्हें इसके बाद "वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

2. हमारे मत में और हमें प्रदान की गई सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट में दिए गए "योग्य मत"आधार वाले पैराग्राफ में उल्लिखित मामले के प्रभावों के अलावा, उक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, हर सारवान स्वरूप में, सत्य प्रस्तुति करता है तथाकंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथा संशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी के क्रियाकलापों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के **लाभ** और व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तनों एवं कंपनी के रोकड़ प्रवाह की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करता है।

योग्य मत का आधार

3. हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसरण में लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण वाले भाग में प्रस्तुत लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में वर्णित है। भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुरूप तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार अपेक्षाओंके अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह इन अपेक्षाओं व नैतिक संहिता के अनुरूप किया गया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण हमारे अर्हक मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

3.1 कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखांकन मानक–109 – "वित्तीय प्रपत्र" के तहत विहित व्यवसाय प्राप्यों के संबंध में अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान नहीं किए हैं इसलिए उसका मौद्रिक प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है।

3.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 4 के अनुसरण मेंगैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अपेक्षित है यदि इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये से ज्यादा हो या टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा हो अथवा बाकी सभी ऋणों, डिबेंचरों और जमाओं का कुल योग 50 करोड़ रुपये से अधिक हो। निस्संदेह, प्रदत्त शेयर पूंजी, टर्नओवर और कंपनी के सभी बकाया ऋणों का कुल योग उपर्युक्त मौद्रिक सीमाओं से ज्यादा है। इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के उपबंध कंपनी पर लागू होते हैं।

हालांकि यह देखने में आया है कि कंपनी ने समीक्षा अवधि में उपर्युक्त उपबंध का अनुपालन नहीं किया है लेकिन वित्तीय वर्ष 2021–22 में इसका अनुपालन किया गया है।

3.3 कंपनी अधिनियम, 2013की धारा 177(2) के अनुसार कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होने चाहिए जिसमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होना चाहिए। समीक्षाधीन अवधि में कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। इस प्रकार यह देखने में आया है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) के उपबंधों का उल्लंघन किया है।

हालांकि यह देखने में आया है कि कंपनी ने समीक्षा अवधि में उपर्युक्त उपबंध का अनुपालन नहीं किया है लेकिन वित्तीय वर्ष 2021–22 में इसका अनुपालन किया गया है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

4. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण में शामिल सूचना, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अधिशासन पर रिपोर्ट शामिल है लेकिन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

   वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है। हम इस पर कोई आश्वासन नहीं दे सकते।

   वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा कें संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना का पाठन करना है। ऐसा करने में इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों से या हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के कम में प्राप्त हमारे ज्ञान से सारवान रूप से असंगत है अथवा सारवान रूप से गलतबयानी प्रतीत होती है। यदि हमारे द्वारा निष्पादित काम के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में सारभूत गलतबयानी है तो हमें इस तथ्य को रिपोर्ट में लेना होगा। इस संबंध में हमें रिपोर्ट में कुछ नहीं देना है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन के दायित्व

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानक के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथा संशोधित, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन, कंपनी की इक्विटी और रोकड़ प्रवाह में परिवर्तन की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं उनका पता लगाना, लेखांकन नीतियों का यथोचित कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण के लिए उचित प्रक्रियाओं का चयन, उपयुक्त और विवेकपूर्ण निर्णयन एवं आंकलन, और लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालनात्मक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की तैयारी, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण किया जाना शामिल है जिससे सत्य एवं स्वच्छ छवि से युक्त एवं हर प्रकार के सारभूत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार करके उनकी प्रस्तुति की जा सके।

6. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन का उत्तरदायित्व गोइंग कंसर्न के रूप में चालू रहने की कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करना, जहां कहीं आवश्यक हो गोइंग कंसर्न से संबंद्ध मामलों के प्रकटन और प्रबंधन द्वारा अन्यथा कंपनी को विघटित करने या इसके प्रचालनों को बंद करने का आशय न होने पर अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न होने पर लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार का इस्तेमाल करना है।

7. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की पुनरीक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रति लेखापरीक्षक के दायित्व

8. हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत रखना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि लेखापरीक्षा मानक के अंतर्गत किए जाने वाले लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है। इसे सारवान तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग–अलग अथवा एकल रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का प्रभाव होने की संभावना हो।

9. लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की जाने वाली लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के रूप में हम व्यावसायिक तौर पर संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त पेशेवर निर्धारण करते हैं। हमः

   - वित्तीय विवरणों में सारभूत दुर्विवरण जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों,का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हैं तथा अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करते हैं जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए सारभूत दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियों में सांठ–गांठ, धोखाधड़ी, आशय से की गई चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल है।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों का प्रचालनात्मक प्रभाव है अथवा नहीं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां मौजूद हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव होने की आशंका हुई हो। यदि हम निष्कर्ष देते हैं कि सारभूत अनिश्चितता है तो हमें अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होता हैअथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा किया गया निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि तकप्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्रप्रस्तुति, संरचना एवं अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करते हैं तथा यह ज्ञात करते हैं कि क्या वित्तीय विवरणों में लेनदेन हार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

10. हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

11. शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को हमने उन मामलों का विवरण भी दिया है जिनका समेकन हमारे द्वारा स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार अपेक्षाओं के अनुसार किया गया था तथा हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों,के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

12. शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सूचित मामलों से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए परम आवश्यक होने के कारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में उल्लेख करते हैं जब तक कि विधि या विनियम के द्वारा उस मामले का सार्वजनिक प्रकटन अथवा बिलकुल विरल परिस्थिति में, हम निर्धारण करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी सूचना के सार्वजनिक हित संबंधी लाभ की तुलना में उसके प्रतिकूल प्रभाव होंगे।

मामलों की गंभीरता संबंधी पैराग्राफ

हम भारतीय लेखापरीक्षा मानक वित्तीय विवरण के नोट में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क. कंपनी ने समीक्षाधीन अपने वित्तीय विवरण की नोट संख्या 18(सी) में जीएनसीटीडी से अप्रतिभूत ऋण का प्रकटन किया है। इसमें बताया गया है कि 5000.00 लाख रुपये के एक परियोजना ऋण की पुनः भुगतान अवधि ऋण मंजूरी आदेश में 15 वर्ष के स्थान 01 वर्ष दी है और इस संबंध में मंजूरी आदेश में सुधार के लिए जीएनसीटीडी के साथ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

5000.00 लाख रुपये का परियोजना ऋण के मंजूरी पत्र में पुनः भुगतान अवधि 1 वर्ष है इसलिए इसका अभिप्राय यह है कि जीएनसीटीडी द्वारा केवल 1 वर्ष के लिए ही ऋण मंजूर किया गया था और कि कंपनी की यह दलील कि मंजूरी आदेश में सुधार के लिए जीएनसीटीडी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है वाला तथ्य तब तक मान्य नहीं है जब तक इसे जीएनसीटीडी द्वारा मान्यता प्राप्त और स्वीकार नहीं किया जाता। कंपनी पुनः भुगतान की अवधि को 1 वर्ष से 15 वर्ष करने के लिए जीएनसीटीडी से प्राप्त दस्तावेज और सूचना प्रदान नहीं कर सकी। इसलिए, नोट संख्या 18 के तहत गैर–वर्तमान देयता शीर्ष के तहत दर्शाई गई 5000.00 लाख रुपये की ऋण राशि को वर्तमान देयता शीर्ष के तहत नोट संख्या 21 में उधारी के

रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों शीर्ष एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी राय इस मामले के बारे में संशोधित नहीं है।

ख. कंपनी ने अन्य वित्तीय देयता शीर्ष के अंतर्गत नोट संख्या 23 में 384 डीएसआईआईडीसी फ्लैट (2764.01 लाख रुपये का प्रतिफलन) के लिए 251.33 लाख रुपये के पट्टा विलेख का प्रावधान किया है, लेकिन पट्टा विलेख काफी समय से लंबित है जबकि कंपनी ने कुछ फ्लैटों का पहले ही अधिभोग कर लिया है। हमारी राय इस मामले के बारे में संशोधित नहीं है।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137(1) के उपबंधों के अनुसरण में, कंपनी को एजीएम की तिथि से 30 दिनों के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास अनअंगीकृत वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल करना अपेक्षित है लेकिन एजीएम में वित्तीय विवरण के आस्थगन के कारण इसे फाइल नहीं किया जा सका है। हमारी राय इस मामले के बारे में संशोधित नहीं है और कंपनी पर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार जुर्माना लग सकता है।

घ. डिस्कॉम के साथ बकाया समाशोधन के अध्यधीन है। डिस्कॉम से प्राप्त संयुक्त समाशोधन विवरणों के अनुसार पीपीसीएल बहियों और विभिन्न डिस्कॉम की बहियों के बीच बकाया का बड़ा अंतर केवल एलपीएससी राशि के बंदोबस्त को न करने के संबंध में है। हमारी राय इस मामले के बारे में संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

13. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') की अपेक्षानुसार, हमने उक्त आदेश के पैरा–3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों, यथा लागू, परएक विवरण **''अनुलग्नक–क''** में प्रस्तुत किया है।

14. इसके अलावा, कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार अनुलग्नक क में हमारी टिप्पणियों पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

(क) कंपनी ने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्रदान किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में विधि द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार, कंपनी द्वारा उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की जांच से ज्ञात हुआ है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी में परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह के विवरण लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

(घ) योग्य मत के आधार के पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़कर, हमारे मतानुसार, उक्त वित्तीय विवरण की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप हैं।

(ड.) सरकारी कंपनी होने के कारण, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की धारा 164 के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते।

(च) दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार 31 मार्च, 2021 को कोई भी निदेशक अपनी नियुक्ति के लिए अनर्हक नहीं है।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभाव्यता के संबंध में **''अनुलग्नक–ख''** में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

1. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों से अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया है। (नोट संख्या 43 देखें)
2. लागू विधि या लेखांकन मानकों की अपेक्षानुसार कंपनी ने डेरियेटिव संविदाओं सहित ऐसे दीर्घकालिक संविदापर संभाव्य हानियों के लिए प्रावधान किए गए हैं।
3. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने के लिए कोई धनराशि अपेक्षित नहीं थी।

15. अधिनियम, यथासंशोधित की धारा 197 (16) की अपेक्षाओं के अनुरूप लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पठित धारा 197 के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होत हैं क्योंकि कंपनी ने अपने निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 008726एन

ह0/–
(सीए विनोद साहनी)
साझेदार
सदस्य संख्या 086666
यूडीआई नंबर : 23086666बीजीवीपीएफएल1014

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14.01.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का 'अनुलग्नक–क'

(प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण को संबोधित रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट"पर हमारी उसी तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 16 में किए गए संदर्भ के अनुसार) हम रिपोर्ट करते हैं:

1. **कंपनी की अचल परिसंपत्तियों के संबंध में**

   (क) कंपनी द्वारा उचित रिकॉर्ड का रखरखाव किया गया है, जिसमें अचल परिसम्पतियों का प्रमाणात्मक विवरण एवं उनकी स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिया गया है।

   (ख) वर्ष के दौरान, सनदी लेखाकार की एक फर्म द्वाराअचल सम्पतियों का भौतिक सत्यापन करवा लिया गया है जो कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमारी राय में युक्तिसंगत है। ऐसे भौतिक सत्यापन में किसी प्रकार की सारवान अनियमितता ध्यान में नहीं आई है। तथापि, हर वर्ग की परिसम्पतियों को कवर करना सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है।

   (ग) कंपनी की बहियों और रिकार्ड की हमारे द्वारा की गई जांच तथा हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी की अचल सम्पति का निर्माण जीएनसीटीडी द्वारा कंपनी के लिए निर्धारित परियोजना के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा डीएसआईआईडीसी की पट्टा धारित फलैटों की 2764.01 लाख रुपये की राशि के संबंध में कंपनी ने हमारे सामने कोई हक विलेख प्रस्तुत नहीं किया है। कंपनी का दावा है कि पट्टा विलेख अभी निष्पादित किया जाना है।

2. हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान सनदी लेखाकारों की एक फर्म द्वारा मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार किए गए सत्यापन की बारम्बारता औचित्यपरक है।ऐसे सत्यापन में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

3. कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किए गए अन्य पक्षकारों को किसी प्रकार का प्रत्याभूत अथवा अप्रत्याभूत ऋण प्रदान नहीं किया गया है।

4. हमारी राय में और हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशक या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान को कोई ऋण नहीं दिया है जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के उपबंध लागू होते हैं। इसके अलावा, हमारी राय में और हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी नक किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को ऋण नहीं दिया है या किसी अन्य निगमित निकाय की सिक्योरिटी में निवेश नहीं किया है या किसी व्यक्ति या निगमित निकाय को प्रतिभूति प्रदान नहीं की है जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के उपबंध लागू होते हैं इसलिए इन पर टिप्पणी नहीं की गई है।

5. कंपनी द्वारा जनता से किसी प्रकार के ऐसे जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं जिस पर धारा 73 से 76 के उपबंध अथवा अधिनियम के अन्य कोई संबंधित उपबंध तथा उनके अधीन बनाए गए नियम कंपनी पर लागू होते हैं।

6. हमारे द्वारा कंपनी की बहियों और रिकार्ड के संबंध में की गई जांच तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने केन्द्र सरकार द्वारा किए आदेश के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा(1) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए हमारे मतानुसार प्रथमदृष्टया निर्धारित लागत रिकॉर्ड बनाए गए हैं एव उनका रखरखाव किया गया है। तथपि, हमने लागत रिकॉर्डों की विस्तृत जांच इनकी सटीकता अथवा पूर्णता का संज्ञान लेने के लिए नहीं की है।

7. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं हमारे द्वारा किए गए रिकॉर्ड के निरीक्षण के अनुसार कंपनी सामान्यतः माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, ई.एस.आई., आयकर, उपकर सहित अन्य अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संबंधित प्राधिकरणों को नियमित रूप से करती है। हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2021 की

स्थिति को अविवादित सांविधिक देयताएं भुगतान के देय होने की तिथि से छः माह से अधिक अवधि के लिए भुगतान के लिए बकाया नहीं है।

(ख) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार नीचे उल्लिखित विवाद के अलावा सांविधिक प्राधिकरणों को आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर के संबंध में जमा करवाई जाने वाली कोई भी राशि शेष नहीं हैः–

क. सं.	सांविधि का नाम	सांविधिक देयताओं का स्वरूप	राशि (रुपये लाख में)	निर्धारण वर्ष जिससे राशि संबंधित है	किस फोरम में मामला लंबित है
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	62.57	2008–09	दिल्ली उच्च न्यायालय
2	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	1216.11	2013–14	आयकर आयुक्त (अपील)
3	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	472.82	2005–06	आयकर अपीलीय अधिकरण
4	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	1906.30	2017–18	आयकर आयुक्त (अपील)
5	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	39056.83	2018–19	आयकर आयुक्त (अपील)

*में ऐसी राशि है जिसमें मांग नोटिस की तिथि से 31.03.2021 तक ब्याज सहित राशि है।

8. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.5 में किए गए विस्तृत विमर्श के अनुसार जीएनसीटीडी को 5000.00 लाख के देय के पुनर्भुगतान के अलावा किसी वित्तीय संस्थान, बैंक तथा सरकार से प्राप्त ऋणों अथवा उधारों के पुनर्भुगतान में किसी प्रकार की चूक नहीं की है। हालांकि, कंपनी ने वर्ष के दौरान डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है।

9. हमें प्रदान की सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, दिनांक 5 फरवरी, 2019 को प्राप्त 35,000.00 लाख रूपए की कुल ऋण राशि में से 10191.90 लाख रूपए की राशि का उपयोग नहीं किए जाने के अलावा, जिस उद्देश्य से आवधिक ऋण के लिए आवेदन किए थे उनका समग्र आधार पर उसी उद्देश्य से उपयोग किया गया है।

10. हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के अपने अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ कोई जालसाजी प्रकाश में नही आई है अथवा सूचित नहीं की गई है।

11. हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई प्रबंधकीय मानदेय का भुगतान नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (11) लागू नहीं होता है।

12. हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार,यह कंपनी, निधि कंपनी नहीं है। तद्नुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (12) लागू नहीं होता है।

13. हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा किए गए कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर संबंधित पक्षकारों के संबंध में लेनदेन, जहां कहीं लागू है, कंपनी अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के अनुसरण में किया गया है तथा ऐसे लेन–देन का प्रकटीकरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में किया गया है।

14. हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा किए गए कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनयोग्य डिबेंचरों का अधिमान्य आबंटन अथवा निजी स्थापन नहीं किया गया है।

15. हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी ने स्वयं से संबंधित निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (15) लागू नहीं होता है।

16. हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 008726एन

ह0/–
(सीए विनोद साहनी)
साझेदार
सदस्य संख्या 086666
यूडीआई नंबर : 23086666बीजीवीपीएफएल1014

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.01.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का 'अनुलग्नक–ख'

(प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण को संबोधित रिपोर्ट के "अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट" पर हमारी उसी तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ (17)(एफ) में संदर्भित।)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गतआंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमारे **प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड** ("कंपनी") के31 मार्च, 2021 की स्थिति के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, कंपनी के उसी तिथि को समाप्त वर्ष के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की है।

1. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदयित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों के निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचलित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

2. लेखापरीक्षकों का उत्तरदयित्व

हमारा उत्तरदयित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय विवरण (दिशानिर्देश नोट) के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश नोट तथा अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखा परीक्षण किया जाना अपेक्षित किया गया है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या हर सारवान पहलू में ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं। हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन संबंधी प्रभाविता की सटीकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादितकरना शमिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सारवान दोष के रूप में जोखिम के मूल्यांकन तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं तथा जालसाजी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के सारवान दुर्विवरणका मूल्यांकन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है। हमारी यह धारणा है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

3. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतःस्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए तैयार प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं,

1) जिससे रिकॉर्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान प्रदर्शित होता हो;

2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही की गई है; और

3) जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होते हों तथा जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हों ।

(क) वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण सारवान गलतबयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

(ख) मत

हमारे मतानुसार, हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा पर आंतरिक नियंत्रण के संबंध में भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय विवरणों के सदंर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के सभी सारवान् पहलुओं मे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का पर्याप्त अनुरक्षण किया है।

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 008726एन

ह0/–
(सीए विनोद साहनी)
साझेदार
सदस्य संख्या 086666
यूडीआई नंबर : 23086666बीजीवीपीएफएल1014

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.01.2023

अनुलग्नक ग

('अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट' पर हमारी उसी तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित।)

वर्ष 2020–2021 के लिए निदेश

1	क्या कंपनी में सभी लेखांकन लेन–देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से प्रोसेस करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद है? यदि हां तो आईटी प्रणाली से बाहर उन लेखांकन लेन–देनों को प्रोसेस करने के प्रभावों के साथ उनके वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, बताएं।	जी हां। कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन लेनदेनों को प्रोसेस करने के लिए ऐसी प्रणाली अर्थात एसएपी एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मौजूद है।
2	क्या कंपनी की ऋण पुनर्भुगतान करने की अक्षमता के कारण कंपनी को किसी देनदार द्वारा दिए गए किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना या अधित्याग/ऋण/ऋण/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डाला गया है? यदि हां, तो उसका वित्तीय प्रभाव बताएं।	ऐसा कोई मामला नहीं है।
3	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को उनकी शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार खाते में लिया गया है/प्रयुक्त किया गया है।	जी हां। कंपनी ने शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार निधियों को खाते में लिया गया है/प्रयुक्त किया गया है।

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 008726एन

ह0/–
(सीए विनोद साहनी)
साझेदार
सदस्य संख्या 086666
यूडीआई नंबर : 23086666बीजीवीपीएफएल1014

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14.01.2023

प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन यू74899डीएल2001एसजीसी109135

31 मार्च, 2021 की यथास्थिति को तुलन पत्र

(रुपये लाख में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति	31 मार्च, 2020 की स्थिति
परिसंपत्तियां			
गैर–चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	2	**339,780.08**	**361,851.78**
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	**11,955.38**	**12,372.53**
अमूर्त परिसंपत्तियां	4	**0.09**	**0.88**
प्रयोगाधिकार परिसंपत्तियां	5	**2,827.84**	**2,970.61**
वित्तीय परिसंपत्तियां	6	**212.65**	**212.65**
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	7	**3,144.47**	**4,781.72**
योग गैर–चालू परिसंपत्तियां		**357,920.51**	**382,190.17**
चालू परिसंपत्तियां			
मालसूचियां	8	**7,315.61**	**6,366.87**
वित्तीय परिसंपत्तियां			
व्यवसाय प्राप्य	9	**400,655.98**	**405,562.97**
नकदी एवं नकदी समतुल्य	10	**75,643.34**	**77,665.92**
नकदी एवं नकदी समतुल्य से इतर बैंक शेष	11	**68,286.03**	**70,432.53**
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	**30,022.39**	**26,090.72**
चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	13	**13,006.89**	**1,864.49**
अन्य चालू परिसंपत्तियां	14	**914.30**	**1,035.57**
कुल चालू परिसंपत्तियां		**595,844.54**	**589,019.07**
विनियामक स्थगन खाता नामे शेष	15	**6,638.74**	**6,638.74**
कुल परिसंपत्तियां		**960,403.79**	**977,847.98**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16	**207,419.00**	**207,419.00**
अन्य इक्विटी	17	**506,767.99**	**441,584.36**
कुल इक्विटी		**714,186.99**	**649,003.36**
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधारी	18	**85,019.76**	**153,081.49**
पट्टागत देयताएं	40	**598.78**	**616.64**
प्रावधान	19	**608.60**	**565.81**
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	20	**49,629.29**	**45,232.29**
कुल गैर–चालू देयताएं		**135,856.43**	**199,496.23**

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति	31 मार्च, 2020 की स्थिति
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधारी	21	**22,067.03**	**13.89**
पट्टागत देयताएं	40	**17.86**	**16.38**
व्यापार देय	22		
– सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों को देय कुल बकाया		**430.86**	**318.35**
– सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्यों को देय कुल बकाया		**11,928.02**	**13,942.37**
अन्य वित्तीय देयताएं	23	**60,345.94**	**105,963.02**
अन्य चालू देयताएं	24	**422.41**	**454.44**
प्रावधान	19	**44.02**	**4,222.32**
चालू कर देयताएं (निवल)	25	**12,441.15**	**1,371.76**
योग चालू देयताएं		**107,697.29**	**126,302.53**
आस्थगित राजस्व	26	**2,663.07**	**3,045.86**
योग इक्विटी एवं देयताएं		**960,403.79**	**977,847.98**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1		

संलग्न नोट 1 से 54 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 008726एन

ह0/–
(सीए विनोद साहनी)
साझेदार
सदस्य संख्या 086666
यूडीआई नंबर : 23086666बीजीवीपीएफएल1014

ह0/–
(धीरज कुमार निमवाल)
सहायक कंपनी सचिव

ह0/–
(संजय कुमार चौधरी)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.01.2023

ह0/–
(मुकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (तकनीक)
डीआईएन – 08572379

ह0/–
(अजिमुल हक)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 03578730

प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन यू74899डीएल2001एसजीसी109135

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण

(रुपये लाख में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व			
प्रचालनों से राजस्व	27	**303,836.42**	**497,232.56**
अन्य आय	28	**6,544.32**	**7,795.63**
कुल राजस्व		**310,380.74**	**505,028.19**
व्यय			
ईंधन खपत की लागत	29	**145,414.24**	**227,570.39**
कर्मचारी हितलाभ व्यय	30	**11,775.55**	**14,444.13**
वित्तीय लागत	31	**19,168.76**	**22,942.45**
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	32	**30,205.97**	**29,370.19**
अन्य व्यय	33	**18,549.62**	**15,567.05**
कुल व्यय		**225,114.14**	**309,894.21**
कर पूर्व लाभ/(हानि) एवं विनियामक स्थगन खाता शेष		**85,266.60**	**195,133.98**
कर व्यय			
चालू कर		**15,588.46**	**34,349.94**
पूर्व वर्षों के		**-**	**-**
आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)		**4,431.08**	**4,568.52**
कुल कर व्यय		**20,019.54**	**38,918.46**
विनियामक स्थगन खाता शेष पूर्व वर्ष में लाभ/हानि		**65,247.06**	**156,215.52**
विनियामक स्थगन खाता शेष में संचलन			
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)		**65,247.06**	**156,215.52**
अन्य व्यापक आय			
–मदें, जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा (निवल कर)		**(97.49)**	**(84.58)**
–परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर निवल बीमाकिंक लाभ/(हानि)		**(34.07)**	**(29.56)**
–घटाएं – उपर्युक्त मदों से संबंधित आयकर			**-**
–विनियामक स्थगन खाता शेष में निवल संचलन		**(63.42)**	**(55.02)**
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय		**65,183.64**	**156,160.50**

प्रति इक्विटी शेयर आय (10 रुपये प्रति शेयर)	48		
मूल/तनुकृत प्रति इक्विटी शेयर आय (रुपये में) (विनियामक स्थगन खाता शेष प्रचालन सहित)		**3.15**	**7.53**
मूल/तनुकृत प्रति इक्विटी शेयर आय (रुपये में) (विनियामक स्थगन खाता शेष प्रचालन के अलावा)		**3.15**	**7.53**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

संलग्न नोट 1 से 54 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 008726एन

ह0/-
(सीए विनोद साहनी)
साझेदार
सदस्य संख्या 086666
यूडीआई नंबर : 23086666बीजीवीपीएफएल1014

ह0/-
(धीरज कुमार निमवाल)
सहायक कंपनी सचिव

ह0/-
(संजय कुमार चौधरी)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.01.2023

ह0/-
(मुकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (तकनीक)
डीआईएन – 08572379

ह0/-
(अजिमुल हक)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 03578730

प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन यू74899डीएल2001एसजीसी109135

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति
क. प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह		
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ और हानि		
निम्नलिखित के लिए समायोजनः		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	30,205.97	29,370.19
पट्टागत देयताओं पर ब्याज	55.51	56.86
ब्याज लागत	19,113.25	22,885.59
ब्याज आय	(6,317.56)	(7,415.92)
देयताएं/प्रावधान प्रतिलेखित	(0.02)	(2.36)
अनुदान आय	(37.36)	(37.36)
संपत्ति,संयंत्र तथा उपस्करों की बिक्री से हानि	-	371.00
बट्टा खाता संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	519.21	-
वर्ष के दौरान सृजित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए प्रावधान	2.01	0.91
एफबीटी की संदेहास्पद वसूली के लिए प्रावधान	-	-
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	(345.62)	(345.61)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**128,461.99**	**240,017.28**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः		
मालसूची में (वृद्धि)/कमी	(948.74)	(760.47)
व्यवसाय प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	4,906.99	(61,177.92)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(3,931.67)	(12,130.89)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	121.27	(181.96)
गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	-	-
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	15.28	(15.23)
व्यापार देय में (वृद्धि)/कमी	(1,901.84)	801.20
अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	1,120.61	(15,216.86)
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(32.03)	37.47
वृद्धि/(कमी) के लिए प्रावधान	(4,234.99)	4,070.72
सरकार से प्राप्त अनुदान	-	-
प्रचालन से उत्पन्न रोकड़	**123,576.87**	**155,443.34**
घटाएं : चुकता आयकर	14,039.50	32,972.85
प्रचालन क्रियाकलापों से उत्पन निवल रोकड़ अंतर्वाह {क}	**109,537.37**	**122,470.49**

ख. निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों का क्रय	(8,092.59)	(4,956.07)
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की बिक्री से आय	(0.00)	0.26
बैंक जमाओं का निवल निवेश/(मोचन)	1,709.08	11,517.78
प्राप्त ब्याज	6,754.98	7,924.16
निवेश क्रियाकलापों से निवल रोकड़ बहिर्वाह{ख}	**371.46**	**14,486.13**
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह		
गैर–चालू उधारियों से आय	(77,458.32)	(59,682.02)
गैर–चालू उधारियों की पुनः अदायगी	-	-
अल्पावधि उधारियों का निवल भुगतान	22,053.14	(3,248.37)
पट्टागत देयताओं का भुगतान (ब्याज सहित)	(71.89)	(71.89)
चुकता ब्याज	(56,454.35)	(47,284.29)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़ बहिर्वाह {ग}	**(111,931.42)**	**(110,286.57)**
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) {क+ख+ग}	**(2,022.60)**	**26,670.06**
वर्ष के आरम्भ में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	77,665.92	50,995.87
वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	75,643.32	77,665.93

रोकड़ प्रवाह टिप्पणियां

क. रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के घटक (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति
बैंकों में शेष		
चालू खाते	45.39	843.56
3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले जमा	75,597.81	76,819.00
हस्तगत रोकड़	-	0.01
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट	0.14	3.35
नोट –10 के अनुसार योग	**75,643.34**	**77,665.92**

ख. वित्तीय कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं के लिए तुलन पत्र में अथशेष और अंतिम शेष का मिलानः

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये लाख में)

विवरण	गैर–चालू उधारियां	पट्टागत देयता	चालू उधारियां
1 अप्रैल, 2020 को शेष	200,688.38	633.02	23,957.51
आहरित ऋण	-	-	22,029.20
चुकता ऋण	(77,458.32)	(71.89)	23.94
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज	32,680.06	55.51	(17,842.63)
वर्ष के दौरान चुकता ब्याज	(52,198.04)	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**103,712.08**	**616.64**	**28,168.02**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये लाख में)

विवरण	गैर–चालू उधारियां	पट्टागत देयता	चालू उधारियां
1 अप्रैल, 2019 को शेष	**285,254.07**	**648.05**	**26,720.91**
आहरित ऋण	-	-	-
चुकता ऋण	**(59,682.02)**	**(71.89)**	**(3,248.37)**
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज	**21,900.41**	**56.86**	**484.97**
वर्ष के दौरान चुकता ब्याज	**(46,784.08)**	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**200,688.38**	**633.02**	**23,957.51**

ग. 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आहरित न की गई उधार सुविधाओं की राशि 14,862.17 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 को 19,986.11 लाख रुपये है) है।

घ. चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मकता बढ़ाने के लिए चालू वर्ष की प्रस्तुति के अनुसार तुलनात्मक आंकड़ों को समायोजित किया गया है।

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 008726एन

ह0/–
(सीए विनोद साहनी)
साझेदार
सदस्य संख्या 086666
यूडीआई नंबर : 23086666बीजीवीपीएफएल1014

ह0/–
(धीरज कुमार निमवाल)
सहायक कंपनी सचिव

ह0/–
(संजय कुमार चौधरी)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.01.2023

ह0/–
(मुकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (तकनीक)
डीआईएन – 08572379

ह0/–
(अजिमुल हक)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 03578730

प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन यू74899डीएल2001एसजीसी109135

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी (रुपये लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2020 को शेष	20,741.90	207,419.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	20,741.90	207,419.00

ख) अन्य इक्विटी (रुपये लाख में)

विवरण	अन्य इक्विटी			कुल
	सामान्य रिजर्व	विशेष रिजर्व*	प्रतिधारित आय	
01 अप्रैल, 2020 को शेष	25,000.00	26,640.61	389,943.75	441,584.36
वर्ष में लाभ	-	-	65,247.06	65,247.06
अन्य व्यापक आय	-	-	(63.42)	(63.42)
प्रतिधारित आय में/(से) अंतरण	-	2,972.07	(2,972.07)	(0.00)
31 मार्च, 2021 को शेष	**25,000.00**	**29,612.68**	**452,155.32**	**506,768.00**

ग) संचित अन्य व्यापक आय, निवल कर का विश्लेषण

परिभाषित हितलाभ देयता का पुनःमापन (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021को स्थिति
अथशेष	4.66
परिभाषित हितलाभ देयताओं का पुनःमापन	(63.42)
अंत शेष	**(58.77)**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी (रुपये लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2019 को शेष	20,741.90	207,419.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**20,741.90**	**207,419.00**

ख) अन्य इक्विटी

(रुपये लाख में)

विवरण	अन्य इक्विटी			कुल
	सामान्य रिजर्व	विशेष रिजर्व*	प्रतिधारित आय	
01 अप्रैल, 2019 को शेष	25,000.00	23,034.44	237,389.42	285,423.86
वर्ष में लाभ	-	-	156,215.52	156,215.52
अन्य व्यापक आय	-	-	(55.02)	(55.02)
प्रतिधारित आय में/(से) अंतरण	-	3,606.17	(3,606.17)	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**25,000.00**	**26,640.61**	**389,943.75**	**441,584.36**

* संदर्भ नोट 17

ग) संचित अन्य व्यापक आय, निवल कर का विश्लेषण

परिभाषित हितलाभ देयताओं का पुनःमापन

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को स्थिति
अथशेष	59.68
परिभाषित हितलाभ देयताओं का पुनःमापन	(55.02)
अंत शेष	**4.66**

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 008726एन

ह0/–
(सीए विनोद साहनी)
साझेदार
सदस्य संख्या 086666
यूडीआई नंबर : 23086666बीजीवीपीएफएल1014

ह0/–
(धीरज कुमार निमवाल)
सहायक कंपनी सचिव

ह0/–
(संजय कुमार चौधरी)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.01.2023

ह0/–
(मुकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (तकनीक)
डीआईएन – 08572379

ह0/–
(अजिमुल हक)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 03578730

प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. कंपनी विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्टिंग इकाई

प्रगति पावर कंपनी लिमिटेड (पीपीसीएल, कंपनी) सीमित शेयरों से युक्त भारत में स्थित निगमित कंपनी है। कंपनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के अध्यधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है तथा इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) (सीआईएनः यू74899डीएल2001एसजीसी109135) द्वारा प्रोन्नत किया जा रहा है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय हिमाद्रि राजघाट पावर हाऊस, नई दिल्ली–110002 में स्थित है। कंपनी विद्युत उत्पादन और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्य में विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को विद्युत की आपूर्ति के व्यवसाय में कार्यरत है। कंपनी के पास दो पावर स्टेशन अर्थात इन्द्रप्रस्थ स्थित प्रगति पावर स्टेशन–1 (पीपीएस–1) जो 330 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला गैस आधारित विद्युत संयत्र है, जिसका आरंभ 2002–03 के दौरान हुआ था तथा यह दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा विनियमित है और प्रगति पावर स्टेशन–3 (पीपीएस–3) बवाना में स्थित है जो 1371.20 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ एक गैस आधारित विद्युत संयत्र है, जिसका आरंभ 2013–14 के दौरान हुआ था और यह केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा विनियमित है। 750 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ बमनौली में प्रगति पावर स्टेशन–2 (पीपीएस–2) निर्माणाधीन है।

ख. निर्माण का आधार

1. अनुपालन विवरण

इन वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन की प्रोद्भूत प्रणाली के उपयोग से गोइंग कंसर्न आधार पर एवं कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिनियम भारतीय लेखांकन मानकों और अनुवर्ती संशोधनों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचना की अवधि एवं लागू होने के अनुसार), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और विद्युत अधिनियम, 2003 के यथा लागू प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

इन वित्तीय विवरणों को जारी करने का प्राधिकार निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2021 को जारी किया गया है। अधिकरण से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात निदेशक मंडल को पिछले किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों के संबंध में संशोधित वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकते हैं।

2. मापन का आधार

ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित के अलावा ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:–

- कतिपय वित्तीय संपत्तियां और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है (संदर्भ वित्तीय प्रपत्रों से संबंधित लेखांकन नीति);
- कर्मचारी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के मामले में योजना संपत्तियों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है; और
- बिक्री के लिए धारण की गई परिसम्पतियों को उनकी न्यूनतम वहन लागत एवं उचित मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री लागत पर स्वीकृति दी जाती है।

उचित मापन के लिए उपयोग में लाई गई विधियों की चर्चा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में की गई है।

ऐतिहासिक लागत वह रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य राशि है जो किसी परिसम्पति के अधिग्रहण के समय परिसम्पति के अधिग्रहण के लिए चुकता की गई हो अथवा उसके निम्मित उचित मूल्य दिया हो अथवा ऐसे दायित्व के विनिमय के प्रति किसी राशि की प्राप्ति की गई हो अथवा व्यवसाय के सामान्य व्यवहार के दौरान देयताओं की पूर्ति के लिए रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य चुकता किए जाने की प्रत्याशा की गई हो।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो मापन की तिथि को किसी परिसम्पति की बिक्री से प्राप्त किया गया हो अथवा जो बाजार प्रतिभागियों के साथ क्रमबद्ध लेन–देन के लिए किसी देयता के अंतरण के लिए चुकता किया गया हो।

3. **कार्यात्मक एवं प्रतिपादन की मुद्रा**

इन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपयेमें की गई है, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। कहीं कोई अन्यथा उल्लेख न होने की स्थिति में प्रस्तुत प्रत्येक वित्तीय सूचनामें रुपये को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में राउंड ऑफ किया गया है।

4. **चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण**

कंपनी द्वारा अपनी परिसम्पतियों एवं देयताओं को तुलन पत्र में चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

कोई परिसम्पति चालू परिसम्पति तब होती है जबः–

- वह नकदीकरण अथवा बिक्री के लिए नियत हो अथवा सामान्य प्रचालन क्रम में खपत की जाने वाली हो;
- प्रारम्भ से ही व्यवसाय के लिए धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बारह माह के भीतर बिक्री की जानी हो; अथवा
- यदि विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।

अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया गया है।

कोई देयता चालू तब होती है जबः–

- सामान्य प्रचालन क्रम में इसका निपटान संभावित हो;
- यह मुख्यतः व्यवसाय के उद्देश्य से धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर इसका समाधान किया जाना हो; अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का कोई असंबंध अधिकार न हो।

अन्य सभी दायित्वों का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है। चालू देयताओं में गैर–चालू वित्तीय दायित्वों का चालू भाग शामिल है।

12 माह की अवधि को सामान्य प्रचालन चक्र मानते हुए आस्थगित कर परिसम्पतियों/देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग में लाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप सार नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों का उपयोग वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से किया गया है।

कंपनी द्वारा भारतीय लेखांकन मानक 16 तथा भारतीय लेखांकन मानक 38 के प्रावधानों का उपयोग पूर्वकाल के लिए न करने तथा पूर्व सामान्य स्वीकृत लेखांकन प्रक्रिया (जीएएपी) की वहन लागत को भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत अवस्थांतरण तिथि अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से मानित लागत के रूप में उपयोग के लिए भारतीय लेखांकन मानक एएस 101 में उपलब्ध विकल्प का चयन किया गया है। तदनुसार, सम्पति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसम्पतियों की वहन राशियां 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति अर्थात भारतीय लेखांकन मानकमें संक्रमण की तिथि को पूर्व सामान्य स्वीकृत लेखांकन प्रक्रिया (जीएएपी) के अनुसारही संक्रमणसे भारतीय लेखांकन मानक में अनुरक्षित की गई हैं।

1. **सम्पति, संयंत्र एवं उपस्कर**

1.1 **आरंम्भिक स्वीकृति एवं मापन**

किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद की परिसम्पति के रूप में स्वीकृति केवल मद से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होने तथा मद की लागत का मापन विश्वसनियता से किया जा सकने की संभावना उपलब्ध होने की स्थिति में ही की गई है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदों की प्रारंभिक स्वीकृति उसकी लागत पर की गई है। अनुवर्ती मापन उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन एवं संचित अपसामान्य क्षतियों की लागत, यदि कोई हों, में से घटाकर किया गया है। लागत में वे व्ययशामिलहैं, जो प्रबंधन के अभिप्रेत उद्देश्य से प्रचालन योग्य बनाने के लिए संपत्ति को स्थल तथा आवश्यक स्थिति में लाए जाने के लिए प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं।

जब किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपस्कर के किसी भागका उपयोज्यताकाल भिन्न होता है तो उनकी स्वीकृति अलग अलग की जाती है।

प्रयोग में लाई जा रही किसी ऐसी सम्पति के मामले में, जिसके बिलों का अंतिम निपटान ठेकेदारों के साथ अभी नहीं किया गया है, अचल आधार पर पूंजीयन वर्ष के दौरान अंतिम समाधान किए जाने की शर्त पर किया जाता है।

एक से अधिक प्रचालन यूनिटों द्वारा समान उपयोग के लिए उपयोग की जा रही परिसम्पतियों का पूंजीयन इंजीनियरिंग अनुमान/मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

अतिरिक्त पूर्जों की मदों, आपातोपयोग उपस्करों तथा संपत्ति की परिभाषा में आने वाले सेवायोज्यता उपस्कर, संयंत्र एवं उपस्कर संयंत्र का पूंजीयन किया जाता है। अन्य अतिरिक्त पूर्जों को मालसूची के रूप में अग्रेषित किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में उनकी स्वीकृति खपत के अनुसार की जाती है।

1.2 अनुवर्ती लागतें

अनुवर्ती व्यय की स्वीकृति परिसम्पति की वहन राशि में वृद्धि के साथ तब की गई है जब ऐसे व्यय की लागत से उत्पन्न होने वाले भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कंपनी को होने तथा मद की लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकने की संभावना उपलब्ध हुई है।

जनरेटिंग यूनिट की प्रमुख जांच एवं ओवरहॉल पर किए गए व्यय का पूंजीयन परिसम्पति स्वीकृति को पूरा किए जाने की स्थिति में किया गया है।

किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद के प्रतिस्थापन भाग की लागत की स्वीकृति उस मद की वहन राशि में तब की जाती है जब ऐसा स्थापित किया जा सके कि उस भाग में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों से कंपनी को लाभ प्राप्त होंगे तथा इसकी लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकेगा। मरम्मतयोग्य न होने की स्थिति में प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि की स्वीकृति नहीं की जाती है। रोजमर्रा उपयोग में लाई जाने वाली सम्पति, संयंत्र एवं उपस्कर की स्वीकृति लाभ अथवा हानि के रूप में व्यय के तौर पर की जाती है।

1.3 अस्वीकृति

सम्पति, संयंत्र तथा उपस्कर का स्वीकृति तब समाप्त की जाती है, जब उनके उपयोग अथवा उनके निपटान से भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। सम्पति की किसी मद, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान से होने वाले लाभों तथा हानियों का निर्धारण निपटान से प्राप्त की गई आय की तुलना सम्पति, संयंत्र तथा उपस्कर की वहन राशि के साथ करके इसे लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

1.4 मूल्यह्रास

सम्पति, संयंत्र एवं उपस्कर के प्रत्येक मद के उपयोज्यता काल का अनुमान सीधी रेखा आधार पर करके लाभ एवं विवरण में मूल्य ह्रास को स्वीकृति दी जाती है।

मूर्त परिसम्पतियों के मूल्यह्रास की दरों को सरल विधि तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 के भाग 'ख' के अनुसरण में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर सूचित की जाने वाली विधि के उपयोग से प्रभारित किया गया है।

पूंजीयन की जा चुकी प्रमुख ओवरहॉल एवं जांच की लागतों का मूल्यह्रास अगली अनुसूचित कटौती अवधि अथवा वास्तविक प्रमुख जांच/ओवरहॉल होने तक की अवधि के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, किया जाता है।

तकनीकी आंकलन पर 2 से 5 वर्ष का उपयोगी जीवन काल मानते हुए पूंजीगत कलपुर्जों को मूल्यह्रासित किया जाता है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपस्कर के मूल्यह्रास में किए गए संवर्धन/घटाव को वर्ष के दौरान अनुपात आधार पर उस माह से/तक के लिए प्रभारित किया जाता है, जिस माह में सम्पति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध हुई थी।

जब विनिमय दर में उतार चढ़ाव, मूल्य समायोजन, कार्यों में परिवर्तन अथवा समान कारकों से दीर्घकालिक देयताओं में बढ़त/घटत होने के कारण, वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों से परिसम्पतियों की लागत में मूल्यह्रास होता है तो मूल्यह्रास से संबंधित लागू लेखांकन नीतियों का उपयोग करके ऐसी गैर परिशोधित परिसम्पतियों के बकाया प्रयोज्य जीवन का निर्धारण करते हुए भविष्य में प्राप्य शेष को प्रभारित किया जाता है।

ऐसी संभावना होने पर कि व्यय की गई किसी लागत से उद्यम को भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभों में बढ़ोतरी हो सकेगी तथा लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकेगा तो उसकी गैर परिशोधित राशि के साथ पीपीई पर किए जाने अनुवर्ती व्यय का प्रभारन तकनीकी मूल्यांकन से निर्धारित संशोधित प्रयोज्य जीवन का निर्धारण करते हुए किया जाता है।

किसी परित्यक्त सम्पति की परिस्थिति में उस सम्पति के संबंध में समान अवधि के लिए संचयी पूंजी लागतों का बट्टा कर दिया जाता है।

2. पूंजी कार्य प्रगति पर

रिपोर्टिंग तिथि को उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार न होने वाली संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर पर व्यय लागत को प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के तहत् वर्गीकृत किया जाता है।

स्वनिर्मित परिसम्पतियों की लागत में सामग्री एवं प्रत्यक्ष श्रम की लागत सहित अन्य कोई ऐसी लागत भी शामिल है जो प्रबंधन एवं ऋण लागतों के आशित उद्देश्य से प्रचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसम्पति को स्थल पर एवं आवश्यक स्थिति में लाने के लिए किए गए व्यय से प्रत्यक्ष संबद्ध हो तथा ऋण लागतें शामिल हैं। सम्पति के निर्माण, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में उनके आशयित उपयोग की स्थिति में लाने के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्यय संबंधित परिसम्पतियों की लागत पर सुव्यवस्थित आधार पर प्रभारित एवं आबंटित किए जाते हैं।

डिपॉजिट कार्य/लागत जमा ठेकों का लेखांकन ठेकेदारों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर किया जाता है।

आपूर्ति एवं निर्माण संविदा के संबंध में स्थल पर प्राप्त एवं स्वीकृत आपूर्तियों के मूल्य को प्रगतिशील कार्य माना जाता है। संविदाओं के मामले में मूल्य अंतर/विनिमय दर अंतर के कारण अभुक्त देयताओं का लेखांकन नियम एवं शर्तों के अनुरूप अनुमानित आधार पर किया जाता है।

3. अमूर्त परिसंपत्तियां

3.1 स्वीकृति एवं मापन

किसी अमूर्त परिसम्पति की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसा संभाव्य हो कि परिसम्पति से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभों से कंपनी को लाभ प्राप्त होंगे तथा इसकी लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकेगा।

कंपनी द्वारा अर्जित सीमित उपयोज्य जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का मापन उनकी लागत में से संचित परिशोधन एवं संचित अपसामान्य हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया जाता है। लागत में परिसम्पति को उसके आशित उपयोग की स्थिति में लाने के उद्देश्य से किए गए प्रत्यक्ष सम्बद्ध आनुषंगिक व्यय, यदि कोई हों, शामिल होते हैं। सरकारी अनुदान से बिना किसी प्रभार अथवा सामान्य प्रभार से प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियों का मापन एवं प्रभारन उनके नाममात्र के मूल्य पर किया जाता है।

3.2 अनुवर्ती लागतें

परिसम्पति की वहन राशि को अनुवर्ती व्यय के रूप में तब प्रभारित किया जाता है, जब ऐसा मान्य हो कि व्यय की गई लागत से भविष्य में प्राप्त होने लाभ कंपनी के लिए लाभकारी होंगे तथा मद की लागत का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा।

3.3 अस्वीकृति

किसी अमूर्त परिसम्पति को अस्वीकार कर दिया जाता है जब उसके उपयोग अथवा निपटान से होने वाला भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। अमूर्त परिसम्पति की किसी मद के निपटान से होने वाले लाभों तथा हानियों का निर्धारण

निपटान से प्राप्त की गई आय की तुलना अमूर्त परिसम्पति की मद की प्रतिधारण राशि के साथ करके, इसे लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

3.4 परिशोधन

अमूर्त परिसम्पति के रूप में मान्य साफ्टवेयर का परिशोधन विधिक अधिकार से प्रयोग की सीधी रेखा विधि अथवा 3 वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, में किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर सम्बद्ध संयंत्र के उपयोग के विधिक अधिकार अथवा उपयोज्यता काल की अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में किया जाता है।

4. उधारी लागतें

ऋण लागतों में (क) भारतीय लेखांकन मानक–109 वित्तीय लिखत में वर्णित प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से आंकलन किया गया ब्याज व्यय (ख) भारतीय लेखांकन मानक–116 'पट्टे' के अंतर्गत स्वीकृत पट्टों से संबंधित वित्त देयता (ग) ब्याज लागतों में समायोजित किए गए विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न विनिमय अंतर उस सीमा तक जिस तक उन्हें ब्याज लागतों का समायोजन माना जाए, (घ) कोई अन्य लागत जिसे कोई इकाई निधियां उधार लेने के संबंध में खर्च करती है।

किसी योग्य परिसम्पति के अधिग्रहण अथवा निर्माण से सीधे सम्बद्ध उधारी लागतों का पूंजीयन परिसम्पतियों के भाग के रूप में उस समय तक किया जाता है, जब तक ऐसी परिसम्पतियां आशयित उद्देश्य के लिए तैयार होती है। योग्य परिसम्पतियां वे परिसम्पतियां होती हैं, जिनके आशयित उद्देश्य के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है।

कंपनी द्वारा योग्य परिसम्पति की प्राप्ति के विशिष्ट उद्देश्य से निधियों की उधारियों पर होने वाली ऋण लागतों का पूंजीयन किया जाता है। कंपनी द्वारा सामान्य रूप से प्राप्त ऋण निधि का उपयोग योग्य परिसम्पति की प्राप्ति के लिए किए जाने की स्थिति में ऋण लागत का आकलन सामान्य ऋण की उस भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है, जो अवधि के दौरान बकाया है तथा जिसका उपयोग योग्य परिसम्पति के अधिग्रहण अथवा निर्माण/स्थापना के लिए किया गया है। हालांकि, योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से ली जाने वाली विशिष्ट उधारियों की उधारी लागतों को इस गणना से हटा दिया जाता है जब तक कि उस परिसंपत्ति को उसके आशयित उद्देश्य या विक्रय के लिए आवश्यक होने वाले समस्त कार्यकलाप सारतः पूर्ण न हो जाएं।

ऋण लागत का पूंजीयन संतोषजनक रूप से योग्य परिसम्पति के संबंध में आशयित उद्देश्य के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक क्रियाएं पूरी होने पर खत्म हो जाता है।

योग्य परिसम्पति पर बकाया व्यय के लिए लम्बित उधारियों के अस्थाई निवेश से अर्जित आय को पूंजीयन योग्य ऋण लागतों में से घटा दिया जाता है।

अन्य उधारी लागतों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें ये व्यय की गई हैं।

5. गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की क्षति

कंपनी की गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए की जाती है कि क्या भारतीय लेखांकन मानक 36 ''परिसम्पतियों की क्षति'' में किए गए प्रावधानों के विचार से इसमें क्षति के लक्षण मौजूद हैं अथवा नहीं। ऐसे लक्षण मौजूद होने की स्थिति में परिसम्पति की प्राप्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं।

उपयोग के लिए उपलब्ध न होने वाली परिसम्पति की प्राप्य राशि के अनुमान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लगाए जाते हैं।

किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पन्न करने वाली वाली यूनिट की प्राप्य राशि उसकी निपटान लागतों तथा उसके प्रयोग मूल्य को घटाकर, उसके उचित मूल्य से उच्चतर होती है। प्रयोगगत मूल्य का निर्धारण अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह को तत्समय के धन मूल्य के चालू बाजार निर्धारणों को दर्शाने वाले वर्तमान मूल्यों तथा परिसम्पति से संबद्ध जोखिमों से घटाकर किया जाता है। क्षति परीक्षण के उद्देश्य से अलग–अलग परीक्षण न की जा सकने वाली परिसम्पतियों को एक साथ मिलाकर परिसम्पतियों का ऐसा छोटा समूह बनाया जाता है, जिनके निरंतर उपयोग से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह अन्य परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूहों (''रोकड़ उत्पन्न करने वाली इकाई'' अथवा ''सीजीयू'') से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह से अलग होता है।

किसी अपसामान्य हानि की स्वीकार्यता तब होती है, जब उस परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि उसकी अनुमानित प्राप्य राशि से अधिक हो। अपसामान्य हानियों को लाभ एवं विवरण में शामिल किया जाता है। रोकड़ उत्पन्न करने वाली इकाई से संबंधित अपसामान्य हानियां रोकड़ उत्पन्न करने वाली इकाई की परिसम्पति की वहन राशि में से घटा दी जाती है।

अपसामान्य हानियों को पूर्वावधियों में शामिल किया जाता है तथा क्षति में घटत होने अथवा समाप्त होने से संबंधित निर्धारण प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है। प्राप्य राशि के निर्धारण के लिए लगाए गए अनुमानों में बदलाव आने की स्थिति में अपसामान्य हानि का व्युतक्रम किया जाता है। यदि किसी अपसामान्य हानि की स्वीकार्यता नहीं की गई है तो विस्तार वहन तक के लिए अपसामान्य हानि के संबंध में किया जाने वाला व्युत्क्रम केवल परिसम्पति की वहन राशि की निर्धारित राशि, मूल्यह्रास अथवा परिशोधन के निवल से अधिक नहीं होगा।

6. मालसूचियां

अवशिष्ट सामग्री के अलावा मालसूचियों का मूल्यांकन उनकी न्यूनतम लागत तथा निवल प्राप्य मूल्य के अनुसार किया जाता है। लागतों में क्रय लागत तथा मालसूचियों को विद्यमान स्थल तथा स्थिति तक लाने के लिए व्यय की गई अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है। मालसूची की क्रय लागत का निर्धारण रियायतों तथा छूटों को घटाकर होता है। निवल उदग्रहण मूल्य के अनुमान सामान्य व्यवसाय अनुक्रम में उनकी बिक्री दर में से उन्हें पूर्ण किए जाने की लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित लागतों को घटाकर लगाए जाते हैं। अवशिष्ट मालसूची (सामान्यतः नगण्य) का मूल्य शून्य रखा जाता है जो इसका अनुमानित उदग्रहण मूल्य होता है।

अप्रचलित, अनुपयोगी तथा अतिरिक्त भंडार एवं पूर्जों के लिए घटाए जाने वाले मूल्यों का निर्धारण समीक्षा करके किया जाता है तथा उसका प्रावधान किया जाता है।

7. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों के संबंध में की जाने वाली प्रारम्भिक स्वीकार्यता, इनकी प्राप्ति तथा कंपनी द्वारा अनुदान से संबद्ध शर्तों का अनुपालन कर सकने के प्रति औचित्यपरक आश्वासन उपलब्ध होने पर, आस्थगित आय के तौर पर की जाती है। सरकारी अनुदान परिसम्पति से संबद्ध होने की स्थिति में परिसम्पति की लागत को उसके सकल मूल्य पर शामिल किया जाता है तथा लाभ एवं हानि विवरण में अनुदान को परिसम्पति के प्रयोज्य जीवन के लिए आय के रूप में स्वीकार्यता प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा किए गए व्यय के मुआवजे के तौर पर प्राप्त अनुदानों को उसकी लागतों से संबंधित अवधि के लिए स्वीकार्यता प्रदान की जाती है तथा इसे संबंधित व्ययों में से घटाया जाता है। सरकार से गैर मौद्रिक परिसम्पति के अंतरण के रूप में मुफ्त अथवा नाममात्र के भुगतान पर प्राप्त अनुदान के प्रति नाममात्र राशि प्रभारित की जाती है।

8. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में बैंकों में जमा एवं उपलब्ध तथा तीन माह अथवा कम की सामान्य परिपक्वता वाले अर्थसुलभ म्यूचअल फंड एवं अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो मूल्य में परिवर्तन के अल्प जोखिम के अधीन है।

9. प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पतियां

किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप किसी ऐसे प्रावधान को मान्यता तब प्रदान की जाती है, जब कंपनी का ऐसा कोई विद्यमान विधिक अथवा आन्वयिक दायित्व हो जिसका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके तथा यह संभाव्य है कि उसके निपटान के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की अपेक्षा है। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सारवान है तो प्रावधानों का निर्धारण कर पूर्व दरों पर संभावित भावी रोकड़ प्रवाह को न्यून करके इस प्रकार किया जाता है कि उससे धन के समय मूल्य और दायित्वों के विशिष्ट जोखिम के चालू बाजार आंकलन प्रदर्शित हो सकें।छूट का उपयोग किए जाने की स्थिति में समय बीत जाने के साथ प्रावधान में की जाने वाली वृद्धि को वित्त लागत के रूप में स्वीकार किया जाता है।

प्रावधान के रूप में स्वीकार की गई राशि, दायित्व से जुड़े जोखिमों तथा अनिश्चितताओं को ध्यान में रखकर, रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान दायित्वों का निपटान करने के लिए अपेक्षानुसार विचार करके, उत्तम अनुमान के अनुसार आंकी जाती है।

किसी प्रावधान के निपटान के लिए किसी तृतीय पक्षकार से कुछ अथवा सभी आर्थिक लाभों की अपेक्षा होने पर प्राप्यों के प्रति प्रतिपूर्ति होने तथा प्राप्य राशि का मापन किए जा सकने की निश्चितता हो तो उसे परिसम्पति के रूप में स्वीकार्यता दी जाती है। प्रावधान से संबंधित व्यय किसी प्रतिपूर्ति के सकल योग के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाए गए हैं।

आनुषंगिक देयताएं संभावित दायित्व होते हैं, जो पूर्व घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तथा जिनके आस्तित्व की पुष्टि भविष्य में उनके एक अथवा अधिक अवसरों पर घटित होने से होती है, जो कि कंपनी के नियंत्रण से परे होते हैं। किसी दायित्व के प्रति जब किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की अपेक्षित उत्पति अथवा प्राप्त होने वाली राशि के विश्वसनीय अनुमान संभावित न हों। तथा उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों की प्राप्ति की संभावना अत्यधिक कम होती है तो ऐसे दायित्व का प्रकटन आनुषंगिक देयता के तौर पर किया जाता है। आनुषंगिक देयताओं का प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी पुनरीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू प्रबंधन अनुमान प्रदर्शित करने के लिए इसमें समायोजन किया जाता है। रोकड़ प्रवाह की समयावली का निश्चय नहीं किया जा सकता है।

आनुषंगिक परिसम्पति वे संभावित परिसम्पतियां होती हैं जो पूर्व घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं तथा जिनके आस्तित्व की पुष्टि भविष्य में उनके एक अथवा अधिक अवसरों पर घटित होने से होती है, जो कि कंपनी के नियंत्रण से पूर्णतः परे होते है। आनुषंगिक परिसम्पतियों का वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण उनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित होने के संबंध में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर किया जाता है। वित्तीय विवरणों में इनके विकास की उचित प्रस्तुति के निश्चय के लिए इनका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं विनिमय

विदेशी मुद्राओं में किए जाने वाले लेन-देन की आरंभ में स्वीकृति, कार्यात्मक मुद्रा में लेन-देन की तिथि को एवं विद्यमान दरों को विचार में लेकर की जाती है।

विदेशी मुद्राओं में वर्णित मौद्रिक परिसंपत्तियों का अंतरण, उनकी कार्यात्मक मुद्रा के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि की विद्यमान विनिमय दरों पर किया जाता है। मौद्रिक मदों के समाधान अथवा अंतरण से उत्पन्न विनिमय दर अंतरों को उनके लेन-देन वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में दर्शाया जाता है जिसमें ये पैदा हुए हैं। इसका अपवाद यह है कि संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अधिग्रहण से संबंधित दीर्घावधि मौद्रिक मदों के 31 मार्च, 2015 तक मान्यता प्राप्त विनिमय अंतरों को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और पूंजीगत चालू कार्य की वाहन लागत पर समायोजित किया जाता है।

ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में गैर-मौद्रिक मदों का मापन विदेशी मुद्रा में उनके लेन-देन की तिथि को विनिमय दर के उपयोग से अंतरण करते हुए उनकी लागत के अनुसार किया जाता है।

11. राजस्व

कंपनी के राजस्व की उत्पति ऊर्जा की बिक्री एवं ग्राहकों से विलंबित भुगतानों पर प्राप्त सरचार्ज से होती है। अन्य आय से प्राप्त होने वाले राजस्व में बैंकों तथा अन्यों से प्राप्त ब्याज, एफवीटीपीएल पर मापन किए गए म्युचुअल फंडों से अर्जन, बीमा दावों, अनुदान आय, किराया आय, स्क्रैप की बिक्री एवं अन्य प्रचालन आय से होती है।

1 अप्रैल, 2018 से संचयी प्रभाव विधि,जो 1 अप्रैल 2018 तक पूरे न की गई संविदाओं के लिए लागू है, का उपयोग भारतीय लेखांकन मानक 115 "संविदाओं तथा ग्राहकों से प्राप्त राजस्व" को अंगीकार करके किया गया है।

11.1 ऊर्जा की बिक्री से राजस्व

कंपनी के प्रचालनों का विनियमन एवं संचलन विद्युत अधिनियम, 2003 तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मूल्य सूची विनियमों के अंतर्गत होता है। तदनुसार ऊर्जा संयंत्रों के आधार पर कंपनी की मूल्य सूची समय-समय पर लागू मूल्य सूची विनियमों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। मूल्य सूची विशिष्ट ऊर्जा संयंत्र पर व्यय की गई पूंजी लागत पर आधारित होती है तथा मुख्यतः इसके दो घटक हैं यथा क्षमता प्रभार अर्थात नियत प्रभार, जिसमें मूल्यह्रास, इक्विटी पर लाभ, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, ऋण पर ब्याज तथा ऊर्जा प्रभार अर्थात ईंधन लागतों पर मुख्यतः आधारित परिवर्तनीय प्रभार शामिल होते हैं।

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व का मापन प्राप्त अथवा प्राप्य लाभ के उचित मूल्य के अनुसार किया जाता है। राजस्व की मान्यता तब दी जातीहै जब कार्यनिष्पादन दक्षता पूर्ण हो जो क्रेता को उत्पाद या सेवाएं अंतरित करने के पश्चात घटित होती है।

ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व का लेखांकन दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित मूल्य सूची दरों (अनंतिम के रूप में अंकित मदों के अलावा) पर विद्युत अपीलीय अधिकरण के आदेशानुसार संशोधित आवश्यक सीमा के आधार पर किया जाता है। ऐसे ऊर्जा स्टेशनों के मामले में, जिनकी मूल्य सूची दरों का अनुमोदन/अनंतिम के रूप में अंकित मदों के लिए अभी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाना है वहां लागू दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग मूल्य सूची विनियमों के अनुसार अस्थाई दरें प्रयोग में लाई जाती हैं। ग्राहकों को आवधिक तथा नियमित आधार पर बिल जारी किए जाते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व में ग्राहकों को की गई उस डिलीवरी का प्रोद्भूतन भी शामिल होता है, जो बिल न किया गया राजस्व होता है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के ऊर्जा लेखों के अंतिमकरण से उत्पन्न समायोजन संबंधित वर्ष में प्रभारित किए जाते हैं। विनियामक, अपीलीय अथवा वैधानिक प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों से उत्पन्न प्रभावों का लेखांकन आदेश जारी किए जाने के समय किया जाता है।

मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को पूर्व वर्षों का आस्थगित राजस्व मानकर बिक्री में इस प्रकार शामिल किया जाता है कि इससे वर्ष के दौरान मूल्य सूची में की गई वसूली का प्रसार प्रभारित किए गए अनुवर्ती मूल्यह्रास से कम हो।

लाभग्राहियों को समय पर भुगतान के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन छूट को राजस्व में से घटाया जाता है।

ऊर्जा की बिक्री के लिए विलंबित भुगतान/अतिदेय विविध लेनदारों पर ब्याज/अतिदेय को तब मान्यता दी जाती है जब भारतीय लेखांकन मानक 115 ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व के अनुरूप मापन या संग्रहणीयता के बारे में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं होती।

11.2 अन्य आय

ब्याज आय के लिए मान्यता तब दी जाती है, जब बकाया राशि तथा प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) के उपयोग से लागू ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए उनके मापन अथवा संग्रहणीयता के प्रति समय अनुपात के आधार पर महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं होती है।

किरायों से प्राप्त राजस्व की स्वीकार्यता संबंधित करार के सार के अनुसार, प्रोद्भूत आधार पर की जाती है।

बीमा दावों आय की स्वीकार्यता उदग्रहण की निश्चित होने पर आय के तौर पर की जाती है। अवशिष्ट एवं खराब सामान की बिक्री का लेखांकन उनका निपटान किए जाने पर किया जाता है।

आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्य अग्रिमएवं वारंटी दावों की प्राप्ति पर ब्याज/प्रभारों के प्रति अनिश्चितता होने की स्थिति में उन्हें प्रोद्भूत नहीं माना जाता है तथा इसलिए उनका लेखांकन प्राप्ति/स्वीकृति के लिए किया जाता है।

12. पट्टेदार के रूप में पट्टा

कंपनी ने 01 अप्रैल, 2019 से भारतीय लेखांकन मानक 116–'पट्टा' अपनाया है और इसे संशोधित भूतकालिक संक्रमण विधि का प्रयोग करते हुए 01 अप्रैल, 2019 से सभी मौजूदा पट्टों पर लागू किया है। परिणामस्वरूप, शुरुआती स्तर पर पट्टा देयता का मापन लागू वर्धित उधारी दर पर बकाया पट्टा भुगतानों को छूट प्रदान करते हुए वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। प्रयोगाधिकार परिसंपत्ति का पट्टा देयता के बराबर राशि पर मान्यता प्रदान की गई है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में तुलनाओं का समायोजन किया गया है इसलिए इन्हें भारतीय लेखांकन मानक 17 'पट्टा' के रूप में रिपोर्ट में शामिल किया जाता रहेगा। भारतीय लेखांकन मानक 17 के अनुसार लेखांकन नीतियों के विवरण को अलग से दर्शाया जाता है यदि वे भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत विहित नीतियों से भिन्न है।

कंपनी, संविदा की शुरुआत में ही निर्धारण कर लेती है कि क्या किसी संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा पट्टा है या उसमें पट्टा शामिल है यदि संविदा किसी प्रतिफल के बदले निश्चित समय के लिए चिह्नित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने का हस्तांतरण करता है। यह निर्धारण करने के लिए कि क्या कोई संविदा किसी चिह्नित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार का हस्तांतरण करती है क्या (1) संविदा में किसी चिह्नित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है (2) पट्टे की अवधि के दौरान

परिसंपत्ति के प्रयोग से प्राप्त होने वाले सभी आर्थिक लाभ सारतः कंपनी के पास हैं, और (3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश करने का अधिकार है।

कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए प्रयोगाधिकार परिसंपत्ति और उसकी संगत पट्टा देयता को मान्यता देती है जिसमें वह पट्टेदार है सिवाए उन पट्टों के जिसमें पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम हो (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य वाली परिसंपत्ति के लिए पट्टा। इन अल्पकालिक एवं कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टा के लिए कंपनी पट्टे की अवधि में सीधी–रेखा के आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता प्रदान करती है।

कुछ पट्टा बंदोबस्त में पट्टे को उसकी अवधि से पहले विस्तार देने या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। प्रयोगाधिकार परिसंपत्ति व पट्टा देयताओं में ये विकल्प शामिल होते हैं जब यह युक्तियुक्त रूप से निश्चित है कि पट्टा को विस्तारित करने का विकल्प प्रयोग किया जाएगा/पट्टे को समाप्त करने का विकल्प प्रयोग नहीं किया जाएगा।

प्रयोगाधिकार परिसंपत्तियों को शुरुआत में लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तिथि को या इससे पूर्व किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि और पट्टा प्रोत्साहन में से घटाकर सीधी लागत शामिल होती है। बाद में इनका मापन उस लागत पर किया जाता है जिसमें संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन व क्षति हानियां घटाई जाती हैं।

प्रयोधिकार परिसंपत्तियां अंडरलाइनिंग परिसंपत्तियों के उपयोग जीवनकाल के प्रारंभ से अंत तक मूल्य ह्रासित/परिशोधित की जाती है यदि पट्टे में अंडरलाइनिंग परिसंपत्ति के पट्टे की समाप्ति पर स्वामित्व अंतरित हो जाता है या प्रयोगाधिकार परिसंपत्तियों की लागत से यह स्पष्ट होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा अन्यथा, प्रयोगाधिकार परिसंपत्तियों को पट्टे की अवधि से पहले या अंडरलाइनिंग परिसंपत्ति के उपयोग काल में सीधी रेखा आधार पर मूल्य ह्रासित/परिशोधित किया जाता है।

प्रयोगाधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यांकन वसूली योग्यता के लिए किया जाता है जब कभी घटनाओं या परिसंपत्तियों में परिवर्तन से यह स्पष्ट होता है कि उनकी वहन राशि वसूली नहीं जा सकेगी। क्षति का परीक्षण करने के प्रयोजन से वसूली योग्य राशि का निर्धारण किसी परिसंपत्ति विशेष के आधार पर किया जाता है जब तक कि वह परिसंपत्ति रोकड़ प्रवाह पैदा न कर दे जो अन्य परिसंपत्तियों से मूलतः स्वतंत्र है। ऐसे मामलों में वसूली योग्य राशि, अर्थात उचित मूल्य से अधिक जिसमें विक्रय लागत और प्रयोग लागत घटा दी जाएगी, का निर्धारण उस रोकड़ सृजन करने वाली इकाई (सीजीयू) द्वारा किया जाता है जिससे परिसंपत्ति संबद्ध है।

पट्टा देयता का मापन प्रारंभ में भावी पट्टा भुगतान की ऋणमुक्ति लागत पर किया जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का इस्तेमाल करते हुए अर्थात तत्काल निर्धारण योग्य न होने पर वर्धित उधारी दर का इस्तेमाल करते हुए छूट दी जाती है यदि कंपनी अपने निर्धारण में परिवर्तन कर देती है कि यह विस्तार विकल्प या समापन विकल्प का इस्तेमाल करेगी तो पट्टा देयताओं का पुनः मापन संबंद्ध प्रयोगाधिकार परिसंपत्ति के संगत समायोजन के साथ किया जाता है।

तुलनात्मक अवधि में, पट्टेदार के रूप में, पट्टे को भारतीय लेखांकन मानक 17 के अनुसार खाते में लिया गया और वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नानुसार संचालित व खाते में लिया गया हैः

पट्टा व्यवस्था होने अथवा न होने का निर्धारण करना

किसी व्यवस्था को प्रारम्भ करते समय, उसमें पट्टे की व्यवस्था किए जाने अथवा न किए जाने का निश्चय किया जाता है।

किसी पट्टायुक्त व्यवस्था के प्रारम्भ में अथवा पुनर्मूल्यांकन किए जाने पर उस व्यवस्था के लिए अपेक्षित भुगतान एवं अन्य प्रतिफल उनके उचित मूल्य पर विभाजित किए जाने के आधार पर पट्टे तथा अन्य घटकों में विभाजित करके किया जाता है। किसी वित्त पट्टा के लिए यह माने जाने की स्थिति में कि भुगतान विश्वसनीय रूप से विभाजित करना व्यवहार्य नहीं है,ऐसी स्थिति में परिसम्पति एवं किसी देयता की स्वीकार्यता उस दर पर की जाती है, जो मूलभूत परिसम्पति के उचित मूल्य की राशि के समान हो। किए जाने वाले भुगतान से देयताएं न्यून हो जाती हैं तथा देयताओं के प्रति आरोपित वित्त लागत की स्वीकृति आवर्धित उधारी दरों पर की जाती है।

पट्टाकार के तौर पर वित्त पट्टे का लेखांकन

ऐसी सम्पति, संयंत्र तथा उपस्कर का पट्टा जहां कंपनी ने पट्टाकार के रूप में स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों का सारत् अंतरण कर दिया है उन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्त पट्टे के अंतर्गत धारण की गई परिसम्पतियों की

प्रारंभिक स्वीकृति प्रदान करते समय इन्हें ऋण के अंतर्गत सम्पति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा सम्बद्ध दायित्व की स्वीकृति देकर रिकॉर्ड किया जाता है। पट्टे के प्रारम्भ में वित्त पट्टों को पट्टाकृत परिसम्पति के उचित मूल्य की समतुल्य राशि पर तथा कम होने पर न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर रिकॉर्ड किया जाता है। वित्त परिसम्पतियों के अंतर्गत चुकता न्यूनतम पट्टा भुगतानों को वित्त व्यय एवं बकाया दायित्व में कटौती करके विभाजित कर दिया जाता है। दायित्व के शेष बकाया पर समान आवधिक ब्याज दर निर्मित करने के लिए वित्त व्यय का प्रभारण पट्टा काल की पूर्ण अवधि में किया जाता है।

पट्टाकार के तौर पर प्रचालन पट्टे का लेखांकन

ऐसे पट्टों को जिनका स्वामित्व एवं जोखिमों एवं प्रतिफलों से अधिकांश भाग कंपनी को पट्टेदार के रूप में स्थानांतरित नहीं किया गया है प्रचालनरत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पट्टेदार द्वारा संभावित मुद्रास्फीति लागत वृद्धियों के लिए प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप संरचित भुगतान न होने पर प्रचालनरत पट्टे के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति पट्टे पर किए गए व्यय के रूप में स्वीकार्यता प्रदान की गई है। प्रचालनरत पट्टे के लिए व्यय की गई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें आस्थगित की गई हैं तथा उन्हें पट्टा के लिए लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

पट्टाकार के तौर पर वित्त पट्टे का लेखांकन

यदि प्राप्यों की संरचना के अनुसार संभावित मुद्रास्फीति लागत की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ साथ बढ़ाए जाने की व्यवस्था नहीं की गई है तो प्रचालनात्मक पट्टों से प्राप्त होने वाली किराया आय की स्वीकृति पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर की जाती है।

13. कर्मचारी हितलाभ

13.1 अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

सेवा के बारह माह के दौरान देय सभी कर्मचारी हितलाभों को अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वेतन, मजदूरी, बोनस इत्यादि जैसे लाभों का मापन बिना छूट उत्पति के आधार पर किया गया है तथा कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की संबद्ध अवधि के लाभ एवं हानि विवरणों में इसे प्रभारित किया गया है। किसी देयता की स्वीकार्यता उस संभावित राशि के लिए की गई है, जो निष्पादन संबद्ध वेतन के लिए कंपनी के विद्यमान विधिक अथवा आन्वयिक दायित्व के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पूर्व सेवाओं के परिणामस्वरूप देय राशि के लिए होती है तथा जिसके दायित्वों के अनुमान विश्वसनीयता के साथ लगाए जा सकते हैं।

13.2 परिभाषित अंशदायी योजना

परिभाषित अंशदायी योजना सेवानिवृत्ति उपरांत प्रदान किए जाने वाले लाभों की एक योजना है, जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा अलग इकाइयों में नियत अंशदान का भुगतान किया जाता है तथा आगे की राशियों के भुगतान के प्रति उसका विधिक अथवा आन्वयिक दायित्व नहीं होता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में किए जाने वाले अंशदान के दायित्वों को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्ययों के रूप में उस अवधि के दौरान दर्शाया जाता है, जिस अवधि में कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की गई थी। पूर्वदत्त अंशदानों को उनके परिमाण के अनुसार नकद धनवापसी अथवा भावी भुगतानों में कमी उपलब्ध होने के विचार से परिसम्पति की संज्ञा प्रदान की गई है।

कंपनी में कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी भविष्य निधि योजना है, जिसका प्रशासन एवं प्रबंधन भारत सरकार द्वारा किया गया है। कर्मचारी तथा कंपनी दोनों के द्वारा कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार बराबर मासिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष के लिए निधि में किए गए अंशदान को व्यय के रूप में दर्शाया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि विवरण मे प्रभारित किया गया है।

13.3 परिभाषित हितलाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना, रोजगार के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों की एक योजना है, जो परिभाषित अंशदायी योजना से भिन्न है। कर्मचारियों के प्रति उपदान एवं सेवानिवृत्ति के उपरांत दिए जाने वाले चिकित्सा लाभों के प्रति कंपनी की देयताएं

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। कंपनी द्वारा उपदान में निधियन किया जाता है जिसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा अधिक समय तक सेवा प्रदान की है, 20 लाख रुपयेकी निर्धारित अधिकतम सीमा की शर्त के साथ सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ते) के उपदान का पात्र है। उपदान के दायित्व सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवाएं समाप्त करने, अशक्तता अथवा मृत्यु होने की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) मौजूद है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसके जीवन साथी को निर्धारित सीमाओं की शर्त पर कंपनी के अस्पताल/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है।

परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कंपनी के निवल दायित्वों का आकलन प्रत्येक योजना के लिए अलग अलग उन भावी लाभों के अनुमान, वर्तमान मूल्य के अनुसार निर्धारित करके, लगाकर किया जाता है, जो कर्मचारियों द्वारा चालू तथा पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के फलस्वरूप अर्जित किए हैं, जिसकी अस्वीकृत पूर्व सेवा लागतों तथा किसी योजना परिसम्पति के उचित मूल्य को घटा दिया जाता है। निर्धारित दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों, जो कंपनी के दायित्वों के संबंध में परिपक्वता तिथि से युक्त हैं, के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है तथा जिसके मूल्य का अंकन उसी मुद्रा के अनुसार किया जाता है, जिस मुद्रा में लाभ के भुगतान चुकता किए जाने अपेक्षित हैं।

आंकलन का निष्पादन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से प्रतिवर्ष किसी योग्य बीमांकिक द्वारा किया जाता है। आंकलन के परिणाम कंपनी के हित में होने की स्थिति में स्वीकृत परिसम्पति किन्हीं गैर स्वीकार्य पूर्व सेवा की लागतों तथा योजनागत अथवा योजना में भावी अंशदान की कटौतियों की किसी भावी धनवापसी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्यों के योग तक परिसीमित होती है। कंपनी को आर्थिक लाभ या तो तब प्राप्त होता है जब यह योजना के काल के दौरान अथवा योजना देयताओं के निपटान होने पर प्राप्ति योग्य हो। किसी प्रकार के बीमांकिक लाभों अथवा हानियों की स्वीकार्यता ओसीआई में उनके उत्पन्न होने पर की जाती है।

सेवा उपरांत लागत को लाभ व हानि विवरण में योजनागत संशोधन या कटौती की तिथि से पूर्व तथा कंपनी द्वारा संबद्ध पुनर्संर्चना लागतों द्वारा मान्यता दिए जाने पर यदि कोई योजनागत संशोधन, कटौती या समझौता होता है तो चालू सेवा लागत और पुनः मापन के लिए धारणाओं का इस्तेमाल करते हुए पुनः मापन किए जाने पर निवल ब्याज का निर्धारण होता है, मान्यता दी जाती है।

13.4 कर्मचारियों के लिए अन्य दीर्घकालिक लाभ

कंपनी द्वारा छुट्टी नकदीकरण एवं छुट्टी यात्रा रियायत के तौर पर दिए जाने वाले लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों के अंतर्गत आते हैं। भावी लाभों के प्रति कंपनी के सकल दायित्व की राशि कर्मचारी के उन भावी लाभों के लिए होती है जो कर्मचारियों ने अपनी चालू तथा पूर्व अवधि की सेवाओं के फलस्वरूप अर्जित की हैं, जिसके वर्तमान मूल्य के निर्धारण के लिए लाभ का प्रतिफल तथा उसका उचित मूल्य संबद्ध परिसम्पति में से घटाया जाता है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों, जो कंपनी के दायित्वों के संबंध में परिपक्वता तिथि से युक्त हैं, के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है तथा जिसके मूल्य का अंकन उसी मुद्रा के अनुसार किया जाता है, जिस मुद्रा में लाभ के भुगतान चुकता किए जाने अपेक्षित हैं। आकलन का निष्पादन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से किया जाता है।किसी प्रकार के बीमांकिक लाभों अथवा हानियों की स्वीकार्यता उस अवधि में की जाती है जिसमें वे पैदा होती है।

13.5 कॉर्पोरेट अंशभाग

इंद्रप्रस्थ पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आईपीजीसीएल) के साथ की गई व्यवस्था के उपबंधों के अनुसार कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितलाभ व्यय का सहभाजन संबंधित कम्पनियों के ऊर्जा संयंत्रों की संस्थापित क्षमता के अनुपात में किया जाता है। तद्नुसार, इन कर्मचारी हितलाभों को अंशदायी योजनाओं में स्वीकृति दी गई है और इन्हें लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है।

14. लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को अदा किए गए लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि की इक्विटी में मान्यता दी जाती है जिसमें ये क्रमशः शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

15. **आयकर**

आयकर व्यय चालू एवं आस्थगित कर से युक्त होते हैं। चालू कर व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है जिसमें संबंधित मदों की स्वीकार्यता प्रत्यक्षतः अन्य व्यापक आय (ओसीआई) अथवा इक्विटी के अंतर्गत होने के अलावा स्थिति में दर्शाई जाती है तथा ऐसी स्थिति में इसकी स्वीकार्यता क्रमशः ओसीआईया इक्विटी मेंकी जाती है।

चालू कर, वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग तिथि पर लागू दरों अथवा अधिनियमित दरों पर करयोग्य आय पर अनुमानित देय कर होता है तथा जिसमें पूर्व वर्षों के संबंध में देय किसी कर का समायोजन होता है।

आस्थगित कर की स्वीकृति तुलन पत्र विधि से वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसम्पतियों तथा देयताओं की वहन राशियों एवं कराधान उद्देश्य से प्रयोग में लाई गई राशियों में अस्थाई अंतर स्थापित करते हुए की जाती है। आस्थगित कर का मापन उन कर दरों पर किया जाता है जो व्युत्क्रमण, अधिनियमित विधान के आधार पर अथवा मूलतः रिपोर्टिंग तिथि के लिए लागू, होने की स्थिति में अस्थाई अंतरों के लिए उपयोग में लाए जाने संभावित हैं। आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं को चालू कर देयताओं एवं परिसम्पतियों के साथ संतुलित करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार होने तथा आयकर के लिए उनकी सम्बद्धता समान कर प्राधिकरण में होने की स्थिति में संतुलित किया जाता है।

आस्थगित कर को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें संबंधित मदों की स्वीकार्यता प्रत्यक्षतः अन्य व्यापक आय (ओसीआई) होने के अलावा स्थिति में दर्शाई जाती है तथा ऐसे मामले में इसकी स्वीकार्यता ओसीआई के तौर पर की जाती है।

आस्थगित कर परिसम्पति की स्वीकार्यता उस परिमाण के लिए की जाती है, जिसके संबंध में भावी कर लाभों की प्राप्ति की संभावना हो जिनसे अस्थाई अंतर के उपयोग किए जा सकें। आस्थगित कर परिसम्पतियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है तथा सम्बद्ध कर लाभ प्राप्त होने की संभावना समाप्त होने के मामलों में इसमें कमी की जाती है।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को लाभ एवं हानि के विवरणों में चालू कर के रूप में दर्शाया गया है। चुकता किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर से संबंधित इस अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध क्रेडिट को परिसम्पति के रूप में उस सीमा तक स्वीकार्यता प्रदान की जाती है, जिस सीमा के प्रति कंपनी को अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किए जाने तथा उसके लिए चुकता न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को अग्रेषित करके उपयोग किए जाने की निश्चितता हो। परिसम्पति के रूप में स्वीकार किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है तथा इसमें उस सीमा तक कमी की जाती है, जिस सीमा तक सम्बद्ध कर लाभ प्राप्त होने की संभावना समाप्त होती है। इसके अलावा, न्यूनतम वैकल्पिक कर की क्रेडिट परिसम्पति का प्रकटन आस्थगित कर परिसम्पति के शेष के साथ किया जाता है।

आयकर विचारण के बारे में अनिश्चितता होने पर कंपनी इस बात का निर्धारण करती है कि क्या कर प्राधिकारी अनिश्चित कर विचारण को स्वीकार कर सकता है। यदि कंपनी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकारी संभवत अनिश्चित कर विचारण को स्वीकार कर लेगा तब कर योग्य आय प्रभाव, कर आधारों, अनुप्रयुक्त कर हानियों व अनुप्रयुक्त कर केडिटों को मान्यता दी जाती है। अनिश्चितता का सर्वोत्तम समाधान करने वाले दृष्टिकोण के आधार पर कंपनी इस बात निर्धारण करती है कि क्या हर अनिश्चित कर विचारण पर अलग से या कुछ अन्य अनिश्चित कर विचारणों के साथ या कई अन्य अनिश्चित विचारणों के साथ विचार किया जाए।

16. **सारवान पूर्वावधि चूकें**

पूर्वावधि से संबंधित 10 लाख रुपयेसे अधिक की चूकों को पूर्वप्रभावी तौर पर उन पूर्वावधियों की तुलनीय राशियों के रूप में उल्लेख करते हुए किया जाता है, जिस अवधि के दौरान ऐसी चूकें हुई थी। यदि चूकें प्रस्तुत पूर्वावधियों से पूर्व हुई हैं तो पूर्वावधि के प्रस्तुत परिसम्पति, दायित्व एवं इक्विटी अथशेषों का पुनःउल्लेख किया जाता हैं।

17. **प्रति शेयर आय**

प्रति इक्विटी शेयरमूल आय का आकलन कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के शुद्ध लाभ अथवा हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

तनुकृत प्रति शेयर आय से उन आंकड़ों का समायोजन होता है जो ब्याज के कर उपरांत प्रभाव तथा तनुकृत भावी इक्विटी शेयरों की अन्य सम्बद्ध वित्तीय लागतों तथा परिवर्तन के विचार से बकाया रखे गए उन सभी तनुकृत भावी इक्विटी शेयरों की भारित औसत अतिरिक्त इक्विटी शेयर संख्या की प्रति शेयर आय के निर्धारण के लिए उपयोग में लाए गए हैं।

प्रति इक्विटी शेयर मूल व तनुकृत अर्जन की गणना अर्जन राशि का इस्तेमाल करके भी की जाती है जिसमें विनियामक आस्थगित लेखा बकायों में संचलन घटा दिया जाता है।

18. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण की उत्पति भारतीय लेखांकन मानक–7 ''रोकड़ प्रवाह विवरण'' के उल्लिखित विधि का अनुसरण करते हुए की गई है।

19. विनियामक स्थगन खाता शेष

कंपनी को भारतीय लेखांकन मानक 114, विनियामक स्थगन खाते का आवेदन करने की योग्यता प्राप्त है। इस मानक के अंतर्गत कोई योग्य इकाई पूर्व जीएएपी (दर विनियमित क्रियाकलापों के लेखांकन के लिए मार्गदर्शी नोट) लेखांकन नीति का उपयोग अपने विनियामक स्थगन खाता शेष के संबंध में कर सकती है। इस प्रकार कंपनी द्वारा अपनी पूर्व जीएएपी लेखांकन नीति का उपयोग ऐसे शेष के लिए करने के विकल्प का चयन किया गया है।

लाभ एवं हानि विवरण में आस्थगित कर के लिए प्रदान की गई स्वीकृति लाभग्राहियों से केन्द्रीय विद्युत विनियामक प्राधिकरण/दिल्ली विद्युत विनियामक प्राधिकरण के मूल्य सूची विनियमों के अंतर्गत अनुवर्ती अवधियों में वसूल की जाने वाली अथवा देय राशि के लिए की गई है तथा इसे 'विनियामक स्थगन लेखा शेष' के रूप में स्वीकृत किया गया है।

विनियामक स्थगन खाता शेष का समायोजन उस वर्ष के लिए किया गया है जिस वर्ष में ये लाभग्राहियों से वसूली योग्य अथवा देय हुए थे।

विनियामक स्थगन खाता शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को उसमें समाहित क्रियाकलापों की स्वीकृति मापदंडों की अनुरूपता एवं उससे सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभों की उत्पति का प्रवाह कंपनी के लिए होने के सुनिश्चय के लिए किया जाता है। यदि ये मापदंड पूरे नहीं होते हैं तो विनियामक स्थगन खाता शेष में की गई स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

20. प्रचालन खंड

भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसरण में विद्यमान खंड सूचना के लिए प्रयोग में लाए गए प्रचालन खंड का निर्धारण कंपनी के प्रबंधन द्वारा खंड के लिए निर्धारित संसाधनों के आबंटन तथा उनके निष्पादन के मूल्यांकन हेतु उपयोग में लाई गई आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर किया गया है। भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थ के दायरे में निदेशक मंडल समूह कंपनी का 'मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक' अथवा 'सीओडीएम' है। प्रबंधन के मतानुसार केवल एक सूचना योग्य खंड (''ऊर्जा उत्पादन'') है।

21. बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियां

बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसम्पतियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित सम्पति के रूप में यह संभावना होने पर किया जाता है कि उनके निरंतर उपयोग के स्थान पर उनकी बिक्री किए जाने से मुख्यतः उनकी वसूली हो सकेगी। ऐसी परिसम्पतियों का मापन उनकी वहन राशि से कम तथा बिक्री की लागत में से उचित मूल्य घटाकर किया जाता है।

बाधा हानि को किसी आरंभिक या अनुवर्ती विक्रय के उचित मूल्य में से लागत घटाते हुए राइट डाउन की गई परिसंपत्ति के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। अर्जन को किसी परिसंपत्ति का विक्रय करने के लिए उसके उचित मूल्य में से लागत घटाते हुए अनुवर्ती वृद्धि पर मान्यता दी जाती है लेकिन पूर्व में मान्य की गई किसी आवर्ती बाधा हानि से अधिक नहीं है। गैर–चालू परिसंपत्ति के विक्रय की तिथि तक मान्य न किए गए लाभ व हानि को गैर–मान्यकरण की तिथि पर मान्यता दी जाती है। गैर चालू परिसंपत्तियों को विक्रय के लिए धारित करने के वर्गीकरणब होने पर मूल्य ह्रासित या परिशोधित नहीं किया जाता। विक्रय के लिए धारित के रूप में गैर चालू परिसंपतियों के रूप में वर्गीकरण होने पर इन्हें तुलन पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

22. वित्तीय प्रपत्र

वित्तीय प्रपत्र एक प्रकार कीसंविदा होती है जिससे किसी कंपनी की वित्तीय परिसम्पतियों तथा दूसरी कंपनी के वित्तीय दायित्वों अथवा इक्विटी प्रपत्रों की उत्पति होती है। कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को केवल तब ही मान्य करती है जब कंपनी प्रपत्र के संविदात्मक प्रावधानों की पक्षकार बन जाती है।

22.1 वित्तीय परिसम्पतियां

प्रारंम्भिक स्वीकार्यता तथा मापन

लाभ एवं हानि के माध्यम से वित्तीय परिसम्पतियों के उचित मूल्य पर रिकॉर्ड न किए जाने, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण अथवा जारी करने की की स्थिति मेंसभी वित्तीय परिसम्पतियोंकी स्वीकार्यता प्रारंभ में उचित मूल्य प्लस पर की गई है।

अनुवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर ऋण प्रपत्र

निम्नलिखित दोनों अपेक्षाएं पूरी होने की स्थिति में 'ऋण प्रपत्र' का मापन परिशोधन लागत पर किया जाता है:–

(क) परिसम्पति का धारण बिजनेस मॉडल के रूप में किया जाता है, जिसका उद्देश्य परिसम्पतियां का धारण संविदागत रोकड़ प्रवाह का एकत्रण करना है।

(ख) जिस सम्पति की संविदागत शर्तों में किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसा रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होता है, जो बकाया मूल राशियों की मूल राशि एवं ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान के लिए है।

प्रारम्भिक मापन के पश्चात, ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों का ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर अनुवर्ती मापन किया जाता है। परिशोधन लागत का आकलन ईआईआर की अंगभूत क्रिया के अनुसार किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण तथा शुल्क अथवा लागतों पर प्रीमियम को विचार में लेते हुए किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ अथवा हानि की वित्त आय शामिल होती है। परिशोधन से उत्पन्न हानियों को लाभ अथवा हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। यह श्रेणी सामान्यतः व्यवसाय एवं अन्य प्राप्यों के संबंध में लागू होती है।

उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण प्रपत्र (एफवीटीओसीआई)

निम्नलिखित दोनों मापदडों को पूरा किए जाने की स्थिति में ऋण प्रपत्रों का वर्गीकरण अन्य व्यापक आय से ऋण प्रपत्र के रूप में किया जाता है : (क) संविदागत रोकड़ प्रवाह तथा वित्तीय परिसम्पति की बिक्री द्वारा व्यवसाय मॉडल के दोनों लक्ष्य प्राप्त किए जाने, तथा (ख) परिसम्पति के संविदागत रोकड़ प्रवाह से मूल राशि एवं ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान की प्रस्तुति होती हो।

उचित मूल्य परअन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण प्रपत्र के वर्ग में शामिल ऋण प्रपत्र का मापन प्रारम्भ में तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय के रूप में की जाती है। तथापि, कंपनी द्वारा ब्याज आय, परिशोधन हानियों एवं व्युतक्रमण तथा विदेशी मुद्रा के विनिमय से होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त होने पर अन्य व्यापक आय में पूर्व स्वीकृत संचित लाभ अथवा हानि का पुनःवर्गीकरण लाभ एवं हानि इक्विटी में से किया जाता है। उचित मूल्य परअन्य व्यापक आय से ऋण प्रपत्रों का धारण करते हुए ऋण प्रपत्र को ईआईआर विधि के उपयोग से ब्याज आय की स्वीकृति दी जाती है।

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण प्रपत्र (एफवीटीपीएल)

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य के ऋण प्रपत्रों, ऋण प्रपत्रों के अवशिष्ट वर्ग में आते हैं। जब कोई ऋण प्रपत्र परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय से ऋण प्रपत्र के वर्गीकरण के मापदंड के दायरे में नहीं आता है तो उसका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण प्रपत्र के वर्ग में किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा किसी ऐसे ऋण प्रपत्र, जो अन्य व्यापक आय से ऋण प्रपत्र के वर्गीकरण के लिए अपेक्षित परिशोधित लागतों अथवा एफवीटीओसीआई के मापदंडों के अनुरूप है, का वर्गीकरण लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण प्रपत्र के रूप में किया जा सकता है। तथापि, ऐसे चयन की अनुमति केवल किसी असंगति (''लेखांकन मिसमैच'' के रूप में संदर्भित) को मापन के लिए न्यून करने अथवा समाप्त करने अथवा स्वीकृति दिए जाने की स्थिति में ही होती है। ऋण प्रपत्र का वर्गीकरण लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण प्रपत्र के वर्ग में किया जाता है।

अस्वीकृति

किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा, जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पति का भाग अथवा कंपनी की समान वित्तीय परिसम्पतियों का भाग) की मूलतः स्वीकृति समाप्ति (अर्थात कंपनी के तुलन पत्र में से हटाया जाना) तब की जाती है, जब :

- परिसम्पति से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाह के अधिकार कालातीत हो गए हों, अथवा
- कंपनी द्वारा रोकड़ प्रवाह की प्राप्ति के लिए परिसम्पति का अंतरण कर दिया हो अथवा ''आगे सौंपे जाने'' की व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होने वाले पूर्ण रोकड़ प्रवाह का भुगतान, बिना किसी वस्तुगत देरी क, किसी तृतीय पक्षकार को किसी दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकृत कर लिया गया हो; तथा कंपनी द्वारा या तो (क) कंपनी ने परिसम्पति से संबंद्ध सभी जोखिम एवं प्रतिफल मूलतः अंतरित कर दिए गए हों, अथवा (ख) कंपनी द्वारा परिसम्पति से संबंद्ध जोखिम एवं प्रतिफल का अंतरण करने अथवा उसका धारण करने के बजाय परिसम्पति का नियंत्रण अंतरित करके उसे दायित्व मान लिया गया हो।

वहन राशि और प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ व हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

वित्तीय परिसम्पतियों की क्षति

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसरण में कंपनी ने निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम निवेश की अपसामान्य क्षतियों के मापन एवं स्वीकार्यता के लिए संभावित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल प्रयोग किए हैं:

(क) ऐसी परिसम्पतियां, जो ऋण प्रपत्र हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋणों, ऋण प्रतिभूतियों. जमा. व्यवसाय प्राप्यों एवं बैंक जमा शेष से किया गया है।

(ख) भारतीय लेखांकन मानक–115 के अंतर्गत व्यवसाय प्राप्य

व्यवसाय प्राप्य और संविदा परिसंपत्ति/बिल न किए गए राजस्व के लिए, कंपनी भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय प्रपत्र द्वारा अपेक्षित सामान्य दृष्टिकोण अपनाती है जिसकी अपेक्षा जीवनकालिक हानियों को आरंभिक मान्यता किया जाना है।

अन्य वित्त परिसम्पतियों तथा जोखिम निवेश पर अपसामान्य क्षतियों की स्वीकार्यता के लिए कंपनी द्वारा प्रारंभिक स्वीकार्यता के पश्चात इसके ऋण जोखिम में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना का निर्धारण किया जाता है। ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि न होने की स्थिति में अपसामान्य क्षति की व्यवस्था के लिए 12 माह–ईसीएल उपयोग में लाया जाता है। तथापि, ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की स्थिति में ईसीएल का लाइफटाइम उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि के दौरान प्रपत्र की ऋण गुणवत्ता में प्रारंभिक स्वीकार्यता के पश्चात इसके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि न होने जैसा सुधार आता है तो इकाई द्वारा उसे बदलकर 12–माह के ईसीएल पर आधारित परिशोधन हानि भत्ते की स्वीकार्यता दी जाती है।

22.2 वित्तीय दायित्व

प्रारम्भिक स्वीकार्यता तथा मापन

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण प्रारम्भिक स्वीकार्यता पर उनके लाभ अथवा हानि, ऋण, अथवा देयताओं के उचित मूल्य पर उचित रूप से वित्तीय देयताओं के तौर पर किया जाता है। सभी वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक मान्यता उनके उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं देयताओं के मामले में उनकी निवल विशिष्ट लेन–देन लागतों पर की गई है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यवसाय एवं अन्य देयताएं, ऋण, प्रतिधारण धनराशि, जमा इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का परिशोधन लागत पर

प्रारंभिक मापन किए जाने के पश्चात ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। देयताओं के प्रति अस्वीकार्यता होने की स्थिति में लाभों एवं हानियों की लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकार्यता ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया से किसी छूट अथवा अधिग्रहण के प्रीमियम तथा अथवा लागतों, जो ईआईआर का अंगीभूत भाग हैं, को विचार में लेकर परिशोधन लागत का आकलन किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि के

अंतर्गत वित्तीय लागतों में शामिल किया जाता है। यह व्यवस्था सामान्यतः ऋणों, व्यवसाय देयताओं एवं अन्य संविदागत देयताओं के संबंध में लागू होती है।

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से वित्तीय देयताओं का उचित मूल्यन (एफवीटीपीएल)

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यन में व्यवसाय एवं लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक स्वीकृति द्वारा निर्दिष्ट वित्तीय देयताएं शामिल की गई हैं। वित्तीय देयताओं का व्यय निकट भविष्य में उनके पुनः क्रय के उद्देश्य से किए जाने की स्थिति में उनका वर्गीकरण व्यवसाय के लिए धारित के तौर पर किया जाता है। ऐसे वर्गीकरण में कंपनी द्वारा किए गए डेरिवेटिव वित्तीय उपक्रम भी शामिल हैं जो भारतीय लेखांकन मानक 109 'वित्तीय प्रपत्र' की परिभाषा के अंतर्गत हैज सम्बद्धता के लिए हैज प्रपत्र के रूप में निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। अलग से किए अंतर्निहित डेरिएटिव का वर्गीकरण भी, उनके प्रभावी हेजिंग प्रपत्र के लिए निर्दिष्ट न होने की स्थिति में, व्यवसाय के लिए धारित के रूप में किया गया है। व्यवसाय के लिए धारित देयताओं पर लाभ एवं हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक स्वीकृति के लिए निर्दिष्ट की गई वित्तीय निर्दिष्टियों की निर्दिष्टि केवल भारतीय लेखांकन मानक 109 के मापदंडों को पूरा किए जाने की स्थिति में प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि को की जाती है। एफवीटीपीएल के लिए निर्दिष्ट देयताओं के लिए अन्य व्यापक देयताओं में स्वयं के क्रेडिट जोखिम से सम्बद्ध परिवर्तनों के कारण होने वाले उचित मूल्य लाभ/हानियां प्रभारित की जाती है। ऐसे लाभ/हानियां बाद में लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित नहीं की जाती हैं। तथापि, कंपनी द्वारा संचयी लाभ अथवा हानि को इक्विटी में अंतरित किया जा सकता है। ऐसी देयताओं के उचित मूल्य में होने वाले अन्य सभी परिवर्तन लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं। कंपनी द्वारा लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से किसी भी वित्तीय देयता की उचित मूल्य पर निर्दिष्टि नहीं की गई है।

अस्वीकार्यता

किसी वित्तीय देयता की अस्वीकार्यता तब होती है जब देयता के दायित्वों का निर्वाह होता है अथवा वे निरस्त अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता की कोई देयता अत्यंत भिन्न शर्तों पर स्थान लेती है अथवा विद्यमान देयता की शर्तों में काफी बदलाव किए जाते हैं तो ऐसी बदली गई अथवा संशोधित की गई देयता को मूल देयता की अस्वीकार्यता तथा नई देयता की स्वीकार्यता के तौर पर लिया जाता है। इसमें संबंधित वहन राशियों को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

22.3 वित्तीय प्रपत्रों का समंजन

स्वीकृत राशियों के समंजन के लिए विधिक प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध होने तथा नेट आधार पर अथवा परिसम्पति से चल निधि प्राप्ति करके साथ ही साथ देयता का निपटान करते हुए उनका समाधान करने की मंशा होने पर वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन किया जाता है तथा उसकी शुद्ध राशियों को तुलन पत्र में दर्शाया जाता है। विधिक प्रवर्तनीय अधिकार भावी क्रियाओं के लिए आकस्मिक नहीं होना चाहिए तथा यह कंपनी अथवा काउंटर पार्टी के व्यवसाय एवं अकरण, ऋणशोधन क्षमता अथवा दिवालियापन की सामान्य प्रकार की क्रियाओं के लिए प्रवर्तनीय होना चाहिए।

घ. अनुमानों तथा प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन से निर्णय लेने, अनुमान लगाने तथा पूर्वानुमान लगाए जाने की अपेक्षा की गई है, जिनसे तुलन पत्र तैयार किए जाने की तिथि को लेखांकन नीतियों तथा परिसम्पतियों, देयताओं, आय, व्यय एवं संबंधित मद के प्रकटन तथा आकस्मिक परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रयोज्यता प्रभावित हो सकती है। अनुमान तथा प्रबंधन के निर्णय पूर्वानुभवों एवं औचित्यपरक समझे गए अन्य कारको एवं स्थितियों की अनुरूपता पर आधारित होते हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान तथा लगाए जाने वाले पूर्वानुमानों की समीक्षा अविरल आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधनों की स्वीकार्यता अनुमान संशोधित किए जाने की अवधि तथा किन्हीं भावी प्रभावित अवधियों के लिए की जाती है।

वित्तीय विवरणों की समझ के संवर्धन के उद्देश्य से, महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अनुमान, अनिश्चितता तथा लेखांकन नीतियों की उपयोज्यता के संबंध में लिए गए ऐसे प्रमुख निर्णय जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों में स्वीकृत राशियों पर हो सकता है, से संबंधित सूचना नीचे प्रस्तुत की गई हैः

1. **लेखांकन नीति तैयार करना**

लेखांकन नीतियां उस इस रीति से तैयार की जाती हैं जिससे वित्तीय विवरणों में लेन–देन, अन्य लागू स्थितियों व परिस्थितियों के बारे में अन्य संगत व विश्वसनीय सूचना शामिल हो। इन नीतियों को उस समय अपनाए जाने की आवश्यकता नहीं होती जब उनके अपनाए जाने का प्रभाव नाममात्र का होगा।

2. **संपति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसम्पतियों की उपयोज्यता अवधि**

विद्युत उत्पति के व्यवसाय की परिसम्पतियों की उपयोज्यता अवधि का निर्धारण दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 के अनुसरण में मूल्य सूची विनियमन के अंतर्गत किया जाता है।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संचलित परिसम्पतियों की उपयोज्यता अवधि, विद्युत उत्पति के व्यवसाय से भिन्न अन्य परिसम्पतियों के अलावा की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में की जाती है तथा उचित पाए जाने की स्थिति में इनका समायोजन भावी प्रभाव से किया जाता है।

3. **सम्पति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसम्पतियों की वसूली योग्य राशि**

सम्पति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसम्पतियों की राशि की वसूली ऐसे अनुमानों एवं पूर्वानुमानों पर आधारित होती है जो बाजार आउटलुक एवं ऊर्जा संयंत्रों से सम्बद्ध भावी रोकड़ प्रवाह के लिए संभावित होते हैं। ऐसे पूर्वानुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन का सारवान प्रभाव वसूली योग्य राशि के मापन पर हो सकता है तथा इससे क्षति के परिणाम हो सकते हैं।

4. **रोजगार उपरांत हितलाभ योजना**

कर्मचारी हितलाभ दायित्वों का मापन वास्तविक पूर्वानुमानों के आधार पर किया जाता है, जिसमें मृत्यु एवं निकासी दरों तथा संबंधित विकासों के संबंध में रियायती दरों, मुद्रास्फीति की दर के साथ ही साथ वेतन की दर में वृद्धि, पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। कंपनी के मतानुसार दायित्वों के मापन के लिए विचार में लिए गए पूर्वानुमान उचित हैं तथा इनका लेखा–जोखा रखा गया है। तथापि, ऐसे पूर्वानुमानों में होने वाले किसी बदलाव का सारवान प्रभाव परिणामी आकलनों पर पड़ सकता है।

5. **राजस्व**

कंपनी द्वारा ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व का रिकार्ड दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित, विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों पर यथा संशोधित, मूल्य सूची के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक 115 के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए किया जाता है। तथापि, मूल्य दर स्थापित न किए जाने के मामलों में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मूल्य सूची विनियमों के अनुसार लागू अस्थाई दरें उपयोग में लाई जाती हैं।

6. **प्रावधान तथा आकस्मिकताएं**

प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं की स्वीकार्यता के लिए गए निर्धारण भारतीय लेखांकन मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसम्पतियां' के अनुसरण में किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं के घटित होने के मूल्यांकन के लिए ऋण जोखिम की संभावनाओं एवं संभावित हानियों के संबंध में प्रबंधन के उचित निर्णय की अपेक्षा होती है। स्थितियां बदल जाने की स्थिति में निम्नलिखित अप्रत्याशित विकास ऐसी स्थितियों में बदलाव ला सकते हैं।

7. **आयकर**

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए चुकता/वसूल की जाने वाली राशियों सहित आयकर के प्रावधानों का निर्धारण करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण अनुमान लगाए जाते हैं।

8. **विनियामक स्थगन खाता शेष**

विनियामक स्थगन खाता शेषों की स्वीकृति के अंतर्गत भावी मूल्य सूची विनियमों सहित महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं क्योंकि ये भावी मूल्य सूची के माध्यम से वसूली योग्य/देय के लिए संभावित राशियों के अनुमानों पर आधारित होते हैं।

2. संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पीपीई)

31 मार्च, 2021 को स्थिति

(रुपये लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक
	1 अप्रैल 2020 को	परिवर्धन	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च 2021 को	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के लिए	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 को
भवन–पावर संयंत्र	49,020.63	-	-	**49,020.63**	8881.01	1860.19		**10,741.20**	**38,279.43**
अन्य भवन	5,726.86	-	-	**5,726.86**	972.78	159.15		**1,131.93**	**4,594.93**
सड़क, पुल, पुलिया व हेलिपैड	190.18	-	-	**190.18**	49.55	55.37		**104.92**	**85.26**
जल आपूर्ति पाइपलाइन	7,911.62	-	-	**7,911.62**	2456.55	493.41		**2,949.96**	**4,961.66**
संयंत्र एवं मशीनरी*	438,460.69	8,248.52	1081.90	**445,627.31**	129453.10	27240.31	562.69	**156,130.72**	**289,496.59**
फर्नीचर एवं जुड़नार	159.88	9.97	-	**169.85**	82.43	13.72		**96.15**	**73.70**
वाहन	207.22	0.40	-	**207.62**	88.90	20.89		**109.79**	**97.83**
कार्यालय उपस्कर	154.62	0.34	-	**154.96**	44.59	11.35		**55.94**	**99.02**
अस्पताल उपस्कर	2.96	-	-	**2.96**	0.10	0.18		**0.28**	**2.68**
कंप्यूटर हार्डवेयर	671.37	7.24	-	**678.61**	202.62	87.58		**290.20**	**388.41**
संचार उपस्कर	25.35	3.44	-	**28.79**	8.03	2.63		**10.66**	**18.13**
संरक्षा एवं सुरक्षा उपस्कर	2,003.30	240.02	-	**2,243.32**	443.23	117.64		**560.87**	**1,682.46**
योग	**504,534.68**	**8,509.93**	**1,081.90**	**511,962.71**	**142,682.89**	**30,062.42**	**562.69**	**172,182.63**	**339,780.08**

31 मार्च, 2020 को स्थिति

(रुपये लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक
	1 अप्रैल 2019 को	परिवर्धन	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2020 को
भवन–पावर संयंत्र	48,663.13	357.50	-	**49,020.63**	7034.77	1,846.24	-	**8,881.01**	**40,139.62**
अन्य भवन	5,726.68	0.18	-	**5,726.86**	814.11	158.67	-	**972.78**	**4,754.07**
सड़क, पुल, पुलिया व हेलिपैड	190.18	-		**190.18**	-	49.55		**49.55**	**140.63**
जल आपूर्ति पाइपलाइन	7,868.55	43.07	-	**7,911.62**	1964.81	491.74	-	**2,456.55**	**5,455.07**
संयंत्र एवं मशीनरी*	432,890.40	6,045.36	475.07	**438,460.69**	103106.55	26,450.36	103.81	**129,453.10**	**309,007.59**
फर्नीचर एवं जुड़नार	158.89	0.99	-	**159.88**	69.94	12.49	-	**82.43**	**77.45**
वाहन	207.22	-	-	**207.22**	58.97	29.93	-	**88.90**	**118.32**
कार्यालय उपस्कर	153.55	1.07	-	**154.62**	33.13	11.46	-	**44.59**	**110.03**
अस्पताल उपस्कर	0.05	2.91	-	**2.96**	0.00	0.10	-	**0.10**	**2.86**
कंप्यूटर हार्डवेयर	213.64	457.73	-	**671.37**	137.34	65.28	-	**202.62**	**468.75**
संचार उपस्कर	25.06	0.29	-	**25.35**	6.23	1.80	-	**8.03**	**17.32**
संरक्षा एवं सुरक्षा उपस्कर	1,889.24	114.06	-	**2,003.30**	334.28	108.95	-	**443.23**	**1,560.07**
योग	**497,796.41**	**7,213.34**	**475.07**	**504,534.68**	**113,560.13**	**29,226.57**	**103.81**	**142,682.89**	**361,851.78**

*अतिरिक्त कलपुर्जे जिनकी लागत 5.00 लाख रुपये और उससे अधिक है और जो संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लेखाकरण मापदंड को पूरा करते हैं, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

क) कंपनी द्वारा प्रतिभूति के रूप में बंधक रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की सूचना के लिए नोट संख्या 18 और 21 देखें।

ख) पूंजी खाते में ठेकों के निष्पादन की शेष अनुमानित राशि जिसके लिए 31 मार्च, 2021 में प्रावधान नहीं किए गए हैं 2019.68 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 को 1624.79 लाख रुपये)।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के सकल ब्लॉक में 84.95 लाख रुपये के कंप्यूटर हार्डवेयर (31 मार्च, 2020 को 84.95 लाख रुपये) और 21.24 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 को 21.24 लाख रुपये) का निवल ब्लॉक शामिल है, जिसका संयुक्त स्वामित्व पीपीसीएल और आईपीजीसीएल का है और इनका संयुक्त रूप से प्रयोग होता है।

घ) डीएसआईआईडीसी से पट्टाधारित फ्लैटों के संबंध में 2764.01 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 को 2,764.01 लाख रुपये) पट्टा करार को अभी निष्पादित किया जाना है।

3. पूंजी कार्य प्रगति पर

31 मार्च, 2021 को स्थिति (रुपये लाख में)

विवरण	01 अप्रैल, 2020 को	परिवर्धन	पूंजीयन	31 मार्च, 2021 को
सिविल कार्य – पीपीएस–3	74.52	-	-	**74.52**
संयंत्र और मशीनरी – पीपीएस–3	991.87	606.03	1,034.45	**563.45**
ईडीसी लंबित आवंटन – पीपीएस–2, बामनौली	10,985.81	-	-	**10,985.81**
पीपीएस–1 में जीटी1, जीटी2 व एसटीजी का वाइब्रेशन सिस्टम	43.36	3.76	47.12	-
ईआरपी के एचडब्ल्यू/एसडब्ल्यू का प्रमुख तकनीकी रिफ्रेश	-	2.57	2.57	-
एलएसपी कंट्रोल सिस्टम पीएलसी अपग्रेडेशन पीपीएस–1	-	25.25	25.25	-
इनर्जर सिस्टम अपग्रेडेशन पीपीएस–1	-	35.91	35.91	-
पीपीएस3 का एफजीएमओ और आजीएमओ ऑपरेशन	217.74			**217.74**
पीपीएस1 का एफजीएमओ और आजीएमओ ऑपरेशन	59.23	54.63		**113.86**
योग	**12,372.53**	**728.15**	**1,145.30**	**11,955.38**

31 मार्च, 2021 को स्थिति (रुपये लाख में)

विवरण	01 अप्रैल, 2019 को	परिवर्धन	पूंजीयन	31 मार्च, 2020 को
सिविल कार्य – पीपीएस–3	198.67	423.71	547.86	**74.52**
संयंत्र और मशीनरी – पीपीएस–3	2,570.32	880.94	2,459.39	**991.87**
ईडीसी लंबित आवंटन – पीपीएस–2, बामनौली	10,985.81	-	-	**10,985.81**
पीपीएस–1 में जीटी1, जीटी2 व एसटीजी का वाइब्रेशन सिस्टम		43.36	-	**43.36**
ईआरपी के एचडब्ल्यू/एसडब्ल्यू का प्रमुख तकनीकी रिफ्रेश	282.89	130.38	413.27	-
एसटीजी–पीपीएस1 की ओवरहॉलिंग	424.02	35.16	459.18	-
पीपीएस3 का एफजीएमओ और आजीएमओ ऑपरेशन	-	217.74	-	**217.74**
पीपीएस1 का एफजीएमओ और आजीएमओ ऑपरेशन	-	59.23	-	**59.23**
योग	**14,461.71**	**1,790.52**	**3,879.70**	**12,372.53**

क) बामनौली स्थित 750 मेगावॉट के विद्युत संयंत्र को 3,03,813.00 लाख रुपये की परियोजना लागत पर जीएनसीटीडी द्वारा इक्विटी निवेश के माध्यम से स्थापित किया जाना था। बीएचईएल को मार्च 2011 में 178,361.48 लाख रुपये मूल्य की टर्नकी परियोजना जारी की गई थी। तथापि, अगस्त, 2011 में जीएनसटीडी ने कंपनी को निर्देश दिया कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार से गैस के आवंटन के लिए ठोस वचनबद्धता के बिना परियोजना पर कोई व्यय न किया जाए। इस प्रकार यह टर्नकी परियोजना का कार्यान्वियन उसके बाद किया जाएगा। तथापि, 400 किलोवाट ओवरहैड लाइनों की शिफ्टिंग के संबंध में स्थल क्लीयरेंस प्राप्त की जा रही है। इसे पूंजी कार्य प्रगति पर के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ख) कंपनी द्वारा वर्ष 2008 में बीएचईएल को नवम्बर, 2010 तक कार्य समाप्ति की अनुसूची के साथ बवाना में 4एसटीजी तथा 2 एसटीजी से युक्त 1371.20 मेगावॉट पीपीएस–3 की कमीशनिंग के लिए टर्नकी परियेाजना कीसंविदा जारी की गई थी। परियोजना की सभी यूनिटें 2011–12 से 2013–14 के दौरान विलंब के साथ वाणिज्यिक रूप से कमीशन कर दी गई थीं। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 24615 लाख रुपये की राशि (31 मार्च, 2020: 21847.41 लाख रुपये) की निर्णीत हर्जाना (एलडी) राशि रोकी गई थी तथा निपटान संविदा के अंतिमकरण के पश्चात किया जाएगा तथा इसे नोट संख्या 24 में परियोजना निणीत हर्जाने के रूप में दर्शाया गया है।

संविदा की शर्तों के अनुसार 1063.94 लाख रुपये (31 मार्च, 2020: 9644.83 लाख रुपये) की राशि को "प्रचालनात्मक स्वीकृति एवं कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र" जारी होने तक रोक कर रखा गया है, जिसे नोट संख्या 23 में प्रतिधारित देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।

इसके अलावा, मुख्य संयंत्र से पृथक 637.97 लाख रुपये (31 मार्च, 2020: 2066.25 लाख रुपये) के शेष संयंत्र कार्य एवं कुछ सिविल कार्य अभी पूरे किए जाने हैं और इन्हें चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है। साइट पर सामग्री, जो बीएचईएल द्वारा कंपनी को नहीं सौंपी गई है, उसका आंकलन कब्जा हस्तांतरण पर किया जाएगा।

ग) विनिमय अंतर (निवल) की (–) 1.93 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 को (–)57.48 लाख रुपये) का पूंजीयन वर्ष के दौरान किया गया है।

4. अमूर्त परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2021 को स्थिति

(रुपये लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल ब्लॉक
	1 अप्रैल 2020 को	परिवर्धन	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च 2021 को	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के लिए	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 को
सॉफ्टवेयर	65.34	-	-	**65.34**	64.46	0.78	-	**65.25**	**0.09**
योग	**65.34**	**-**	**-**	**65.34**	**64.46**	**0.78**	**-**	**65.25**	**0.09**

31 मार्च, 2020 को स्थिति

(रुपये लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल ब्लॉक
	1 अप्रैल 2019 को	परिवर्धन	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2020 को
सॉफ्टवेयर	65.34	-	-	**65.34**	63.61	0.85	-	**64.46**	**0.88**
योग	**65.34**	**-**	**-**	**65.34**	**63.61**	**0.85**	**-**	**64.46**	**0.88**

क) कंपनी को 1.00 रुपये प्रतिमाह की लाइसेंस फीस का भुगतान करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के लाइसेंसी के रूप में "उपयोग अधिकार" के आधार पर भूमि (बवाना–95.36 एकड़ व पीपीएस–1 : 17.64 एकड़) का उपयोग करने का अधिकार है।

5. प्रयोगाधिकार

31 मार्च, 2021 को स्थिति

(रुपये लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल ब्लॉक
	1 अप्रैल 2020 को	परिवर्धन	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च 2021 को	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के लिए	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 को
भूमि–प्रयोगाधिकार##	648.05	-	-	**648.05**	35.67	35.67	-	**71.34**	**576.71**
भवन–प्रयोगाधिकार**	2,893.72	-	-	**2,893.72**	535.50	107.10	-	**642.60**	**2,251.13**
योग	**3,541.77**	**-**	**-**	**3,541.77**	**571.17**	**142.77**	**-**	**713.94**	**2,827.84**

31 मार्च, 2020 को स्थिति

(रुपये लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल ब्लॉक
	1 अप्रैल 2019 को	परिवर्धन	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2020 को
भूमि–प्रयोगाधिकार##	648.05	-	-	**648.05**	-	35.67	-	**35.67**	**612.38**
भवन–प्रयोगाधिकार**	2,893.72	-	-	**2,893.72**	428.40	107.10	-	**535.50**	**2,358.23**
योग	**3,541.77**	**-**	**-**	**3,541.77**	**428.40**	**142.77**	**-**	**571.17**	**2,970.61**

भारतीय लेखांकन मानक 116 'पट्टा' के शुरूआती प्रयोग पर, डीएसआईआईडीसी भूमि व दिल्ली जल बोर्ड के लिए प्रयोगाधिकार परिसंपत्तियों मान्यता दी जाती है जिन्हें पूर्ववर्ती भारतीय लेखांकन मानक 17 'पट्टा' के अंतर्गत संचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

** भारतीय लेखांकन मानक 116 'पट्टा' का शुरूआती प्रयोग पर, 'अन्य भवनों' में पूर्व में शामिल पट्टा को "प्रयोगाधिकार–भवन" के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। पट्टे के लिए नोट संख्या 39 का हवाला लें।

6. वित्तीय परिसंपत्तियां (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
अरक्षित, शोध्य		
प्रतिभूति जमा	212.65	212.65
योग	212.65	212.65

7. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
अरक्षित, शोध्य		
पूंजीगत अग्रिम	39.40	6.07
पूंजी अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
पूर्वदत्त व्यय	80.78	123.99
अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर कटौती	46,630.92	13,499.98
घटाएंः कर के लिए प्रावधान	43,665.91	8,913.00
	2,965.01	4,586.98
आस्थगित वेतनसूची व्यय (संदर्भ नीचे)	59.28	64.68
योग	3,144.47	4,781.72

क) आस्थगित वेतनसूची व्यय से कर्मचारियों के लिए प्राप्त किए गए वाहनों एवं ईडीपी परिसम्पतियों पर किए गए खर्च की प्रस्तुति हुई जिसे परिभाषित अवधि के पूर्ण होने पर कर्मचारी को अंतरित कर दिया जाएगा और इस व्यय को अवधियों के दौरान अनुपातिक रूप से परिशोधित किया जाता है।

8. मालसूचियां (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	01 अप्रैल, 2020 को स्थिति
खुले उपस्कर	14.86	11.43
भंडार एवं अतिरिक्त कलपुर्जे	7,589.71	6,629.91
	7,604.57	6,641.34
घटाएं : अप्रचलित/अप्राप्य कलपुर्जों के लिए प्रावधान	288.96	274.47
योग	7,315.61	6,366.87

क) मालसूची मदों का मूल्यांकन लागत या एनआरवी, जो भी कम हो, लेखांकन नीति संख्या सी 6 (नोट 1) के अनुसार किया गया है।

ख) वर्ष के दौरान व्यय के रूप में लेखाबद्ध की गई मालसूचियों की राशि निम्नानुसार है :–

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ईंधन (नोट 29 देखें)	145,414.24	227,570.39
अन्य (नोट 33 – अन्य व्यय में शामिल)	2,300.38	1,781.90
योग	147,714.62	229,352.29

ग) कंपनी द्वारा प्रतिभूति के तौर पर रेहन की गई मालसूचियों के लिए नोट संख्या 21 का संदर्भ लें।

9. व्यवसाय प्राप्य (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	01 अप्रैल, 2020 को स्थिति
शोध्य माने जाने वाले–अरक्षित	399,222.06	398,799.98
शोध्य माने जाने वाले–रक्षित	1,433.92	6,762.99
योग	400,655.98	405,562.97

क) भुगतान सुरक्षा तंत्र व्यवस्था के लिए किए गए ऊर्जा क्रय करार के अनुसार डिस्कॉम द्वारा पिछले 12 महीनों के औसत मासिक बिलों के 105 प्रतिशत के समतुल्य बिना शर्त, परिक्रामी और अविकल्पी साख पत्र (एलसी) प्रदान किए जाने तथा और साख पत्र की समतुल्य प्राप्य राशि को कंपनी के पक्ष में रहन रखने के लिए प्रथम फ्लोटिंग प्रभार का सृजन करने के साथ साथ व्युतक्रम एसक्रो करार किए जाने की व्यवस्था भी की गई है। तथापि, उक्त साख पत्रों की अवधि विभिन्न तिथियों पर समाप्त होने के उपरांत बीवाईपीएल और बीआरपीएल ने न तो साख पत्रों का नवीकरण करवाया गया है और न ही अपेक्षित करार किए हैं। इसके अतिरिक्त, एचपीपीसी, पीएसपीसीएल, एनडीएमसी और एमईएस ने न तो कंपनी के पक्ष में प्राप्यों के साख पत्र के समतुल्य कंपनी के पक्ष में किसी प्रथम फ्लोटिंग प्रभार का सृजन किया गया है और न ही पीपीएस–3 के संबंध में किसी प्रकार का व्युतक्रम एसक्रो करार किया गया है। तथापि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, एचपीपीसी, पीएसपीसीएल ने क्रमशः 6118.12 लाख रुपये, 272.87 लाख रुपये और 500 लाख रुपये के साख पत्र कंपनी के पक्ष में जारी किए हैं।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पास बीएसईएस यमुना पावर लि. (बीवाईपीएल) और बीएसईएस राजधानी पावर लि. (बीआरपीएल), वितरण कंपनियों की 49 प्रतिशत इक्विटी है, जिनको कंपनी द्वारा जनित्र की जाने वाली 50 प्रतिशत से अधिक विद्युत बेची जाती है, दोनों वितरण कंपनियों ने क्रमशः मई, 2012 और फरवरी, 2013 से अपने भारी बकायों का भुगतान नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप, इन दोनों वितरण कंपनियों पर 376010.62 लाख रुपये (31 मार्च 2020 को 354204.07 लाख रुपये) का कुल बकाया हो गया है। संग्रहण में अनिश्चितता के कारण, कंपनी वित वर्ष 2014–14 से केवल टीडीएस की सीमा तक विलंबित भुगतान उप प्रभार (एलपीएससी) को मान्यता दे रही है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति को, विलंबित भुगतान उप प्रभार के कारण गैर–मान्यता प्राप्त राजस्व 506617.85 लाख रुपये है। इसके कारण गंभीर वित्तीय संकट पैदा हो गया है। इसके कारण, कंपनी जीएनसीटीडी, कंपनी के प्रवर्तक को मूलधन और तत्संबंधी ब्याज का भुगतान नहीं कर पाई है। मूलधन और ब्याज को चुकाने में संचयी चूक (दंडस्वरूप ब्याज सहित) का प्रकटन नोट संख्या 17 और 22 में किया गया है। इसके अलावा, जीएनसीटीडी के विद्युत विभाग ने वर्ष के दौरान, 70115 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 को 99121.00 लाख रुपये) के अनुदान को इन वितरण कंपनियों को देय अनुदान में परिवर्तित कर दिया है।

इन वितरण कंपनियों से अतिदेयों को वसूल करने के लिए कंपनी ने यह मामला जीएनसीटीडी, डीईआरसी और विद्युत अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) के समक्ष उठाया था परन्तु इन वितरण कंपनियों ने इन प्राधिकरणों के आदेशों/निर्देशों को मानने के स्थान पर बकायों के भुगतान न किए जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बंद न करने के लिए कंपनी सहित जेनको को निर्देश जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 26 मार्च, 2014 के अपने अंतरिम आदेश में इन वितरण कंपनियों को 1 जनवरी, 2014 से बिलिंग अवधि के संबंध में 1 मार्च, 2014 से कंपनी सहित जेनको को चालू बकायों का भुगतान करने का निर्देश दिया था और जनवरी, 2014 से पहले के लंबित बकायों के संबंध में डीईआरसी को इन वितरण कंपनियों की विनियामक संपत्तियों का परिसमापन करने का निर्ण लेने का आदेश दिया था। वितरण कंपनियों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार भी बकायों का भुगतान नहीं किया है, परिणामस्वरूप कंपनी ने अवमानना याचिका दायर की है। रिट याचिका और सिविल अपील पर सुनवाई 10 मार्च, 2015 को पूरी की गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख रख लिया है। तथापि, मुख्य याचिका पर निर्णय प्रतीक्षित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका पर 12 मई, 2016 को सुनवाई की थी और न्यायालय ने दोनों वितरण कंपनियों को चालू बकायों के 70 प्रतिशत का भुगतान करने का आदेश दिया था। दोनों वितरण कंपनियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रही हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को देखते हुए, प्रवर्तक और अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा समर्थन जारी रखा गया है और वित्तीय विवरण सतत् आधार पर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी इन वितरण कंपनियों से अतिदेयों की वसूली के प्रति आश्वस्त है, जबकि जीएनसीटीडी स्वयं 49 प्रतिशत इक्विटी रख रही है। तद्नुसार, इस स्तर पर प्रावधान जरूरी नहीं समझे गए हैं।

डीईआरसी ने वितरण कंपनियों को समयबद्ध तरीके से उत्पादन एवं परेषण कंपनियों को बिलों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके कारण संग्रहण में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, कंपनी द्वारा जीएनसीटीडी से लिए गए 7393.00 लाख रुपये (31 मार्च, 2020: 45993.20 लाख रुपये) के बकाया ऋणों की मूल राशि के भुगतान कर दिए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, पीएफसी ऋण राशि 67992.06 (वित्त वर्ष 2019–20 में 13682.71) का पुनः भुगतान किया गया है।

ग) क्रेडिट जोखिम नोट संख्या 35(2) तथा (3) में दिया गया हैं

घ) अन्य पक्षकारों से प्राप्य राशि (संदर्भ नोट संख्या 42)

10. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
बैंकों में शेष		
चालू खाता	**45.39**	**843.56**
3 माह तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले जमा	**75,597.81**	**76,819.00**
हस्तगत नकदी	**-**	**0.01**
हस्तगत चैक व ड्राफ्ट	**0.14**	**3.35**
योग	**75,643.34**	**77,665.92**

11. **रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य से इतर अन्य बैंक शेष** (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
पीपीएस–3 बवाना के लिए जीएनसीटीडी से सावधि ऋण (चिह्नित)	10,191.90	15,285.00
पीपीएस–2 बामनौली के लिए जीएनसीटीडी से इक्विटी अंशदान (चिह्नित)	58,094.13	54,790.32
तीन महीनों से अधिक और एक वर्ष के अंदर परिपक्व होने वाली मूल परिपक्वता के साथ अन्य जमाएं	-	357.21
योग	68,286.03	70,432.53

12. **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां** (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
अरक्षित, शोध्य		
बिल न किया गया राजस्व	29,060.43	24,691.23
अन्य प्राप्य	2.40	2.51
बैंक जमा पर प्रोद्भूत ब्याज (नीचे नोट (क) देखें)	959.56	1,396.98
वसूली योग्य बीमा दावे	3,539.88	5,988.89
घटाएं : बीमा दावा उचंत खाता	3,539.88	5,988.89
योग	30,022.39	26,090.72

(क) बैंक जमाओं पर प्रोद्भूत ब्याज में बामनौली और बवाना के लिए क्रमशः 532.74 लाख रुपये और 0.89 लाख रुपये की चिह्नित निधियों पर प्रोद्भूत ब्याज शामिल है।

13. **चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)** (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
स्रोत पर आस्थगित कर कटौती	9457.59	
अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर कटौती	3,551.47	1,866.66
घटाएं : कर प्रावधान	-	-
घटाएं : एफबीटी की संदेहास्पद वसूली के प्रावधान	2.17	2.17
योग	13,006.89	1,864.49

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 21.12.2022 को हुई अपनी 108वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, कंपनी द्वारा वरिष्ठ कर परामर्शदाता व वरिष्ठ अधिवक्ता से ली गई रायों के आधार पर एलपीएससी के कारण मान्य की गई आय के 10 प्रतिशत तक (अर्थात चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उद्ग्रहित एलपीएससी की आय के अनुपात में) का टीडीएस क्रेडिट लेने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, एलपीएससी के कारण मान्य की गई आय के लिए 90 प्रतिशत टीडीएस क्रेडिट को उस वित्तीय वर्ष की कर देयता में स्थगित किया गया है जिसमें यह आय कंपनी डिस्कॉम से उद्ग्रहित करेगी। इसलिए, 9457.59 लाख रुपये की राशि टीडीएस क्रेडिट की वो राशि है जो कंपनी वित्तीय वर्ष में एलपीएससी से आय के रूप में मान्य करेगी। एलपीएससी से होने वाली आय के 10 प्रतिशत के टीडीएस क्रेडिट को कर के प्रावधान के साथ चालू वर्ष में समायोजित किया गया है जिसे नोट संख्या 25 में दिखाया गया है।

14. **अन्य चालू परिसंपत्तियां** (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
अरक्षित, शोध्य		
कर्मचारियों को अग्रिम	3.41	1.18
ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	103.85	70.24
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष	36.89	36.89
अन्य अग्रिम	2.62	2.67
पूर्वदत्त व्यय	731.58	897.80
आस्थगित वेतन सूची व्यय (संदर्भ नोट 7)	35.18	26.02
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां	0.77	0.77
योग	914.30	1,035.57

15. **विनियामक स्थगन खाता नामे शेष** (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
स्थगन कर दायित्वों के लिए स्थगन कर परिसम्पतियां	6,638.74	6,638.74
योग	6,638.74	6,638.74

विनियामक स्थगन खाता शेष को लेखांकन नीति संख्या 19 के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है। विस्तृत प्रकटीकरण का संदर्भ नोट 50 में है।

16. **इक्विटी शेयर पूंजी** (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
इक्विटी शेयर पूंजी		
प्राधिकृत :		
3,500,000,000(31 मार्च, 2020: 10 रुपये प्रत्येक सममूल्य के 3,500,000,000 इक्विटी शेयर)	350,000.00	350,000.00
जारी, अभिदत्त और पूर्ण चुकता		
2,074,1,90,000(31 मार्च, 2020: 10 रुपये प्रत्येक सममूल्य के 2,074,1,90,000 इक्विटी शेयर)	207,419.00	207,419.00

क) **इक्विटी शेयर पूंजी में संचलनः**

वर्ष के दौरान कंपनी ने न तो कोई शेयर जारी किया है और न ही कोई शेयर वापस खरीदें हैं।

ख) **इक्विटी शेयरों से सम्बद्ध शर्तें एवं अधिकारः**

कंपनी के पास 10 रुपये प्रति शेयर सममूल्य वाले इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है। इक्विटी शेयरों के धारक लाभांश प्राप्त करने के पात्र हैं और उन्हें शेयरधारकों की बैठकों में अपने धारित शेयरों के अनुपात में मत देने का अधिकार है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के उपरांत कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

ग) **31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण**

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	धारित प्रतिशत
उप-राज्यपाल, दिल्ली	2,074,190,000	100.00%
(जीएनसीटीडी की ओर से 9 नामितियों द्वारा 50,000 शेयर धारण किए गए हैं)		

17. **अन्य इक्विटी** (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
सामान्य रिजर्व	25,000.00	25,000.00
विशेष रिजर्व*	29,612.68	26,640.61
धारित आय	452,155.31	389,943.75
योग	506,767.99	441,584.36

अन्य इक्विटी में संचलन	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
प्रतिधारित आय		
वर्ष के प्रारंभ में	389,943.75	237,389.42
वर्ष में लाभ	65,247.06	156,215.52
अन्य व्यापक आय	(63.42)	(55.02)
विशेष रिजर्व में अंतरण	(2,972.07)	(3,606.17)
वर्ष के अंत में	452,155.31	389,943.75
विशेष रिजर्व		
वर्ष के प्रारंभ में	26,640.61	23,034.44
प्रतिधारित आय से अंतरण	2,972.07	3,606.17
वर्ष के अंत में	29,612.68	26,640.61

अन्य रिजर्व का स्वरूप एवं उद्देश्य :

क) **प्रतिधारितआय**

प्रतिधारित आय से कंपनी के अवितरित लाभ की प्रस्तुति होती है।

ख) **सामान्य रिजर्व**

सामान्य रिजर्व से सांविधिक रिजर्व की प्रस्तुति होती है, ऐसा कॉर्पोरेट विधि के अंतर्गत लाभ के एक भाग का संविभाजन सामान्य रिजर्व में करके किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सामान्य रिजर्व में कंपनी के विवेकानुसार कोई भी राशि अंतरित की जाती है।

ग) **विशेष रिजर्व***

मानित इक्विटीः कंपनी को बामनौली स्थित पीपीएस–2 परियोजना के लिए इक्विटी अंशदान के रूप में वर्ष 2011–12 के दौरान इक्विटी कोष पर अर्जित ब्याज का उपयोग उक्त परियोजना के लिए अतिरिक्त इक्विटी के रूप में किए जाने की शर्त पर जीएनसीटीडी से 40,000 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। उक्त इक्विटी में से निवेश की गई निधियों पर अर्जित ब्याज को भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति की राय के अनुसार विशेष रिजर्व कोष में अंतरित किया गया है।

18. **उधारी** (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
आवधिक उधारी		
बैंकों से		
इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) से प्रतिभूत वाहन ऋण	-	-
अन्यों से		
पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) से प्रतिभूत ऋण	-	96,223.78
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से प्रतिभूत ऋण	25,912.62	-
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से अप्रतिभूत ऋण	77,799.45	104,464.60
	103,712.07	200,688.38
घटाएं : वर्तमान परिपक्वताएं		
इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) से वाहन ऋण	-	-
पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	-	13,682.71
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से प्रतिभूत ऋण	4,286.12	-
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी)	7,393.20	7,393.20
	11,679.32	21,075.91
घटाएं : ऋण पर प्रोद्भूत परन्तु अदेय ब्याज	1,712.57	1,910.21
घटाएं : ऋण पर प्रोद्भूत देय ब्याज	5,300.42	24,620.77
योग	85,019.76	153,081.49

क) **इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक)से प्रतिभूत वाहन ऋण**31.3.2019 की स्थिति के अनुसारइन पर 8.65 प्रतिशत प्रति वर्ष (आधार दर) की ब्याज दर है और ये कंपनी के कार्यपालकों को दिए गए विशेष वाहनों के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत हैं। यह 60 समान मासिक किश्तों में प्रतिदेय है। इस ऋण के प्रतिभुगतान में कोई चूक नहीं है। तथापि, वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान ऋण का पूर्ण ऋण चुकता कर दिया गया है।

ख)(i) **फसी से सावधि ऋण** : बवाना स्थित पीपीएस–3 विद्यमान एवं भावी, दोनों, अचल परिसम्पतियों/ अन्य परिसम्पतियों के रेहन के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा तथा चल संयंत्रों एवं मशीनरी, मशीनरी कलपुर्जों, औजारों एवं उपस्करों, ईंधन स्टॉक, अतिरिक्त पुर्जे एवं बवाना स्थित पीपीएस–3 की सामग्री की चल परिसम्पतियों, बही नामे के अलावा विद्यमान एवं भावी, दोनों, के मालबंधन के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा प्रत्याभूत की गई हैं। उक्त ऋण को चुकता किए जाने की कालावधि 15 अप्रैल, 2013 से प्रारंभ 56 तिमाही किश्ते हैं। इस ऋण पर 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्य सेक्टर ए+वर्ग दर घटा 50 बीपीएस विद्यमान 11.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष (31 मार्च, 2020:11.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष) है तथा समय पर भुगतान के लिए 25 बीपीएस की छूट उपलब्ध है। इस ऋण के पुनर्भुगतान में किसी प्रकार की चूक नहीं की गई है।

ख)(ii) ऋण के इस हिस्से जिसकी राशि 27856.94 लाख रुपये है का अधिग्रहण एसबीआई ने बबाना स्थित पीपीएस–3 के वर्तमान व भावी अन्य सभी परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा और ऋण बही को छोड़कर बबाना स्थित पीपीएस–3 के वर्तमान व भावी चल संयंत्र, व मशीनरी, मशीनरी स्पेयर, टूल्स व एसेसरीज, ईंधन स्टॉक, स्पेयर और सामग्री सहित चल परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्रथम प्रभार तैयार किया गया है जो अगस्त 2020 में 9.10 प्रतिशत की कम ब्याज दर पर है और बकाया का भुगतान वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान प्रदत्त/पुनः प्रदत्त किया गया है।

ग) <u>जीएनसीटीडी से अरक्षित ऋण</u> : बवाना में पीपीएस–3 की स्थापना के लिए अल्पकालिक ऋण है। इस पर किसी देरी पर 2.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर एक जुर्माना ब्याज के साथ 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष से 10 प्रति वर्ष की दर पर ब्याज देय है तथा इसका भुगतान ऋण प्राप्ति की तिथि से 15 वर्ष तक किश्तों में किया जाना है जो फरवरी 2034 में समाप्त होंगी। एक परियोजना के लिए प्राप्त 5,000.00 लाख रुपये के ऋण को चुकता किए जाने की अवधि स्वीकृति आदेश में 15 वर्षों के स्थान पर एक वर्ष अंकित की गई है। स्वीकृति आदेश में इसे ठीक करने के लिए जीएनसीटीडी के साथ आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

घ)(i) मूल ऋण के प्रति किश्तों के पुनर्भुगतान में किसी प्रकार का विलंब नहीं हुआ है। तथापि, ब्याज एवं जुर्माना ब्याज में चूक प्रारंभ होने के पश्चात से चूक की जा रही है।

रुपये लाख में

ब्याज दर	कब से चूक है	ऋण परिपक्वता की तिथि	जुर्माना ब्याज सहित ब्याज	बकाया राशि
10.00%	2012-13	11/29/2026	1,965.45	8,000.00
10.00%	2013-14	7/15/2027	927.28	4,666.67
10.00%	2013-14	10/8/2027	719.68	4,666.67
9.50%	2014-15	1/19/2029	222.87	2,666.67
9.50%	2014-15	3/19/2029	221.81	2,666.67
9.50%	2015-16	7/1/2029	212.40	3,000.00
9.50%	2015-16	2/12/2030	148.28	3,000.00
9.50%	2016-17	3/30/2031	357.16	-
9.50%	2016-17	3/30/2031	32.80	1,333.33
9.50%	2017-18	3/30/2032	325.44	-
9.50%	2017-18	3/30/2032	92.26	5,131.87
9.00%	2018-19	3/21/2033	42.30	-
9.00%	2018-19	3/30/2033	16.53	5,520.00
9.00%	2019-20	2/4/2034	16.14	30,333.33
योग			**5,300.40**	**70,985.20**

घ)(ii) निदेशक मंडल ने बकाया के रूप में एक लाख रखते हुए परियोजना ऋण के पुनर्भुगतान की मंजूरी दी है जिस पर 10 प्रतिशत ब्याज दर है और वित्त वर्ष 2021–22 से अदा किया जा रहा है।

19. प्रावधान

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
गैर–चालू प्रावधान		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	**7.85**	**6.14**
छुट्टी नकदीकरण	**252.56**	**213.87**
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा	**116.11**	**99.11**
छुट्टी यात्रा रियायत	**232.08**	**246.69**
योग	**608.60**	**565.81**
चालू प्रावधान		
कर्मचारी हितलाभ प्रावधान		
उपदान	**4.78**	**17.43**
छुट्टी नकदीकरण	**10.31**	**34.11**
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा	**0.16**	**0.15**
छुट्टी यात्रा रियायत	**20.45**	**19.34**
वेतन संशोधन	**-**	**4,144.96**
स्क्रैप परिसंपत्तियां लंबित अनुमोदन के लिए प्रावधान	**1.26**	**1.28**
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर में कमी के लिए प्रावधान	**7.06**	**5.05**
योग	**44.02**	**4,222.32**
कुल प्रावधान	**652.62**	**4,788.13**

क) भारतीय लेखांकन मानक–19 'कर्मचारी हितलाभ' द्वारा अपेक्षित प्रकटन, नोट संख्या–41 में किए गए हैं।

ख) प्रावधान, आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक परिसम्पतियों के लिए नोट संख्या 47 देखें।

20. आस्थगित कर देयताएं (निवल) (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
आस्थगित कर देयताएं		
बही मूल्यह्रास एवं कर मूल्यह्रास में अंतर	50,956.23	46,476.57
घटाएं : आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	724.63	845.40
भारतीय लेखांकन मानक 116 प्रभाव	201.53	7.21
भंडार, कल–पूर्जे एवं पीपीई के लिएप्रावधान	103.88	95.91
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	296.90	295.76
अन्य		
योग	**49,629.29**	**45,232.29**

क) भारतीय लेखांकन मानक–12 'आयकर' के अनुसार प्रकटन के लिए नोट संख्या 37 देखें।

21. उधारियां (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
एफडी की एवज में बैंकों से प्रतिभूत ऋण	22,029.20	-
मांग पर प्रतिदेय ऋण	37.83	13.89
अन्य पार्टियों से अरक्षित आवधिक ऋण		-
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी)	6,100.99	23,943.62
घटाएं : ब्याज प्रोद्भूत और देय	6,100.99	23,943.62
घटाएं : ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं	-	-
योग	**22,067.03**	**13.89**

क) भारतीय स्टेट बैंक से 14900 लाख रुपये (31 मार्च, 20208 : 20,000 लाख रुपये (इंडियन बैंक) की नकद ऋण सुविधा और 15,100 लाख रुपये (31 मार्च, 2020: 10,000 लाख रुपये (इंडियन बैंक) के सहायक साख पत्र की गैर निधि आधारित सुविधा, पीपीएस–1 की सभी वर्तमान एवं भावी चल मशीनरी, मशीनरी कलपुर्जे, ईधन स्टॉक, औजार और सहायक पुर्जे, कलपुर्जे, बही ऋणों/प्राप्यों सहित सभी चल परिसंपत्तियों के समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा और पीपीएस–3 के वर्तमान और भावी दोनों बही ऋणों/प्राप्यों पर विशेष प्रभार से प्रत्याभूत है और इस पर 7.85 प्रतिशत प्रति वर्ष (31 मार्च, 2020: 9.15 प्रतिशत) की दर से ब्याज देय है।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से 10,000 लाख रुपये और 20,000 लाख रुपये के कार्यशील पूंजी ऋण का पुनर्भुगतान क्रमशः 31 मार्च, 2013 और 6 मार्च, 2014 तक किया जाना था तथा इनका पुनर्भुगतान वर्ष 2018–19 के दौरान कर दिया गया है। इन ऋणों पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष (31 मार्च, 2020: 10.00 प्रतिशत प्रति वर्ष) की दर पर ब्याज और किसी विलंब पर 2.75 प्रतिशत की दर पर जुर्माना ब्याज देय है। अल्पकालिक ऋणों पर ब्याज तथा जुर्माना ब्याज सहित पुनर्भुगतान में चूक हुई है जो रोकड़ प्रवाह की कमी के कारण जारी है:

ग) मूलधन के संबंध में किश्त का पुनः भुगतान में कोई चूक नहीं हुई। लेकिन, जुर्माना ब्याज के प्रति चूक, चूक की अवधि में जारी है।

(रुपये लाख में)

ऋण का विवरण	जीएनसीटी डी	जीएनसीटीडी	योग
ब्याज दर	10%	10%	
कब से चूक है	2012-13	2013-14	
जुर्माना ब्याज सहित ब्याज	2,332.08	3,768.91	6,100.99
कुल राशि	**2,332.08**	**3,768.91**	**6,100.99**

22. व्यवसाय देय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
–सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	430.86	318.35
–सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य क्रेडिटरों की बकाया देयताएं	11,928.02	13,942.37
योग	12,358.88	14,260.72

क) सम्बद्ध पक्ष प्रकटन के लिए नोट संख्या 42 देखें।

ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की अपेक्षानुसार सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित सूचना :

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
आपूर्तिकर्ताओं को चुकता न की गई शेष राशिः		
मूलधन	426.19	316.84
उस पर देय ब्याज	4.67	1.51
निर्धारित दिन के बाद आपूर्तिकताओं को अदा की गई राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के संदर्भ में नियत दिन के बाद चुकता ब्याज की राशि	1.51	4.45
भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान नियत दिन के बाद एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना किया गया)		
प्रोद्भूत ब्याज की राशि जो चुकता नहीं की गई	4.67	1.51
आगे देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि जो नियत तिथि से लघु उद्यमियों को किए गए भुगतान पर अगले वर्षों के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से देय है।	4.67	1.51

23. अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2021 को स्थिति	01 अप्रैल, 2020 को
दीर्घकालिक ऋणों की विद्यमान परिपक्वता (नीचे क देखें)	11,679.32	21,075.91
पूंजी व्यय के लिए देय	7,533.15	1,108.64
जमा/प्रतिधारित धन (संदर्भ नोट 3(ख)	1,675.27	10,289.07
ब्याज प्रोद्भूत ऋणों पर देय नहीं	1,732.08	1,910.21
ब्याज प्रोद्भूत तथा ऋणों पर देय	11,401.42	48,564.39
परियोजना विनिर्धारित जुर्माना (संदर्भ नोट 3)	24,615.00	21,487.40
कॉर्पोरेट अंशभाग देय	798.19	653.38
अन्य देय		
कर्मचारियों को देय	658.90	621.56
अन्य (संदर्भ ख नीचे)	252.61	252.46
योग	60,345.94	105,963.02

क) प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्वताओं के पुर्नभुगतान के ब्याज की दर और अवधियों के संबंध में नोट संख्या 18 में प्रकटन किए गए हैं।

ख) अन्य देय – अन्यः में 251.33 लाख रुपये (31 मार्च, 2020: 251.33 लाख रुपये) की राशि के 384 डीएसआईआईडीसी फ्लैटों के लिए लंबित विलेख पत्रों के लिए देय राशि शामिल है।

ग) संबंधित पक्ष प्रकटनों के लिए नोट संख्या 42 देखें।

घ) वर्ष के दौरान कंपनी ने जीएनसीटीडी को कुछ मामलों में भुगतान देय होने के बाद ब्याज अदा किया है। यदि ब्याज देय तिथि तक अदा कर दिया गया होता तो अदेय प्रोद्भूत ब्याज 1580.80 लाख रुपये होता।

24. अन्य चालू देयताएं (रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2021 को स्थिति	01 अप्रैल, 2020 को
स्रोत पर कर कटौती तथा अन्य सांविधिक बकाया	421.91	450.06
अन्य देय (स्क्रैप डीलरों से अग्रिम)	0.50	4.38
योग	422.41	454.44

25. चालू कर देयताएं (निवल) (रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2021 को स्थिति	31.3.2020 को स्थिति
कर के लिए प्रावधान	18,279.67	34,723.50
घटाएं: अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर कटौती	5,838.52	33,351.74
योग	12,441.15	1,371.76

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 21.12.2022 को हुई अपनी 108वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, कंपनी द्वारा वरिष्ठ कर परामर्शदाता व वरिष्ठ अधिवक्ता से ली गई रायों के आधार पर एलपीएससी के कारण मान्य की गई आय के 10 प्रतिशत तक (अर्थात चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उद्ग्रहित एलपीएससी की आय के अनुपात में) का टीडीएस क्रेडिट लेने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, एलपीएससी के कारण मान्य की गई आय के लिए 90 प्रतिशत टीडीएस क्रेडिट को उस वित्तीय वर्ष की कर देयता में स्थगित किया गया है जिसमें यह आय कंपनी डिस्कॉम से उद्ग्रहित करेगी। इसलिए, ऊपर दर्शायी 5838.52 लाख रुपये की राशि में टीडीएस क्रेडिट की 10 प्रतिशत राशि शामिल है जो 1050.84 लाख रुपये है व बकाया 9457.59 लाख रुपये को नोट संख्या 23 में आस्थगित टीडीएस के रूप में दिखाया गया है।

26. आस्थगित राजस्व (रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2021 को स्थिति	01.04.2020 को स्थिति
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (नीचे क देखें)	2,073.69	2,419.31
आस्थगित सरकारी अनुदान		
सौर पैनल स्थापना के लिए (संदर्भ ख नीचे)	589.38	626.55
योग	2,663.07	3,045.86

क) मूल्यसूची में से 25 वर्ष के उपयोज्यता काल को ऋण सेवा के लिए पर्याप्त न पाए जाने को विचार में लेकर मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) के घटक के प्रावधान वर्ष 2001–04 तथा 2004–09 में मूल्य सूची विनियमों के अंतर्गत उत्पादकों द्वारा ऋण सेवा की सुविधा प्रदान करने के लिए मूल्य सूची के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए थे। तथापि, यह राशि मिलान सिद्धांत के अनुसार तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) के मतानुसार लाभग्राहियों को लौटाई नहीं जानी है जिससे इसे लेखा में प्रभारित किए जाने वाले मूल्यह्रास के प्रति भावी वर्षों में मूल्यसूची में प्रभारित किए जाने वाले मूल्यह्रास से उच्चतर आस्थगित राजस्व माना गया था। चूंकि मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) का स्वरूप आस्थगित राजस्व का है और यह देयता नहीं है अतः इसका प्रकटीकरण शेयरधारकों की निधि एवं देयताओं से अलग नोट में किया गया है।

ख) आस्थगित सरकार अनुदान पीपीएस–1 तथा पीपीएस–3 में सौर पैनलों की स्थापना के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान हैं। इस अनुदान के प्रति किसी प्रकार की अपूर्ण शर्त अथवा अन्य आकस्मिकताएं नहीं हैं।

27. प्रचालनों से राजस्व (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ऊर्जा की बिक्री (नीचे क देखें)	292,855.24	454,840.53
अन्य प्रचालन राजस्व		
ऊर्जा की बिक्री पर अधिभार (नीचे ख देखें)	10,508.44	11,458.38
लाभार्थियों से ब्याज	472.74	30,933.65
योग	303,836.42	497,232.56

क) ऊर्जा की बिक्री में निम्नलिखित शामिल है :–

- पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित शून्य लाख रुपये (31 मार्च 2020: 84560.08 लाख रुपये, पूर्ववर्ती वर्ष 2014–15 से संबंधित –13620.88 लाख रुपये, 2015–16 –13174.37 लाख रुपये, 2016–17 –19215.21 लाख, 2017–18 –19218.43 और 2018–19 –19331.19 लाख को सीईआरसी से प्राप्त प्रशुल्क आदेश दिनांक 26 नवंबर, 2019 के आधार पर मान्यता प्रदान की गई) को मान्यता दी गई। पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित प्रशुल्क आदेश पर लाभार्थियों से ब्याज को शून्य लाख रुपये (31 मार्च 2020: 30847.52 लाख रुपये) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

- पूर्ववर्ती वर्ष 2018–19 से संबंधित 2653.00 लाख रुपये (31 मार्च 2020: 730.01 लाख रुपये –पूर्ववर्ती वर्ष 2017–18 से संबंधित) को डीईआरसी द्वारा 19 अक्तूबर 2020 को प्रकाशित ट्रू–अप आदेश पर मान्यता प्रदान की गई है। इस ट्रू–अप आदेश पर 472.74 लाख रुपये (31 मार्च 2020: 86.12) को लाभार्थियों से ब्याज के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

- लाभार्थियों को छूट के प्रति 753.14 लाख रुपये (31 मार्च, 2020: 1199.74 लाख रुपये)

ख) विद्युत वितरण कंपनियों से वसूलीयोग्य ऊर्जा बिलों के विलंब भुगतान पर अधिभार को विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा देयों के भुगतान में निरंतर चूक और वसूली की अनिश्चितता को देखते हुए, कर प्राधिकारियों के पास विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जमा किए गए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा तक लेखे में लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्राप्यों पर तद्नुरूप प्रभाव के साथ 127603.06 लाख रुपये (31 मार्च, 2020: 100271.19 लाख रुपये) का राजस्व प्रभारित नहीं किया गया है।

ग) पीपीएस–3 बवाना के मामले में, सीईआरसी में एमवाईटी 2019–20 से 2023–24 हेतु टैरिफ याचिका लंबित होने के कारण 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए पीपीएस–3 के लिए बिक्री की बिलिंग अनंतिम रूप से सीईआरसी द्वारा 26 नवबंर, 2019 को जारी टैरिफ आदेश के आधार पर की जा रही थी।

घ) वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 27856.94 लाख रुपये की राशि का अधिग्रहण किया है। इसके लिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 574 लाख रुपये का प्रभार लिया है जो डिस्कॉम के बिल में लगाया गया है। इसके अलावा, (–) 386.56 लाख रुपये राशि का ब्याज बचत क्रेडिट नोट भी डिस्कॉम को अंतरित कर दिया गया है।

ड) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पीपीएस–1 के संबंध में वित्त वर्ष 2017–18 के लिए ट्रूइंग अप आदेश दिनांक 30 सितंबर, 2021 को जारी किए हैं। लेखांकन नीति संख्या 11(राजस्व) के अनुसार इससे होने वाले प्रभाव को वित्त वर्ष 2021–22 के लिए विचार में लिया जाना है, जो (–) 4044.50 लाख रुपये है। उसी तिथि को डीईआरसी ने वित्त वर्ष 2012–13 और वित्त वर्ष 2013–14 में पीपीएस–1 के लिए संशोधित ट्रूइंग अप आदेश जारी किया है जिसके वित्तीय प्रभाव 5100 लाख रुपये पर वर्ष 2021–22 में विचार किया जाएगा।

च) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पीपीएस–3 के संबंध में वित्त वर्ष 2011–12 से वित्त वर्ष 2013–14 के लिए ट्रूइंग अप अपने आदेश दिनांक 23 अक्तूबर 2021 को जारी किए हैं। लेखांकन नीति संख्या 11(राजस्व) के अनुसार इससे होने वाले प्रभाव को वित्त वर्ष 2021–22 में विचार किया गया है। यह प्रभाव 4057 लाख रुपये के ब्याज सहित 7774.72 लाख रुपये है।

छ) **माल एवं सेवाओं का स्वरूप**

कंपनी को राजस्व की प्राप्ति ऊर्जा की बिक्री से होती है। कंपनी द्वारा बिजली की बिक्री थोक ग्राहकों को की जाती है जिनमें मुख्यतः राज्य सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत उपयोज्यताएं एवं राज्य में निजी प्रचालन करने वाले डिस्कॉम होते हैं। सामान्यतः बिजली की बिक्री के लिए लाभग्राहियों के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा क्रय करार (पीपीए) किए जाते है।

स्वरूप, संतोषजनक दायित्व निष्पादन की समय सीमा तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें

कंपनी द्वारा ऊर्जा के करारों के प्रति राजस्व स्वीकृति कंपनी से ग्राहक को लाभ प्रदान किए जाने एवं उसके द्वारा उपयोग किए जाने के साथ साथ की जाती है। ऊर्जा की बिक्री से राजस्व का आकलन करने की मूल्य सूची का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग/दिल्ली विद्युत विनियामक आयोजित द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले विनियमों के अनुसार किया जाता है। ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की राशि के प्रति प्रदान की जाने वाली स्वीकृति का समायोजन परिवर्तनीय प्रतिफल, जहां लागू हो, में किया जाता है जिनके अनुमान कंपनी के पास उपलब्ध ऐतिहासिक डेट के आधार पर लगाए जाते हैं। राशियों के बिल मासिक आधार पर निर्मित्त किए जाते हैं एवं बीजकों का भुगतान संविदागत रूप में सहमत क्रेडिट अवधि में किया जाना होता है।

ज) **राजस्व का विपुंजन**

ग्राहकों के साथ किए गए करारों से कंपनी को प्राप्त राजस्व का विपुंजन नीचे प्रस्तुत किया गया है:

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

माल एवं सेवा का प्रकार	ऊर्जा की बिक्री
संतोषजनक दायित्व निष्पादन की समय सीमा:	
ओवर टाइम	**292,855.24**
नियत समय पर	**-**
योग	**292,855.24**
निष्पादन दायित्व के मापन की विधि:	
इनपुट विधि	**-**
आउटपुट विधि	**292,855.24**
योग	**292,855.24**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

माल एवं सेवा का प्रकार	ऊर्जा की बिक्री	योग
संतोषजनक दायित्व निष्पादन की समय सीमा:		
ओवर टाइम	**454,840.53**	**454,840.53**
नियत समय पर	-	-
योग	**454,840.53**	454,840.53
निष्पादन दायित्व के मापन की विधि:		
इनपुट विधि	-	-
आउटपुट विधि	**454,840.53**	454,840.53
योग	**454,840.53**	454,840.53

1) संविदा शेष

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
व्यवसाय प्राप्य (नोट 9)	**400,655.98**	**405,562.97**
संविदा परिसम्पतियां (नोट 12)	29,060.43	**24,691.23**
संविदा दायित्व	-	-

2) संविदा परिसम्पतियां बिल न किया गया राजस्व है। पहले संविदा परिसम्पति के रूप में स्वीकृत किसी राशि का पुनःवर्गीकृत सम्बद्ध स्थितियों यथा भावी सेवा, जो बिलिंग चक्र की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, के संतोषजनक निष्पादन पर व्यवसाय प्राप्य में किया जाता है।

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
वर्ष के प्रारम्भ में संविदा परिसम्पतियां	**24691.23**	13,958.88
संविदा परिसम्पति से व्यवसाय प्राप्य में अंतरित	**24,691.23**	13,958.88
वर्ष के अंत में संविदा परिसम्पतियां	**29,060.43**	24,691.23

3) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की संविदा दायित्व के रूप में प्रस्तुति

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
वर्ष के प्रारम्भ में संविदागत दायित्व	-	-
राजस्व में अंतरित संविदागत दायित्व	-	-
वर्ष के अंत में संविदागत दायित्व	-	-

4) निम्नलिखित तालिका में यह दर्शाया गया है कि अग्रेनित संविदा दायित्वों से सम्बद्ध चालू रिपोर्टिंग अवधि में राजस्व को कितनी स्वीकृति दी गई है

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	-	-
वर्ष के दौरान राजस्व में स्वीकृत राशि	-	-
ग्राहकों को देय राशि	-	-

5) संविदा मूल्य का राजस्व स्वीकृति से समाधान

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संविदा मूल्य	**293,608.38**	**456,040.23**
परिवर्तनीय प्रतिफल घटकों पर समायोजन	**753.14**	**1,199.70**
प्रचालनों से राजस्व	**292,855.24**	**454,840.53**

झ) भारतीय लेखांकन मानक 115 में निम्नानुसार व्यवहार्य प्रणाली का उपयोग;

– कंपनी को ऐसी किसी संविदा की प्रत्याशा नहीं होती है जिसमें किसी ग्राहक को माल एवं सेवाओं के प्रतिबद्ध अंतरण तथा ग्राहक द्वारा किए जाने वाले भुगतान के मध्य की अवधियां एक वर्ष से अधिक हो। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी द्वारा समय मूल्य के प्रति किसी लेन–देन में समायोजन नहीं किए जाते है।

– कंपनी द्वारा ऐसी संविदाओं के लिए निष्पादन सम्बद्ध प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं जिनमें राजस्व स्वीकृति की अनुरूपता प्रत्यक्ष तौर पर कंपनी द्वारा पूर्ण किए गए निष्पादन ग्राहक मूल्यों से सम्बद्ध हो।

ण) कंपनी द्वारा किसी ग्राहक के साथ संविदाओं के संबंध में किसी प्रकार की वृद्धिशील लागत नहीं लगाई गई हैं तथा इसलिए किसी परिसम्पति को ऐसी पूंजीयन लागतों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

28. अन्य आय (रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय संपत्तियों से ब्याज		
बैंक	**6,317.56**	**7,415.91**
अन्य	**-**	**0.01**
अन्य गैर–प्रचालन आय		
बीमा दावा	**-**	**262.12**
अनुदान आय	**37.36**	**37.36**
प्राप्त किराया	**9.91**	**9.40**
स्क्रैप की बिक्री	**20.66**	**11.35**
प्रतिलेखन के प्रावधान (नीचे क देखें)	**0.02**	**2.36**
अन्य गैर–प्रचालन आय	**158.81**	**57.12**
योग	**6,544.32**	**7,795.63**

क) प्रतिलेखित प्रावधान में कमी/अप्रयोज्य भंडार, प्रतिलेखित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में कमी के लिए प्रतिलेखन के प्रावधान शामिल हैं।

ख) अनुदान आय पीपीएस–1 और पीपीएस–3 में शुरु किए गए सौर पैनल पर है।

29. ईंधन खपत की लागत (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
गैस	**145,414.24**	**227,570.39**
योग	**145,414.24**	**227,570.39**

30. कर्मचारी हितलाभ व्यय (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी	**10,999.08**	**13,720.20**
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	**298.55**	**243.69**
स्टॉफ कल्याण व्यय	**477.92**	**480.24**
योग	**11,775.55**	**14,444.13**

क) विभिन्न कर्मचारी हितलाभों पर प्रावधानों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक–19 के अनुसार प्रकटीकरण नोट संख्या 41 में किए गए हैं।

31. वित्त लागत

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय देयताओं की ब्याज लागत		
बैंकों से प्राप्त ऋण पर ब्याज व्यय		
कार्यशील पूंजी	**29.48**	**119.23**
अन्य से लिए गए ऋण पर ब्याज व्यय		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	**7,465.89**	**11,123.34**
अन्य*	**13.23**	**7.48**
भारतीय स्टेट बैंक से प्रत्याभूत ऋण	**1,512.43**	**-**
पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**7,557.61**	**11,498.23**
(घटाएं): पीएफसी से मिली छूट	**186.07**	**236.19**
	7,371.54	**11,262.04**
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	**55.51**	**56.86**
आयकर अधिनियम के अतर्गत ब्याज	**2,720.68**	**373.50**
योग	**19,168.76**	**22,942.45**

* अन्य में एमएसएमईडी विक्रेताओं को विलंब भुगतान पर ब्याज शामिल है।

32. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रयोगाधिकार परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास	142.77	142.77
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास	30,062.42	29,226.57
अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन	0.78	0.85
योग	**30,205.97**	**29,370.19**

33. अन्य व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया	12.71	11.15
बीमा	3,782.14	4,452.60
दर और कर	330.69	173.29
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
– भवन	493.37	369.69
– संयंत्र और मशीनरी	5,443.37	4,922.98
– अन्य	173.90	210.37
विद्युत और जल	735.69	671.28
संचार	33.26	34.63
विज्ञापन	36.95	63.50
वाहन उपयोग	98.35	56.94
सुरक्षा	2,994.79	2,848.19
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	9.99	27.87
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	83.34	120.03
शुल्क एवं अंशदान	70.41	74.65
यात्रा एवं परिवहन	0.43	11.99
बैंक प्रभार	1,799.08	23.60
सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान (नीचे क देखें)	9.75	9.95
निदेशकों की सिटिंग फीस	2.66	1.59
विदेशी मुद्रा विनिमय लेन–देन तथा परिवर्तन सें निवल हानि	65.44	1,430.24
संपत्तियों, संयंत्र तथा उपस्कर के अपूंजीयन पर हानि	519.21	-
लाभग्राहियों को चुकता ब्याज (नीचे ख देखें)	12.32	4.22
निगम सामाजिक दायित्व	1,785.18	-
विविध व्यय	40.09	47.38
	18,533.12	15,566.14
निम्न के लिए हानि प्रावधानः		
स्क्रैप परिसंपत्ति लंबित अनुमोदन	-	0.91
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर में कमी	2.01	-
एफबीटी की संदेहास्पद वसूली	-	-
भंडार में कमी	14.49	
	16.50	0.91
योग	18,549.62	15,567.05

क) लेखापरीक्षकों को भुगतान के संबंध में विवरणः

लेखापरीक्षक के लिए		
सांविधिक लेखापरीक्षा फीस	8.26	8.26
व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	0.20
जीएसटी/सेवा कर की प्रतिपूर्ति	1.49	1.49
योग	9.75	9.95

ख) दिल्ली विद्युत विनियामक प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार अनुमोदन के उपरांत वसूल की गई मूल्य सूची आयोग द्वारा अनुमोदित मूल्य सूची से अधिक पाए जाने पर जनरेटिंग कंपनी द्वारा अधिक वसूल की गई राशि एवं उसके साधारण ब्याज का भुगतान लाभग्राहियों को किया जाना है। तदनुसार, लाभग्राहियों को गेल क्रेडिट नोट पर चुकता ब्याज 12.32 लाख रूपए (31 मार्च, 2020: 4.22 लाख रुपये) की राशि लाभार्थियों को लेखाबद्ध किया गया है और 'लाभार्थियों को प्रदत्त ब्याज' के रूप में प्रकटीकरण किया गया है।

ग) बैंक प्रभार में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिग्रहण/पीएफसी ऋण राशि 1739.54 लाख रुपये का पुनर्भुगतान प्रभार शामिल है।

34. उचित मूल्य मापन

क) वर्गवार वित्तीय प्रपत्र

(रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2021 को स्थिति		31.3.2020 को स्थिति	
	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल
वित्तीय परिसम्पतियां				
गैर–चालू वित्तीय परिसम्पतियां				
व्यवसाय प्राप्य	212.65	-	212.65	-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	400,655.98	-	405,562.97	-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	75,643.34	-	77,665.92	-
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पतियां	68,286.03	-	70,432.53	-
योग वित्तीय परिसम्पतियां	30,022.39	-	26,090.72	-
	574,820.39	**-**	**579,964.79**	**-**
वित्तीय देयताएं				
गैर–चालू उधारियां	85,019.76	-	153,081.49	-
प्रतिधारण देयताएं	-	-	-	-
उधार	22,067.03	-	13.89	-
व्यवसाय प्राप्य	12,358.88	-	14,260.72	-
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	60,345.94	-	105,963.02	-
पट्टा देयता	616.64		633.02	
योग वित्तीय देयताएं	**180,408.25**	**-**	**273,952.14**	**-**

ख) उचित मूल्य वर्ग व्यवस्था

यह खंड, उन वित्तीय लेखपत्रों के उचित मूल्यों के निर्धारण के संबंध में लिए गए निर्णयों एवं अनुमानों को प्रस्तुत करता है जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है और जिनके लिए उचित मूल्य प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है। उचित मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग में लाई गई इनपुट के संकेत देने के लिए कंपनी द्वारा लेखांकन लेखपत्रों का वर्गीकरण लेखांकन मानकों के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में किया गया है। ऐसे प्रत्येक स्तर के संबंध में स्पष्टीकरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वित्तीय परिसम्पतियों का उचित मूल्य पर मापन – आवर्ती उचित मूल्य मापन

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (स्तर 1)

अर्थसुलभ म्यूचवल फंड

वित्तीय देयताओं का उस परिशोधन लागत पर मापन जिनके उचित मूल्य का प्रकटीकरण कर दिया गया है।	31.3.2021 को स्थिति	31.3.2020 को स्थिति
ऋण – आवधिक ऋण (स्तर –3)		
–इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक)से	-	-
– पावर फाइनेंस कारपोरेशन से	-	96,223.78
–भारतीय स्टेट बैंक	25,912.62	-
–एफडी की एवज में बैंकों से प्राप्त प्रत्याभूत ऋण	22,029.20	
–रा.रा.क्षे.,दि.स. से	77,799.45	104,464.60
–पट्टा देयताएं	616.64	633.02
प्रतिधारित देयताएं (स्तर 3)	-	-
योग	**126,357.91**	**201,321.40**

उचित मूल्यों का वर्गीकरण निम्नानुसार मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से इनपुट के आधार पर उचित मूल्य वर्ग व्यवस्था के विभिन्न स्तर में किया गया है:

स्तर 1: स्तर 1 की वर्ग व्यवस्था में वित्तीय प्रपत्रों का मापन उद्धृत मूल्यों के उपयोग से किया जाता है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में व्यवसाय न किए जाने वाले वित्तीय प्रपत्रों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से किया जाता है।

स्तर–3 : यदि एक अथवा अधिक महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रत्यक्ष बाजार डाटा पर आधारित नहीं होते हैं तो प्रपत्र को स्तर–3 में शामिल किया जाता है। स्तर–3 में शामिल की गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य का निर्धारण सामान्यतः स्वीकृत मूल्य मॉडल के अनुसार किया जाता है, जो प्रत्यक्ष चालू बाजार संव्यवहारों के मूल्यों के बट्टागत रोकड़ प्रवाह पर आधारित होता है।

वर्ष के दौरान स्तर 1 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं किया गया था।

ग) उचित मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग में लाई गई मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय प्रपत्रों के मूल्यांकन की विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकें निम्नानुसार हैं:–

– अर्थसुलभ म्यूचवल फंड के लिए उद्धृत बाजार मूल्य;

– शेष वित्तीय प्रपत्रों के लिए बट्टाकृत रोकड़ प्रवाह विश्लेषण

उचित मूल्यों पर मापन के संबंध में कंपनी में सुदृढ़ नियंत्रण तंत्र स्थापित किया गया है। कंपनी द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन समायोजनों की समीक्षा की जाती है।

घ) परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य (रुपये लाख में)

वित्तीय देयताएं	31.3.2021 को स्थिति		31.3.2020 को स्थिति	
	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक)से आवधिक ऋण	-		-	-
प्रतिधारित देयताएं	-		-	-
पावर फाइनेंस कारपोरेशन से ऋण	-	-	96,223.78	96,223.78
भारतीय स्टेट बैंक से आवधिक ऋण	25,912.62	25,912.62	-	-
बैंको से प्रत्याभूत ऋण	22,029.20	22,029.20	-	-
पट्टा देयताएं	616.64	616.64	633.02	633.02
जीएनसीटीडी से आवधिक ऋण	77,799.45	77,090.71	104,464.60	118,289.31
योग	**126,357.91**	**125,649.17**	**201,321.40**	**215,146.11**

अल्पकालिक वहन राशियों, व्यवसाय प्राप्य, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, दावा प्राप्य, ऋण, व्यवसाय देय, ब्याज उपचय परन्तु ऋण पर देय नहीं, ब्याज उपचय तथा ऋण पर देय, कर्मचारी सम्बद्ध देयताएं, सम्बद्ध पार्टियों को देय, ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं से जमा तथा व्ययों के लिए देय को अल्पकालिक प्रकृति का होने के कारण उनके उचित मूल्य पर विचार में लिया गया है।

वित्तीय प्रपत्रों के उचित मूल्य का निर्धारण बट्टाकृत रोकड़ प्रवाह के विश्लेषण के उपयोग से किया गया है। उचित मूल्यों पर मापन के संबंध में कंपनी में सुदृढ़ नियंत्रण तंत्र व्यवस्था स्थापित की गई है। कंपनी द्वारा नियमित रूप से महत्वपूर्ण अलक्षित इनपुटों एवं मूल्यांकन समायोजनों की समीक्षा की जाती है।

35. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में आवधिक ऋण एवं उधार राशियां, व्यापार देय तथा अन्य देय होते हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालनों का वित्तपोषण है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यवसाय एवं अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ एवं अल्पकालिक जमा हैं, जो इसके प्रचालनों से सीधे उत्पन्न हुए हैं।

वित्तीय प्रपत्रों के उपयोग से कंपनी के सम्मुख निम्नलिखित जोखिम व्याप्त होते हैं:

– ऋण जोखिम

– चलनिधि जोखिम

– बाजार जोखिम

इस टिप्पणी में कंपनी के सम्मुख व्याप्त प्रत्येक उक्त जोखिम, कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों तथा मापन की प्रक्रियाओं एवं जोखिम प्रबंधन की प्रस्तुति की गई है।

निदेशक मंडल, कंपनी के जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की स्थापना एवं निगरानी के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी है। फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए कार्यात्मक निदेशकों सहित एक 'जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)' का गठन किया गया है तथा उन्हें जोखिमों का पता लगाने एवं जोखिम की समीक्षा करके कार्रवाई योजना तैयार करने तथा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक आधार पर जोखिमों के निपटान के लिए रणनीतियां तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। नियमित अंतराल पर आयोजित की जाने वाली जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में रणनीतियों पर चर्चा की जाती है। रिपोर्टिंग के प्रमुख निष्पादन सूचकों के माध्यम से जोखिमों की नियमित निगरानी की जा रही है।

क) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम होता है, जो किसी ग्राहक अथवा काउंटर पार्टी वित्तीय प्रपत्रों के संबंध में संविदागत दायित्वों को पूरा न किए जाने से होता है, जिससे कंपनी को वित्तीय हानि होती है। अग्रिमों, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों तथा बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से उत्पन्न होता है।

व्यवसाय प्राप्य तथा बिल न किया गया राजस्व

कंपनी द्वारा राज्य वितरण एजेंसियों को बिजली बिक्री की जाती है, जिनमें से कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (कंपनी की शेयरधारक) का व्यापक प्रभाव होता है अथवा वे सरकारी एजेंसियां होती हैं। आपूर्तित ऊर्जा के मामले में चूक के जोखिम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं:

क) केन्द्र सरकार की एजेंसियों से जोखिमों को महत्वहीन माना जाता है।

ख) ऐसी कम्पनियां जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का व्यापक प्रभाव है: ऐसे ग्राहकों से संग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी को दिए जाने वाले अनुदान का कुछ भाग ऐसे ग्राहकों को दिया जा रहा है। कंपनी को व्यापार प्राप्य के संबंध में पूर्व वर्षों के दौरान कोई महत्वपूर्ण अपसामान्य क्षति नहीं उठानी पड़ी है। अतः इन मामलों में चूक जोखिम को भी महत्वहीन माना जा सकता है।

कंपनी तथा ग्राहकों के बीच निष्पादित ऊर्जा क्रय करार तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, विनियमों के अंतर्गत परिभाषित क्रेडिट अवधि के दौरान भुगतान न किए जाने के मामलों के लिए कंपनी द्वारा विलम्ब प्रभार प्रभारित किए जाते हैं। इस प्रकार ग्राहकों को ऊर्जा आपूर्ति के मामले में किसी प्रकार की समय हानि नहीं हुई है। कंपनी ने उपलब्ध ऋण चूक, जैसे बाह्य एवं आंतरिक ऋण जोखिम कारकों तथा कंपनी को ग्राहकों के साथ हुए पूर्व अनुभव को ध्यान में रखा गया है।

कोई चूक तब होती है, जब प्रबंधन के विचारानुसार वसूली के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों का उपयोग किए जाने के पश्चात प्राप्यों की वसूली की कोई महत्वपूर्ण संभावना शेष नहीं रहती है।

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य तथा बैंको में जमाराशियां

कंपनी के बैंक प्रचालन मुख्यतः भारत सरकार के स्वामित्व वाले अनुसूचित बैंकों के साथ किए जाते हैं। सरकार के नियंत्रण वाली इकाईयों में चूक का जोखिम नगण्य माना जा सकता है।

सुरक्षा जमा

कंपनी द्वारा सरकारी विभागों/एजेंसियों अथवा जन उपयोज्यताओं यथा बिजली, जल इत्यादि के लिए सुरक्षा जमा किए गए हैं। ऐसे जमा के प्रति जोखिम को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

(1) ऋण जोखिम विवरण

वित्तीय परिसम्पतियों की वहन राशि से अधिकतम ऋण जोखिम के आसार होते हैं। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ऋण जोखिम के आसार निम्नलिखित थे:

(रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2021 को स्थिति	31.3.2020 को स्थिति
वित्तीय परिसम्पतियां, जिनके संबंध में हानि के भत्ते का मापन :		
उपयोज्यता काल में संभावित ऋण हानि (ईसीएल)		
व्यवसाय प्राप्य	400,655.98	405,562.97
बिल न किया गया राजस्व	29,060.43	24,691.23
12 माह की संभावित ऋण हानि(ईसीएल)		
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	75,643.34	77,665.92
अन्य बैंक शेष	68,286.03	70,432.53
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पतियां	961.96	1,399.49
सुरक्षा जमा	212.65	212.65
योग	**574,820.39**	**579,964.79**

(2) संभावित ऋण हानियों के प्रावधान

वित्तीय परिसम्पतियां जिनके संबंध में हानि के भत्ते का मापन 12 माह की संभावित ऋण हानि के रूप में किया गया है।

कंपनी के पास ऐसी परिसम्पतियां हैं, जिनकी काउंटर पार्टियों के पास दायित्वों के निर्वाह की पर्याप्त क्षमता है तथा जिनके संबंध में चूक जोखिम अत्याधिक कम है। तदनुसार, अपसामान्य हानि के आसार के संबंध में इस नोट में "अपसामान्य हानि प्रावधानों का मिलान" के अंतर्गत आगे प्रकटन किया गया है।

वित्तीय परिसम्पतियां, जिनके संबंध में हानि के भत्ते का मापन उपयोज्यता काल में संभावित ऋण क्षतियों के उपयोग से किया गया है।

कंपनी के ग्राहकों (सरकारी उपयोज्यताएं, उपयोज्यताओं का स्वामित्व सरकार तथा उपयोज्यताओं के पास है जिसमें जीएनसीटीडी. का स्वामित्व 49 प्रतिशत है) की क्षमता दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है तथा इस प्रकार चूक का जोखिम नगण्य अथवा शून्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का ऐसा मानना है कि 60 दिनों से अधिक की पूर्व देय राशियां गैर अपसामान्य राशियां हैं तथा जिनकी प्राप्ति अभी भी, उनके पूर्व भुगतान व्यवहार एवं ग्राहक के ऋण जोखिम के गहन विश्लेषण के आधार पर, पूरी तरह से की जा सकती है। इस प्रकार, व्यवसाय प्राप्य के संबंध में रिपोर्टिंग अवधियों के दौरान किसी अपसामान्य क्षति की स्वीकार्यता नहीं की गई है।

(3) व्यवसाय प्राप्यों का काल प्रभाव विश्लेषण और बिल में लिया न गया राजस्व (रुपये लाख में)

काल प्रभाव	31.3.2021 को स्थिति	31.3.2020 को स्थिति
देय नहीं	50,901.19	54,671.07
0–30 दिन के पूर्व देय	20,806.16	45,264.54
देय के पश्चात 31–60 दिन	24,595.45	89,726.10
देय के पश्चात 61–120 दिन	9,104.76	23,786.69
देय के पश्चात 120 दिन से अधिक	324,387.99	216,805.80
स्रोत पर संग्रहित कर	(79.37)	
योग	**429,716.18**	**430,254.20**

ख) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिससे बाजार के मूल्य परिवर्तित होते हैं, जैसे कि विदेशी मुद्रा दर, ब्याज दरों एवं इक्विटी मूल्यों से कंपनी की आय अथवा इसके वित्तीय प्रपत्रों की धारिता के मूल्य प्रभावित होते हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य, अपने प्रतिफल को इष्टतम बनाए रखकर, स्वीकृत मापदंडों के दायरे में बाजार जोखिम का प्रबंधन एवं नियंत्रण करना है। कंपनी के बाजार जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं का निर्माण करने का दायित्व निदेशक मंडल का होता है।

ब्याज दर जोखिम

कंपनी के सम्मुख ब्याज दर जोखिम होते हैं जो अस्थिर ब्याज दर वाले गैर–चालू ऋणों से उत्पन्न होते हैं। रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी के ब्याज उत्पन्न करने वाले वित्तीय प्रपत्रों की ब्याज दर प्रोफाइल के लिए कृपया नोट संख्या18 एवं 21 देखें।

नियत दर प्रपत्रों के लिए उचित मूल्य का संवेदनशील विश्लेषण

कंपनी के नियत दर प्रपत्रों का वहन परिशोधन लागत पर किया गया है। इस प्रकार वे ब्याज दर जोखिम के अंतर्गत नहीं हैं क्योंकि बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन होने से न तो उनकी वहन राशि और न ही उनका भावी रोकड़ प्रवाह प्रभावित होता है ।

परिवर्तनशील दर प्रपत्रों के लिए रोकड़ प्रवाह का संवेदनशीलता विश्लेषण

किसी रिपोर्टिंग तिथि को ब्याज दरों में 100 बेसिस प्वांइट परिवर्तन होने से कर पूर्व लाभ में नीचे दी गई राशियों तक वृद्धि/(घटाव) हो सकती है। इस विश्लेषण में अन्य सभी परिवर्तन स्थिर रहने का विचार किया गया है। इस विश्लेषण का निष्पादन समान आधार पर पिछले वर्ष के लिए किया गया था। नीचे दी गई तालिका में ऋणों एवं ऋण राशियों पर ब्याज दरों में होने वाले संभावित परिवर्तनों के प्रभावों की संवेदना दर्शाई गई है।

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
लाभ एवं हानि पर प्रभाव (कर पूर्व)				
मांग पर प्रतिदेय ऋण	1.18	(1.18)	13.04	(13.04)

मुद्रा जोखिम

पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के प्रयोजन से कंपनी द्वारा आयात करार किए जाते है। वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक कंपनी द्वारा विक्रेता की देयताओं की पुनः प्राप्ति/वास्तविक भुगतान पर विनिमय लाभ/हानि का पूंजीयन कर लिया जाता है। ऐसी पूंजी लागत के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लाभग्राहियों से वसूली किए जाने के उद्देश्य से अनुमति प्रदान की गई है। वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात यदि कोई विनिमय हानि/लाभ उत्पन्न होता है तो उसकी प्राप्ति भी टैरिफ के भाग के अंतर्गत लाभग्राहियों से की जाती है। इस प्रकार दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी विनिमय लाभ/हानि के मामले में कोई जोखिम नहीं है। वित्तीय देयताओं का मुद्रा प्रोफाइल नीचे दिया गया हैः

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	यूरो	यूएसडी	यूरो	यूएसडी
पूंजी व्यय के लिए देय	-	-	158.92	572.49
प्रतिधारित देयताएं	7,913.88	5,460.26	10,449.51	7,701.64
व्यवसाय देय	-	54.85	-	142.57
योग	**7,913.88**	**5,515.11**	**10,608.43**	**8,416.70**

संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च, 2021 को अमेरिकी डालर एवं यूरो के प्रति भारतीय रूपए की मजबूती, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, के परिणामस्वरूप इक्विटी एवं कर पूर्व लाभ की राशियों में निम्नानुसार वृद्धि/(कमी) हो सकती थी। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर की उन भिन्नताओं पर आधारित है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में औचित्यपरक रूप में घटित होने संभावित समझे जाते हैं। इस विश्लेषण के अंतर्गत ऐसा मान लिया जाता है कि विशेषतः ब्याज दर जैसी अन्य सभी चर स्थिर रहने वाले हैं। यदि नीचे दर्शाए गए अनसुार विदेशी मुद्रा दर भिन्नताएं औचित्यपरक रूप में भिन्न नहीं है तो इस विश्लेषण का निष्पादन पूर्व वर्ष के लिए समान आधार पर किया जाता हैः

10 प्रतिशत संचलन	कर पूर्व लाभ			
	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	सुदृढ़ता	अस्थिरता	सुदृढ़ता	अस्थिरता
यूरो	791.39	(791.39)	1,060.84	(1,060.84)
यूएसडी	551.51	(551.51)	841.67	(841.67)
योग	**1,342.90**	**(1,342.90)**	**1,902.51**	**(1,902.51)**

मूल्य जोखिम

कंपनी के सम्मुख प्रतिभूति मूल्य जोखिम म्यूचुअल फंड के रूप में किए गए निवेश से है जिसे लाभ एवं हानि के माध्यम से तुलन पत्र में उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे निवेश की दरें (एनएवी) म्यूचअुल फंड गृहों में उपलब्ध हैं। इन वगीकृत प्रतिभूतियों में लाभ/हानि होने की स्थिति में लाभ एवं हानि के माध्यम से इनके उचित मूल्य के लाभ में घटत/बढ़त होती है।

ग) चलनिधि जोखिम

चल निधि जोखिम वह जोखिम होता है जो कंपनी द्वारा अपनी वित्तीय देयताओं के दायित्व के निर्वाह में वहन की जाने वाली कठिनाईयों के रूप में उत्पन्न होता है तथा जिसका समाधान रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति की डिलीवरी के माध्यम से किया जाता हैं। कंपनी द्वारा चलनिधि के प्रबंधन का सुनिश्चय अपनी देयताओं, जब कभी देय हों, के दायित्वों का निर्वाह, सामान्य एवं कठिन स्थितियों में बिना किन्हीं अस्वीकार्य हानियों अथवा कंपनी की साख को जोखिम में डाले बिना, के लिए किया जाता है।

कंपनी में अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालिक निधियन एवं तरलता प्रबंधन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए यथोचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली है। कंपनी द्वारा तरलता जोखिम का प्रबंधन पर्याप्त रोकड़ रिजर्व, बैंकिंग सुविधाओं एवं आरक्षित ऋण सुविधाओं के अनुरक्षण के साथ वित्तीय संपत्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान और भावी एवं वास्तविक रोकड़ प्रवाह पर निरंतर निगरानी रखते हुए किया जाता है।

कंपनी का कोष विभाग कंपनी की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक तरलता अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी है। कोष द्वारा अल्पकालिक तरलता स्थिति की समीक्षा प्रतिदिन की जाती है। निदेशक मंडल द्वारा तरलता जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां बनाई गई हैं तथा कंपनी का कोष विभाग इन नीतियों के अनुसार अपने कार्य करता है। इन नीतियों का कोई भी उल्लंघन निदेशक मंडल को सूचित किया जाता है। दीर्घकालिक तरलता स्थिति की समीक्षा नियमित आधार पर जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है तथा स्थिति के अनुरूप उचित निर्णय लिए जाते हैं।

आमतौर पर कंपनी द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि उसके पास 60 दिनों की अवधि के लिए संभावित पच्रालनात्मक व्ययों और वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए मांग पर पर्याप्त नकदी है, इसमें कठिन परिस्थितियों में उत्पन्न संभावित प्रभाव शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, जिनके पूर्वानुमान लगा पाना संभव नहीं है।

घ) (1) वित्तीय व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित कंपनी की निकासी न किए गए ऋण तक पहुंच थी :– (रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2021 को स्थिति	31.3.2020 को स्थिति
फ्लोटिंग दर उधारी		
मांग पर प्रतिदेय ऋण (एक वर्ष की अवधि में समाप्य)	14,862.17	19,986.11

(2) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

संविदागत रोकड़ प्रवाह के आधार पर वित्तीय देयताओं की संविदारत परिपक्वता निम्नलिखित है :–

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार (रुपये लाख में)

वित्तीय दायित्वों की संविदारत परिपक्वता	3 माह अथवा कम	3–12 माह	1–2 वर्ष	2–5 वर्ष	5 से अधिक वर्ष	योग
बैंक से वाहन ऋण	-	-	-	-	-	-
भारतीय स्टेट बैंक से ऋण	1,270.27	3,214.59	4,286.12	12,858.35	4,283.30	25,912.62
जीएनसीटीडी से सावधी ऋण	5,300.42	8,907.03	7,393.20	22,179.60	34,019.20	77,799.45
प्रतिधारण देयताएं	-	-	-	-	-	-
पट्टा देयताएं	-	71.89	71.89	215.68	819.14	1,178.60
अल्पावधि उधारी	28,168.02	-	-	-	-	28,168.02
व्यवसाय देय	12,358.88	-	-	-	-	12,358.88
पूंजी व्यय के लिए देय	7,533.15	-	-	-	-	7,533.15
जमा/प्रतिधारण राशि	1,675.27	-	-	-	-	1,675.27
देय कॉर्पोरेट अंशभाग	798.19	-	-	-	-	798.19
कर्मचारियों को देय	658.90	-	-	-	-	658.90
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	252.61	-	-	-	-	252.61
योग	**58,015.71**	**12,193.51**	**11,751.21**	**35,253.63**	**39,121.64**	**156,335.69**

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार (रुपये लाख में)

वित्तीय दायित्वों की संविदारत परिपक्वता	3 माह अथवा कम	3–12 माह	1–2 वर्ष	2–5 वर्ष	5 से अधिक वर्ष	योग
बैंक से वाहन ऋण	-	-	-	-	-	-
पीएफसी से सावधी ऋण	3,865.46	10,262.04	13,682.72	41,048.16	27,365.40	96,223.78
जीएनसीटीडी से सावधी ऋण	24,620.77	8,858.63	7,393.20	22,179.60	41,412.40	104,464.60
प्रतिधारण देयताएं	-	-	-	-	-	-
पट्टा देयताएं	-	71.89	71.89	215.68	891.04	1,250.50
अल्पावधि उधारी	23,957.51	-	-	-	-	23,957.51
व्यवसाय देय	14,260.72	-	-	-	-	14,260.72
पूंजी व्यय के लिए देय	1,108.64	-	-	-	-	1,108.64
जमा/प्रतिधारण राशि	10,289.07	-	-	-	-	10,289.07
देय कॉर्पोरेट अंशभाग	653.38	-	-	-	-	653.38
कर्मचारियों को देय	621.56	-	-	-	-	621.56
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	252.46	-	-	-	-	252.46
योग	**79,629.57**	**19,192.56**	**21,147.81**	**63,443.44**	**69,668.84**	**253,082.22**

36. **पूंजी प्रबंधन**

पूंजी का प्रबंधन करते समय, कंपनी का उद्देश्य होता है :

– एक क्रियाशील प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की उसकी क्षमता को सुरक्षित रखना, और

– ऋणएवं इक्विटी का एक उपयुक्त पूंजी संरचना बनाये रखना।

कंपनी बाह्य तौर पर प्रत्यारोपित पूंजी अपेक्षाओं के अध्यधीन नहीं है।

कंपनी द्वारा निवल ऋण को इक्विटी जमा से विभाजित करने की विधि के अनुसार गियरिंग अनुपात के उपयोग से पूंजी निगरानी की जाती है। निवल ऋण में दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण घटा रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य होते हैं। इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी तथा रिजर्व होते हैं जिनका प्रबंधन पूंजी के रूप में किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गियरिंग अनुपात निम्नानुसार था:–

(रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2021 को स्थिति	31.3.2020 को स्थिति
कुल ऋण देयताएं	131,880.09	224,645.89
घटाएं : रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य और बैंक शेष	75,643.34	78,023.13
निवल ऋण	**56,236.75**	**146,622.76**
इक्विटी योग	207,419.00	207,419.00
इक्विटी अनुपात पर निवल ऋण	**0.27**	**0.71**

37. **आयकर**

क) **आयकर व्यय**

1) **लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत आयकर** (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	15,588.46	34,349.94
	15,588.46	**34,349.94**
आस्थगित कर व्यय		
अचल अंतरों की उत्पत्ति एवं उत्क्रमण	**4,431.08**	**4,568.52**
घटाएं : आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित परिसंपत्ति	**-**	**-**
	4,431.08	**4,568.52**
योग आयकर व्यय	**20,019.54**	**38,918.46**
पूर्व वर्षों के लिए समायोजन	**-**	**-**

2) **अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर** (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर निवल बीमाकिंक लाभ/(हानि)		
कर पूर्व	(97.49)	(84.58)
कर व्यय/(लाभ)	(34.07)	(29.56)
निवल कर	**(63.42)**	**(55.02)**

3) **कर व्ययों का समाधान तथा भारतीय घरेलू कर दर से गुणक लाभ का लेखांकन**

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पूर्व लाभ	85,266.60	195,133.98
कंपनी की घरेलू आधार कर दरः 34.944% (31 मार्च, 2020- 34.944%) के उपयोग से	29,795.56	68,187.62
निम्न का कर प्रभाव :		
न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)/80आईए क्रेटिड	(11,411.30)	(29,442.10)
वित्तीय देयताओं पर ब्याज का मोचन	-	-
आयकर के तहत गैर–अनुमत व्यय	702.78	144.22
आयकर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त आय		(0.82)
आस्थगित कर दर में बदलाव का प्रभाव	-	-
भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन का प्रभाव/अन्य प्रभाव	-	-
प्रभावी आयकर दर के अनुसारः 23.13 प्रतिशत (31 मार्च, 2020–19.93 प्रतिशत)	**19,087.04**	**38,888.91**

ख) **आस्थगित कर बकाया**

1) मूल्य सूची विनियमों के अनुसार 31 मार्च, 2012 तक की आस्थगित कर देयताओं की वसूली डिस्कॉम से की जानी है जिसके इनके रिवर्सल पर बिल जारी किए जाएंगे। तथापि, दिल्ली विद्युत विनियामक प्राधिकरण , विनियम 2011 के उपबंध के अनुसार आयकर को नियत लागत का भाग माना गया है तथा यह 1 अप्रैल, 2012 से अलग से वसूली योग्य नहीं है। तद्नुसार इसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

2) आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा आस्थगित कर देयताओं का समंजन कर दिया गया है क्योंकि उनके संचलन विधान समान हैं।

3) आस्थगित कर शेष का संचलन

(रुपये लाख में)

विवरण	अथ शेष	लाभ एवं हानि में स्वीकृति	अन्य व्यापक आय में स्वीकृति	अंत शेष
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए				
आस्थगित कर देयताए				
बही आधार तथा कर आधार में अंतर	46,476.57	4,479.65		**50,956.23**
लिक्विड म्युचुअल फंड पर अप्राप्त लाभ	-			
घटाएंः आस्थगित कर परिसम्पतियां	-			
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	845.40	(120.77)		**724.63**
भारतीय लेखांकन मानक 115 पट्टा का प्रभाव	7.21	194.32		**201.53**
भंडार, कलपुर्जे तथा पीपीई के प्रावधान	95.91	7.97		**103.88**
कर्मचारी सेवानिवृति हितलाभ व अन्य के प्रावधान	295.76	1.14		**296.90**
अन्य	-			**-**
निवल कर परिसम्पतियां/(देयताएं)	45,232.29	4,396.99	-	**49,629.29**

(रुपये लाख में)

विवरण	अथ शेष	लाभ एवं हानि में स्वीकृति	अन्य व्यापक आय में स्वीकृति	अंत शेष
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए				
आस्थगित कर देयताए				
बही आधार तथा कर आधार में अंतर	42,048.68	4,427.89	-	**46,476.57**
लिक्विड म्युचुअल फंड पर अप्राप्त लाभ	-	-	-	**-**
घटाएंः आस्थगित कर परिसम्पतियां				
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	966.17	(120.77)	-	**845.40**
भारतीय लेखांकन मानक 115 पट्टा का प्रभाव	-	7.21	-	**7.21**
भंडार, कलपुर्जे तथा पीपीई के प्रावधान	95.91	-	-	**95.91**
कर्मचारी सेवानिवृति हितलाभ एवं अन्य के प्रावधान	293.28	(27.08)	29.56	**295.76**
अन्य	-	-	-	**-**
निवल कर परिसम्पतियां/(देयताएं)	40,693.32	4,568.53	(29.56)	**45,232.29**
निवल कर परिसम्पतियां/(देयताएं)	40,693.32	4,568.53	(29.56)	45,232.29

4) **बही में मान्य न किया गया कंपनी को भविष्य में उपलब्ध एमएटी क्रेडिट** (रुपये लाख में)

विवरण	राशि	समाप्ति तिथि
31 मार्च, 2021 को		
वर्ष 2011–12 के लिए	53.38	2026-27
वर्ष 2012–13 के लिए	6,469.30	2027-28
वर्ष 2015–16 के लिए	618.96	2030-31
वर्ष 2016–17 के लिए	4,939.93	2031-32
वर्ष 2017–18 के लिए	3,070.05	2032-33
वर्ष 2018–19 के लिए	3,620.78	2033-34
वर्ष 2019–20 के लिए	28,372.49	2034-35
वर्ष 2020–21 के लिए	9,571.27	2035-36
31 मार्च, 2020 को		
वर्ष 2011–12 के लिए	53.38	2026-27
वर्ष 2012–13 के लिए	6,469.30	2027-28
वर्ष 2015–16 के लिए	618.96	2030-31
वर्ष 2016–17 के लिए	4,939.93	2031-32
वर्ष 2017–18 के लिए	3,070.05	2032-33
वर्ष 2018–19 के लिए	3,620.78	2033-34
वर्ष 2019–20 के लिए	28,372.49	2034-35
वर्ष 2019–20 के लिए	28,370.56	2034-35
वर्ष 2011–12 के लिए	53.38	2026-27
वर्ष 2012–13 के लिए	6,469.30	2027-28
वर्ष 2015–16 के लिए	618.96	2030-31
वर्ष 2016–17 के लिए	717.12	2031-32

4) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115बीएए और भारत सरकार द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से की गई घोषणा के अनुसरण में कंपनी के पास संचित एमएटी क्रेडिट की चूक सहित कतिपय कर प्रोत्साहन में परिणामी कमी के साथ कम कर को चुनने का एक अपरिवर्तनीय विकल्प है। कंपनी ने इसका मूल्यांकन करने के बाद, इस विकल्प को नहीं चुना है और आय पर करों को पूर्व के प्रावधानों के अनुसार लेखबद्ध करना जारी रखा है।

38. कंपनी के पीपीएस–1 संयंत्र को 2012–13 से 2014–15 के क्रम के लिए पीएटी (निष्पादित करें, प्राप्त करें और व्यवसाय करें) योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था, जिसके अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा कुछ प्रचालनात्मक मानदंड निर्धारित किए गए थे। पीएटी चक्र के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अधिकृत ऊर्जा ऑडिटरों द्वारा आडिट किया गया तथा उन्होंने कंपनी को 8020 अंकों के ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र की पात्रता प्रमाणित की गई है। वर्ष के दौरान कंपनी को प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 466 प्रमाण पत्रों की बिक्री पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में 4.66 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति, विविध आय (अन्य आय) के रूप में की गई है। 2017–18 से 2019–20 के चक्र के लिए पीएटी योजना के अंतर्गत ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र अभी प्रतीक्षित है।

39. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में कंपनी ने एक सीएसआर कमेटी का गठन किया है और उसकी अपनी एक सीएसआर नीति है। कंपनी से तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करने की अपेक्षा की जाती है। सीएसआर नीतियों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों हेतु कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 185.18 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 को 790.27लाख रुपये) की राशि खर्च की जानी अपेक्षित थी। कंपनी ने पीएम केयर निधि, स्वच्छ भारत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और स्वच्छ गंगा निधि में सितंबर, 2021 तक 1785.18 लाख रुपये का अंशदान किया है।

सीएसआर व्यय का ब्योरा निम्नलिखित हैः (रुपये लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	द्वारा व्यय की गई अपेक्षित निवल राशि	1785.18	
(ख)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		
	(1) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
	(2) उपर्युक्त (1) के अलावा अन्य प्रयोजनों पर	-	-
(ग)	वर्ष के दौरान व्यय न की गई राशि	**1,785.18**	**-**

40. पट्टा

40.1 पट्टेदार के रूप में पट्टे

क) कंपनी ने कार्यालय उपस्कर पट्टे पर लिए हैं। ये पट्टे की व्यवस्थाएं आमतौर पर आपसी शर्तों पर नवीकरणीय होती हैं लेकिन इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। इन पट्टों का स्वरूप अल्पकालिक होता है।

कंपनी ने डीएसआइआइडीसी से फ्लैट लिए हैं और इन फ्लैटों की अंडरलाइंग भूमि पट्टाधारिता के आधार पर ली गई है। पट्टे धारित भूमि सहित इन फ्लैटों का पट्टा विलेख अभी निष्पादित किए जाने हैं। कंपनी ने दिल्ली जल बोर्ड से पट्टे पर भूमि ली हुई है जिस पर कंपनी ने अपने उपचारित पानी की आपूर्ति के लिए बहिस्राव पंपिंग स्टेशन तैयार कर लिया है।

ख) मान्यता प्राप्त पट्टा देयताएं की वहन राशि और अवधि के दौरान संचलन नीचे दिए गए हैः

विवरण	(रुपये लाख में)
01 अप्रैल, 2019 को	648.05
–जुड़ाव	-
–ब्याज प्रोद्भूतन	56.86
–भुगतान	(71.89)
01 अप्रैल, 2020 को	633.02
–जुड़ाव	-
–ब्याज प्रोद्भूतन	55.51
–भुगतान	(71.89)
01 अप्रैल, 2021 को	616.64

पट्टा देयता	31 मार्च, 2021 की स्थिति को	31 मार्च, 2020की स्थिति को
चालू	17.86	16.38
गैर–चालू	598.78	616.64
कुल	**616.64**	**633.02**

ग) निम्नलिखित राशियों को लाभ अथवा हानि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है: (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
प्रयोगाधिकार परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास व्यय	142.77	142.77
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	55.51	56.86
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	-	1.77
लाभ अथवा हानि के रूप में मान्यता प्रदान की गई कुल राशि	198.28	201.40

घ) निम्नलिखित राशि को नकद प्रवाह विवरण में मान्यता दी गई है: (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020को
पट्टों से नकद बहिर्वाह	71.89	71.89

ड) भावी नकद बहिर्वाह जिससे पट्टेदार प्रभावित होगा जिसे पट्टा देयताओं के मापन में नहीं दर्शाया गया है। इसमें निम्नलिखित से जोखिम शामिल है:

(1) चल पट्टा भुगतानः लागू नहीं

(2) अपशिष्ट मूल्य गारंटीः लागू नहीं

च) वर्ष के दौरान कोई बिक्री और पट्टा वापसी लेन–देन नहीं हुआ है।

41. भारतीय लेखांकन मानक 19 'कर्मचारी हितलाभ'के अनुसार प्रकटन

(1) परिभाषित अंशदायी योजनाएं :

कंपनी ने सरकार द्वारा प्रशासित एवं प्रबंधित निधियों में भविष्य निधि के लिए अंशदान जमा किए हैं। वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में 317.56 लाख रुपये (31 मार्च, 2020: 259.68 लाख रुपये) की स्वीकार्यता व्यय के रूप में की गई है जिसे कॉर्पोरेट अंशभाग के रूप में 19.00 लाख रुपयेसहित लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया गया है (31 मार्च, 2020:15.98 लाख रुपये) हैं।

(2) परिभाषित लाभ योजनाएं :

क. उपदान

कंपनी द्वारा निधिबद्ध उपदान योजना प्रचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत कंपनी से अलग होने की स्थिति में, कंपनी में सेवा के पूर्ण वर्षों के लिए वेतन के अनुसार एकमुश्त लाभ प्रदान किए जाते हैं। अनबंडलिंग के पश्चात नियुक्त किया गया प्रत्येक वह कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष की निरंतर सेवाएं पूरी कर ली हैं, सेवानिवृत्ति अथवा संगठन से अलग होने, जो भी पहले हो, के समय उपदान प्राप्त करने का पात्र है। किसी कर्मचारी को उपदान के लाभ ''उपदान भुगतान अधिनियम, 1972'' के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए आकलन के अनुसार देय होते हैं।

बीमांकन रिपोर्ट के आधार पर उपदान योजना तथा कंपनी तुलन पत्र तिथि के लिए वित्तीय विवरणों में स्वीकृत राशियों से संबंधित विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत किया गया है:–

क) निवल परिभाषित लाभ देयताएं (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 की स्थिति	31 मार्च 2020 की स्थिति
गैर–चालू	7.85	6.14
चालू	4.78	17.43
योग	**12.63**	**23.57**

ख) निवल परिभाषित लाभों में संचलन (परिसम्पतियां)/देयताएं (रुपये लाख में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व	योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	परिभाषित निवल लाभ (परिसम्पति) देयताएं
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए			
अथ शेष	**124.51**	**100.93**	**23.57**
लाभ एवं हानि में सम्मिलित :			
चालू सेवा लागत	12.52	-	12.52
पूर्व सेवा लागत	-	-	-
ब्याज लागत (आय)	8.47	6.86	1.61
लाभ अथवा हानि में स्वीकृत राशि का योग	**20.98**	**6.86**	**14.11**
अन्य व्यापक आय में सम्मिलित :			
निम्नलिखित से उत्पन्न पुनःमापन हानि/(लाभ):			
वित्तीय पूर्वानुमान	-	-	-
जनांकिकीय पूर्वानुमान	-		-
अनुभव समायोजन	(18.70)	-	(18.70)
ब्याज आय के अलावा योजना परिसम्पतियों से लाभ	-	0.66	(0.66)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशि का कुल योगः	**(18.70)**	**0.66**	**(19.35)**
नियोक्ता का अंशदान	-	5.71	(5.71)
चुकता लाभ	-	-	-
अंत शेष	**126.80**	**114.16**	**12.65**

ख) निवल परिभाषित लाभों में संचलन (परिसम्पतियां)/देयताएं (रुपये लाख में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व	योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	परिभाषित निवल लाभ (परिसम्पति) देयताएं
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए			
अथ शेष	**100.08**	**90.99**	**9.09**
लाभ एवं हानि में सम्मिलित :			
चालू सेवा लागत	13.33	-	13.33
पूर्व सेवा लागत	-	-	-
ब्याज लागत (आय)	7.67	6.97	0.70
लाभ अथवा हानि में स्वीकृत राशि का योग	**21.00**	**6.97**	**14.03**
अन्य व्यापक आय में सम्मिलित :			
निम्नलिखित से उत्पन्न पुनःमापन हानि/(लाभ):			
वित्तीय पूर्वानुमान	11.16	-	11.16
जनांकिकीय पूर्वानुमान	(0.03)		(0.03)
अनुभव समायोजन	(7.71)	-	(7.71)
ब्याज आय के अलावा योजना परिसम्पतियों से लाभ	-	(0.29)	0.29
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशि का कुल योग	**3.42**	**(0.29)**	**3.71**
नियोक्ता का अंशदान	-	3.26	(3.26)
चुकता लाभ	-	-	-
अंत शेष	**124.50**	**100.93**	**23.57**

ग) **योजनागत परिसम्पतियां**

कंपनी की योजनागत परिसम्पतियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी के निधि दायित्वों को पूरा करने के लिए ली गई एक पॉलिसी के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसकी देख–रेख कंपनी द्वारा व्यवस्थित एक न्यास के माध्यम से की जाती है। योजनागत परिसम्पतियों के वर्गीकरण की 31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च, 2020 के संबंध में योजनागत परिसम्पतियों के वर्गीकरण की सूचना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

घ) **बीमांकित अनुमान**

रिपोर्टिंग तिथि को निम्नलिखित प्रमुख बीमांकन अनुमान लगाए गए: (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 की स्थिति	31 मार्च 2020 की स्थिति
छूट की दर	6.80 प्रतिशत	6.80 प्रतिशत
वेतन वृद्धि दर	8 प्रतिशत	8 प्रतिशत
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60 वर्ष	60 वर्ष
अक्षमता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	आईएएलएम (2012–14) का 100 प्रतिशत	आईएएलएम (2012–14) का 100 प्रतिशत
निकासी दर	3% प्रतिवर्ष	3% प्रतिवर्ष

रोजगार के पश्चात लाभ के दायित्वों में कमी के लिए प्रयोग की दर का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को सरकारी बांडों के बाजार लाभ के संदर्भ में किया गया है। सरकारी बांडों की निरंतरता तथा शर्तें रोजगार पश्च दायित्वों की निरंतरता एवं अनुमानित स्थितियों के अनुरूप हैं।

वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य आपूर्ति एवं रोजगार बाजार में मांग जैसे संबद्ध कारकों पर निर्भर करती है।

ड.) **संवेदनशीलता विश्लेषण**

परिभाषित हितलाभ दायित्वों के निर्धारण के लिए लगाए गए महत्वपूर्ण बीमांकित पूर्वानुमान दरों में कमी एवं संभावित वेतन वृद्धि से संबंधित हैं। नीचे दिए गए सूक्ष्म विश्लेषण का निर्धारण अन्य सभी पूर्वानुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न होने वाले पूर्वानुमानों में औचित्यपरक संभावित बदलाव लाने के आधार पर किया गया है :–

विवरण	वृद्धि	ह्रास
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		
छूट की दर (0.50 प्रतिशत संचलन)	(7.13)	7.79
वेतन वृद्धि दर (0.50 प्रतिशत सचलन)	1.92	(1.99)
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार		
छूट की दर (0.50 प्रतिशत संचलन)	(6.69)	7.33
वेतन वृद्धि दर (0.50 प्रतिशत सचलन)	2.42	(2.61)

ऊपर प्रस्तुत सूक्ष्म विश्लेषण से परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक बदलाव नहीं भी आ सकता है क्योंकि कुछ पूर्वानुमानों की सहसम्बद्धता होने के कारण ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये पूर्वानुमान अन्यों से हटकर कुछ अलग प्रकार के होंगे।

इसके अलावा, उपर्युक्त सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत की प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से परिभाषित हितलाभ के वर्तमान मूल्य का आकलन किया गया है, जो कि वही है, जो वित्तीय स्थिति के विवरणों में परिभाषित लाभ दायित्वों की स्वीकृति के लिए उपयोग में लाई गई है।

सूक्ष्म विश्लेषणों को तैयार करने के लिए उपयोग में लाए गए पूर्वानुमानों की विधि एवं रीति पूर्वावधि में किए गए उपयोगों से भिन्न नहीं है।

च) **जोखिम विवरण**

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सम्मुख अनेकों जोखिम हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण जोखिमों का विवरण नीचे दिया गया है:–

क) वेतन वृद्धि – वास्तविक वेतन वृद्धि से योजनागत देयताओं में बढ़ोतरी होगी। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकन की दर में बढ़ोतरी होने से देयताओं में भी बढ़ोतरी होगी।

ख) निवेश जोखिम – योजना में निधियन किए जाने की स्थिति में परिसम्पतियों एवं देयताओं के मध्य अनुपयुक्तता होगी तथा परिसम्पतियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल पूर्व मूल्यांकन तिथि को आंकी गई कटौती दर से भी कम होगा जिससे देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

ग) छूट दर: कटौती दर में कमी लाने के परिणामस्वरूप किए जाने वाले अनुवर्ती मूल्यांकनों से योजनागत देयताओं में वृद्धि हो सकती है।

घ) मृत्यु एवं अक्षमता – किए जाने आकलन की तुलना में वास्तविक मृत्यु तथा अक्षमता के मामले कम अथवा अधिक मूल्यांकन किए जाने से देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

ङ) निकासी – आकलित निकासी से अधिक अथवा कम वास्तविक निकासी तथा अनुवर्ती मूल्यांकन में निकासी की दरों में परिवर्तन आने से योजनागत देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

छ) उपदान लाभों के संबंध में प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार हैं :– (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 की स्थिति	31 मार्च 2020 की स्थिति
परिभाषित हितलाभ भुगतान की अवधि		
1 वर्ष से कम	4.78	17.43
1–2 वर्ष के बीच	3.93	3.44
2–5 वर्ष के बीच	21.12	7.85
5 वर्ष से अधिक	96.95	85.79
योग	**126.78**	**114.51**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रोजगार उपरांत हितलाभ योजनाओं में प्रत्याशित अंशदान 13.91 लाख रुपये है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ योजना दायित्वों की भारित औसत अवधि 15.13 वर्ष है (31 मार्च, 2020: 14.93 वर्ष)।

ज) पीपीसीएल को अंतरित व्यय

कुल स्वीकृत प्रावधानों में से, कॉर्पोरेट शेयर के रूप में आईपीजीसीएल में से 87.70 लाख रुपये अंतरित किए गए थे तथा आईपीजीसीएल को 6.94 लाख रुपये (31 मार्च, 2020: 6.82 लाख रुपये)अंतरित किए गए हैं।

ख. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना

कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएस) कार्यशील है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसके जीवन साथी को निर्धारित सीमाओं की शर्त पर कंपनी के अस्पताल/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित की गई सीमा तक बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा गैर निधियन है तथा इसकी देयताएं बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं।

बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित तालिका में अनुदान योजना की स्थिति एवं तुलन पत्र तिथि को कंपनी के वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई राशियां दर्शाई गई हैं:

क) निवल परिभाषित हितलाभ देयताएं (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति	31 मार्च, 2020 की स्थिति
गैर–चालू	116.11	99.11
चालू	0.16	0.15
योग	**116.27**	**99.26**

ख) निवल परिभाषित हितलाभों में संचलन (परिसम्पति)/देयताएं (रुपये लाख में)

परिभाषित हितलाभ दायित्व	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अथशेष	**99.26**	**85.84**
लाभ अथवा हानि में शामिल		
चालू सेवा लागत	10.92	10.22
ब्याज लागत/आय	6.75	6.58
लाभ अथवा हानि में स्वीकृत राशि का योग	**17.67**	**16.80**
अन्य व्यापक आय में सम्मिलितः		
निम्नलिखित से उत्पन्न पुनःमापन हानि/(लाभ)(बीमांकित हानि/(लाभ)):		
वित्तीय पूर्वानुमान	-	5.72
अनुभवजन्य समायोजन	(0.66)	(9.10)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशि का योग	**(0.66)**	**(3.38)**
चुकता लाभ	-	-
अंत शेष	**116.27**	**99.26**

ग) **बीमांकित पूर्वानुमान**

रिपोर्टिंग तिथि को निम्नलिखित बीमांकित पूर्वानुमान हैः–

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट की दर	6.80%	6.80%
मुआवजा स्तरों पर दर की वृद्धि	10.00%	10.00%
सेवा के दौरान मूल वेतन तथा ग्रेड वेतन पर संवर्धन की दर	4.00%	4.00%
ओपीडी व्ययों पर संवर्धन की दर	शून्य	शून्य
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60 वर्ष	60 वर्ष
अक्षमता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	आईएएलएम (2012–14) का 100 प्रतिशत	आईएएलएम (2012–14) का 100 प्रतिशत
निकासी दर	3% प्रतिवर्ष	3% प्रतिवर्ष

रोजगार के पश्चात लाभ के दायित्वों में कमी के लिए प्रयोग की दर का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को सरकारी बांडों के बाजार लाभ के संदर्भ में किया गया है। सरकारी बांडों की निरंतरता तथा शर्तें रोजगार पश्च दायित्वों की निरंतरता एवं अनुमानित स्थितियों के अनुरूप हैं।

वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य आपूर्ति एवं रोजगार बाजार में मांग जैसे संबद्ध कारकों पर निर्भर करती है।

घ) **संवेदनशीलता विश्लेषण**

परिभाषित हितलाभ दायित्वों के निर्धारण के लिए लगाए गए महत्वपूर्ण बीमांकित पूर्वानुमान दरों में कमी एवं संभावित वेतन वृद्धि से संबंधित हैं। नीचे दिए गए सूक्ष्म विश्लेषण का निर्धारण अन्य सभी पूर्वानुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न होने वाले पूर्वानुमानों में औचित्यपरक संभावित बदलाव लाने के आधार पर किया गया हैः–

विवरण	वृद्धि	ह्रास
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		
छूट की दर (0.50 प्रतिशत संचलन)	(7.21)	7.16
चिकित्सा लागत दर (0.50 प्रतिशत सचलन)	7.13	(7.19)
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार		
छूट की दर (0.50 प्रतिशत संचलन)	(6.16)	6.11
चिकित्सा लागत दर (0.50 प्रतिशत सचलन)	6.08	(6.14)

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण से परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक बदलाव नहीं भी आ सकता है क्योंकि कुछ पूर्वानुमानों की सह–सम्बद्धता होने के कारण ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये पूर्वानुमान अन्यों से हटकर कुछ अलग प्रकार के होंगे।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत की प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से परिभाषित हितलाभ के वर्तमान मूल्य का आकलन किया गया है, जो कि वही है, जो वित्तीय स्थिति के विवरणों में परिभाषित हितलाभ दायित्वों की स्वीकृति के लिए उपयोग में लाई गई है।

संवेदनशीलता विश्लेषणों को तैयार करने के लिए उपयोग में लाए गए पूर्वानुमानों की विधि एवं रीति पूर्वावधि में किए गए उपयोगों से भिन्न नहीं है।

ड.) **जोखिम विवरण**

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सम्मुख अनेकों जोखिम हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण जोखिमों का विवरण नीचे दिया गया हैः

क) चिकित्सा लागत वृद्धि – प्रति सेवानिवृत्त कर्मचारी की वास्तविक चिकित्सा लागत में बढ़ोतरी होने से योजना की देयताओं में वृद्धि होगी। प्रति सेवानिवृत्त कर्मचारी की वास्तविक चिकित्सा दर आकलन में बढ़ोतरी होने से देयताओं में भी बढ़ोतरी होगी।

ख) निवेश जोखिम – योजना में निधियन किए जाने की स्थिति में परिसम्पतियों एवं देयताओं के मध्य अनुपयुक्तता होगी तथा परिसम्पतियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल पूर्व मूल्यांकन तिथि को आंकी गई कटौती दर से भी कम होगा जिससे देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

ग) छूटी दरः कटौती दर में कमी लाने के परिणामस्वरूप किए जाने वाले अनुवर्ती मूल्यांकनों से योजनागत देयताओं में वृद्धि हो सकती है।

घ) मृत्यु एवं अक्षमता – किए जाने आकलन की तुलना में वास्तविक मृत्यु तथा अक्षमता के मामले कम अथवा अधिक मूल्यांकन किए जाने से देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

ङ) निकासी – आंकलित निकासी से अधिक अथवा कम वास्तविक निकासी तथा अनुवर्ती मूल्यांकन में निकासी की दरों में परिवर्तन आने से योजनागत देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

च) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ के संभावित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार हैं: (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति	31 मार्च, 2020 की स्थिति
परिभाषित हितलाभ भुगतान की अवधि		
1 वर्ष से कम	0.16	0.15
1–2 वर्ष के बीच	0.70	0.17
2–5 वर्ष के बीच	3.05	2.18
5 वर्ष से अधिक	112.36	96.76
योग	**116.27**	**99.26**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रोजगार उपरांत हितलाभ योजनाओं में प्रत्याशित अंशदान 17.82 लाख रुपये है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 15.13 वर्ष (31 मार्च, 2020: 14.93 वर्ष) है।

छ) आईपीजीसीएल से अंतरित व्यय

आईपीजीसीएल से 145.83 लाख रुपये की राशि अंतरित की गई है और 10.49 लाख रुपये की राशि आईपीजीसीएल को अंतरित की गई है।

(3) अन्य दीर्घ कालिक कर्मचारी हितलाभ योजनाएं

क. प्रतिकारित अनुपस्थिति

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी हितलाभ (प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों सहित) तथा अर्द्ध वेतन छुट्टी प्रदान की जाती है, जिनका वर्ष में क्रमशः 30 दिन तथा 20 दिन का उपचय होता है। अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण सेवाकाल के दौरान नही किया जाता है तथा इसके संबंध में पूरे सेवाकाल में छुट्टी यात्रा रियायत के उपयोग के अधिकतम 60 दिनों के अर्जित छुट्टी नकदीकरण की अनुमति है। अर्द्ध–वेतन छुट्टियों का नकदीकरण 50 वर्ष की आयु के पश्चात केवल सेवा त्याग की स्थिति में ही दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के समय छुट्टियों का नकदीकरण अधिक 300 दिन (अर्थात अर्जित छुट्टी एवं अर्द्ध वेतन छुट्टी मिलाकर) तक प्रतिबंधित किया गया है तथा इसके लिए अर्द्ध–वेतन छुट्टी के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यह योजना गैर निधियन है तथा इसकी देयता की स्वीकृति बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर की गई है। चूंकि प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवा दिए जाने की अवधि की समाप्ति के पश्चात की बारह माह की अवधि के दायरे में पूरी तरह से नहीं आती हैं, अतः इसके हितलाभों का वर्गीकरण दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ के तौर पर किया गया है।

वर्ष के लिए बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर 14.88 लाख रुपये (31 मार्च, 2020: 58.57 लाख रुपये) के प्रावधान किए गए हैं तथा इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में नामे किया गया है। इसके अलावा, आईपीजीसीएल से 255.03 लाख रुपये (31 मार्च, 2020: 331.04 लाख रुपये) के प्रावधान अंतरित किए गए हैं तथा प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के संबंध 1.07 लाख रुपये (31 मार्च, 2020:0.73 लाख रुपये) अंतरित किए गए हैं।

ख. छुट्टी यात्रा रियायत

कंपनी की नीति के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने का पात्र है:–

क) दो वर्षों के ब्लॉक में गृह नगर के लिए एक तथा चार वर्ष के ब्लॉक में भारत में कहीं भी यात्रा के लिए एक छुट्टी यात्रा रियायत अथवा

ख) चार वर्ष के ब्लॉक में दो गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत।

इसके अलावा, छुट्टी यात्रा रियायत/गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग विस्तारित अवधियों अथवा एक वर्ष से ब्लॉक वर्ष के अंत तक भी किया जा सकता है।

यह योजना गैर निधियन है तथा इसकी स्वीकार्यता बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर की गई है। वर्ष के अंत में बीमांकित आधार पर (–)13.50 लाख रुपये (31 मार्च, 2020: (–) 35.23 लाख रुपये) के प्रावधान किए गए हैं तथा इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में नामे किया गया है।

42. भारतीय लेखांकन मानक–24 'सम्बंधित पक्षकार प्रकटीकरण' के अनुसार प्रकटीकरण

क) सम्बंधित पक्षकारों की सूची :–

1) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी):

श्री मधुप व्यास*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(11 जनवरी, 2019 से जुलाई 2019 तक)
श्री पदमिनी सिंगला*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(05 जुलाई, 2019 से 31 मार्च 2021 तक)
श्री सत्य गोयल*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(31 मार्च, 2021 से)
श्री मुकेश प्रसाद*	निदेशक (मानव संसाधन)	(25 सितंबर 2017 से 05 जुलाई 2019 तक)
श्री डी. वर्मा*	निदेशक (मानव संसाधन)	(18 जुलाई 2019 से 24 अप्रैल 2020 तक)
श्री रवि दधीच*	निदेशक (मानव संसाधन)	(24 अप्रैल 2020 से 09 सितंबर 2020)
श्री जितेंद्र कुमार जैन	निदेशक (मानव संसाधन)	(9 सितंबर, 2020 से 28 जुलाई 2021 तक)
श्री एस.एम. वर्मा	निदेशक (मा.सं.)	(01 मई 2019 से)
श्री रविन्द्र कुमार जैन	निदेशक (तकनीकी)	(05 जून 2017 से 31 मई 2020 तक)
श्री बी.एन. ओझा	निदेशक	(1 अक्तूबर, 2009 से)
श्री मदन वर्मा	निदेशक	(18 फरवरी, 2010 से)
श्री तरूण चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	(8 जून, 2016 से 07 जून 2021)
श्री मनोज बंसल	मुख्य वित्त अधिकारी	(5 फरवरी, 2019 से)
श्री प्रशांत व्यास	मुख्य वित्त अधिकारी	(5 फरवरी, 2019 तक)
श्री धीरज कुमार निमवाल	कंपनी सचिव	(5 फरवरी, 2019 से)

*पूर्णकालिक नहीं तथा अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं।

2) सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभ योजना :

पीपीसीएल कर्मचारी समूह उपदान निधि

3) समान सरकार के नियंत्रणाधीन इकाइयां:

कंपनी का नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास है, जिसके पास कंपनी के 100 प्रतिशत शेयरों (संदर्भ नोट संख्या15) का धारण है। भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैराग्राफ 25 तथा 26 के अनुसार समान सरकार के नियंत्रण में आने वाली इकाईयां अथवा संयुक्त उद्यम अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव होने की स्थिति में रिपोर्टिंग इकाई तथा इकाईयों को सम्बद्ध पक्षकार माना गया है। कंपनी द्वारा सरकारी सम्बद्ध इकाईयों के लिए उपलब्ध छूट के लिए आवेदन किया गया है तथा वित्तीय विवरणों में इसका सीमित प्रकटीकरण किया गया हैं। ऐसी इकाईयों, जिनके साथ कंपनी का महत्वपूर्ण लेन–देन होता है, परन्तु सीमित नहीं, में इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल), दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी लिमिटेड इत्यादि शामिल हैं।

ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ किया गया लेन–देन निम्नानुसार है: (रुपये लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1)	**प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को प्रतिपूर्ति**		
	अल्पकालिक हितलाभ	52.73	49.12
	सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभ	1.33	0.71
	अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	4.02	3.74
	योग प्रतिपूर्ति	**58.08**	**53.57**
2)	**नियुक्ति उपरांत हितलाभ योजनाओं के लेन–देन**		
	पीपीसीएल कर्मचारी समूह उपदान निधि	5.71	3.26

3) **सरकार तथा समान सरकार के नियंत्रणाधीन सम्बद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	ऋण पर ब्याज	7,465.89	11,123.34
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	चुकता आवधिक ऋण	7,393.20	45,993.02
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	ऊर्जा की बिक्री	100,990.71	157,774.48
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	ऊर्जा की बिक्री	34,821.60	84,755.83
टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	ऊर्जा की बिक्री	61,875.03	101,321.08
डीएसआईआईडीसी लिमिटेड	पट्टा देयता का भुगतान	43.58	43.58
इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	कॉर्पोरेट अंशभाग	481.93	537.53
इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	प्राप्त मालसूची	15.22	0.74
इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	प्राप्त मालसूची (जीएसटी के अलावा)	-	0.27
दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	एसएलडीसी/एनआरएलडीसी प्रभार	664.57	748.66

ग) **सम्बद्ध पक्षकारों से लेन देन के नियम तथा शर्तें**

– सम्बद्ध पक्षकारों से किया जाने वाला लेन–देन कॉस्ट टू कॉस्ट आधार पर सामान्य वाणिज्यिक नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जाता है।

– सम्बद्ध पक्षकारों से/को ऋण एवं ब्याज भुगतान से संबंधित शर्तों के लिए कृपया नोट संख्या18 तथा 21 देखें।

– ऊर्जा की बिक्री तथा दी गई छूट (यदि कोई हो) का विनियमन एवं लेन–देन दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। (संदर्भ सी.11 (नोट 1)

– निगमित व्ययों का सहभाजन लागत आधार जमा लागू कर ऊर्जा संयंत्रों की संस्थापित क्षमता के अनुपात में किया जाता है।

43. लेखापरीक्षा मानक (एसए) 505 (संशोधित) 'बाह्य पुष्टि' में दिए गए संदर्भ के अनुसार नकारात्मक अभिकथन युक्त शेष की पुष्टियां व्यवसाय/अन्य देयताओं तथा ऋणों एवं अग्रिमों के लिए पक्षकारों को भिजवाई गई हैं। ऐसे कुछ शेष की पुष्टियां पुष्टि/समाधान की शर्त के अध्याधीन हैं। पुष्टि/समाधान के पश्चात इनका समायोजन, यदि कोई हुआ, कर लिया जाएगा, जिससे प्रबंधन के मतानुसार किसी प्रकार का वस्तुगत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

44. प्रबंधन के मतानुसार, सम्पति संयंत्र एवं उपस्करों के अलावा अन्य परिसम्पतियों के मूल्यों की सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्ति उन मूल्यों से कम नहीं होगी, जिन मूल्यों का उल्लेख तुलन पत्र में किया गया है।

45. भारतीय लेखांकन मानक 36 में की गई अपेक्षाओं के अनुसार परिसम्पतियों की क्षति का मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का यह मत है कि परिसम्पतियों की क्षति का कोई भी मामला प्रस्तुत नहीं है।

46. निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का विलय प्रगति पावर कारपोरेशन में करने का निर्णय लिया गया था जिसके प्रति राष्ट्रीय राजधानी सरकार दिल्ली द्वारा 11 अगस्त, 2014 को अनुमोदन प्रदान किया गया था। तदनुसार दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 को असाधारण आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें शेयरधारकों द्वारा 1 अप्रैल, 2014 को विलय की प्रभावी तिथि के साथ समामेलन की योजना को अनुमोदित किया गया था। अधिकांश क्रेडिटरों तथा ऋणदाताओं द्वारा भी समामेलन की योजना अनुमोदित की गई तथा कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एससीए) के सम्मुख 29 सितम्बर, 2014 को विलय को प्रभावी करने के लिए आवेदन/याचिका दायर कर दी गई।

याचिका की सुनवाई के दौरान कर्मचारी यूनियनों/संघों समामेलन की योजना के प्रति अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 7 अक्तूबर, 2015 के अपने आदेश के माध्यम से यह सूचित किया गया था कि आवेदक कम्पनियों तथा कामगार यूनियनों के मध्य किसी परस्पर सहमति के माध्यम से प्रस्तावित योजना के पक्षकारों एवं भागीदारों के मध्य और स्पष्टता एवं सहमति होने अथवा इस मामले पर कोई न्यायिक निर्णय पारित होने तक कंपनी के आवेदन पर आगे कार्रवाई करना तब तक व्यवहार्य नहीं है। यूनियनों/संघों के साथ इन मामलों का अभी समाधान नहीं किया जा सका है।

47. भारतीय लेखांकन मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसम्पतियां के अंतर्गत प्रकटीकरण

क) वर्ष के दौरान प्रावधानों की गतिविधियां (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान		
वर्ष के प्रारम्भ में वहन राशि	4,144.96	-
जोड़े : वर्ष के दौरान संवर्धन		4,144.96
घटाएं : वर्ष के दौरान व्युत्क्रमण/समायोजन	4144.96	-
वर्ष के अंत में वहन राशि	**-**	**4,144.96**
अवशिष्ट परिसम्पतियों के लंबित अनुमोदन के लिए प्रावधान		
वर्ष के प्रारम्भ में वहन राशि	1.28	0.37
जोड़े : वर्ष के दौरान संवर्धन	-	0.91
घटाएं : वर्ष के दौरान व्युत्क्रमण/समायोजन	0.02	-
वर्ष के अंत में वहन राशि	**1.26**	**1.28**
सम्पति, संयंत्र एवं उपस्कर में कमी के लिए प्रावधान		
वर्ष के प्रारम्भ में वहन राशि	5.05	7.42
जोड़े : वर्ष के दौरान संवर्धन	2.01	-
घटाएं : वर्ष के दौरान व्युत्क्रमण/समायोजन		2.37
वर्ष के अंत में वहन राशि	**7.06**	**5.05**
एफबीटी की संदेहास्पद वसूली के लिए प्रावधान		
वर्ष के प्रारम्भ में वहन राशि	2.17	2.17
जोड़े : वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान व्युत्क्रमण/समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में वहन राशि	**2.17**	**2.17**

ख) कंपनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी, 2016 से देय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा पावर सेक्टर के उद्यमों की विभिन्न श्रेणी के वेतन मानों तथा भत्तों/हितलाभों की समीक्षा के लिए वेतन संशोधन समिति (डब्ल्यूआरसी) गठित की गई है। वेतन संशोधन समिति की अनुशंसाओं के आधार अंतिम अनुशंसाएं जारी किए जाने तक के लिए कर्मचारियों को अंतरित सहायता प्रदान किए जाने की स्वीकृति निदेशक मंडल द्वारा दी गई है। और इसलिए, 2018–19 के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन, इस संबंध में अंतिम अनुशंसाओं को निदेशक मंडल ने दिनांक 03.09.2020 को हुई बैठक में अनुमोदित किया। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2020 तक की देयताओं के लिए 4144.96 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान सभी प्रावधानों का भुगतान कर दिया गया है।

ग) चालू अवधि के संबंध में किए गए अनुमान पूर्व वर्षों के समान ही हैं। ऐसे प्रावधानों की स्वीकृति के लिए लगाए जाने वाले पूर्वानुमानों तथा अनुमानों का स्वरूप मात्रात्मक होता है तथा उनसे अगले वित्तीय वर्ष में बदलाव आ सकते हैं। ऐसे प्रावधानों की स्वीकृति के लिए लगाए जाने वाले पूर्वानुमानों तथा अनुमानों के संभावित प्रभाव का आकलन कंपनी के लिए व्यवहार्य नहीं है।

घ) **आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण** (रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋणों के प्रति स्वीकार्यता न किए जाने पर कंपनी के विरूद्ध किया गया दावा	2423.26	5,416.52
पूंजी व्यय के अलावा साख पत्र	9467.49	4,472.46
की गई अपील के कारण लेखे में व्यय के रूप में समायोजित न किए गए आयकर के प्रति विवादित देयता	42714.63	3,657.80
लेखा बहियों में व्यय के रूप में समायोजित न की गई स्रोत पर कर कटौती मांग	-	-

48. प्रति शेयर आय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरधारकों से संबद्ध लाभ		
विनियामक स्थगन खाता शेष सहित प्रचालनों से	65,247.06	156,215.52
विनियामक स्थगन खाता शेष से	-	-
विनियामक स्थगन खाता शेष के अलावा प्रचालनों से	**65,247.06**	**156,215.52**
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
जारी इक्विटी शेयरों का अथ शेष	2,074,190,000	2,074,190,000
वर्ष के दौरान जारी शेयरों का प्रभाव,यदि कोई हों,	-	-
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**2,074,190,000**	**2,074,190,000**
प्रति शेयर आय (मूल एवं डाइल्यूटिड)		
विनियामक स्थगन खाता शेष सहित प्रचालनों से	**3.15**	**7.53**
विनियामक स्थगन खाता शेष से	**-**	**-**
विनियामक स्थगन खाता शेष के अलावा प्रचालनों से	**3.15**	**7.53**
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	**10.00**	**10.00**

49. प्रचालन खंड

प्रबंधन की राय में, केवल एक रिपोर्ट करने योग्य खंड ("विद्युत का उत्पादन") है। तद्नुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों में किए जाने के लिए सूचनापेक्षी खंड के लिए कोई पृथक प्रकटन अपेक्षित नहीं है। पुनः, कंपनी केवल एक भौगोलिक खंड में प्रचालन करती है, जो भारत में है।

संस्था व्यापी प्रकटन

क) उत्पादों और सेवाओं के बारे में सूचना

उत्पादों और सेवाओं के बारे में सूचना के लिए नोट संख्या 27 देखें।

ख) भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में सूचना

कंपनी की सारी बिक्रियां उन ग्राहकों को की जाती हैं, जो भारत के निवासी हैं। साथ ही, कंपनी की सभी गैर–चालू परिसंपत्तियां भारत में स्थित हैं।

ग) प्रमुख ग्राहकों (बाह्य ग्राहकों से) के बारे में सूचना

कंपनी निम्न ग्राहकों से राजस्व (छूट का निवल) प्राप्त करती है, जो कंपनी के राजस्व का 10 प्रतिशत अथवा अधिक राशि है :–

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)	100,990.71	157,774.48
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)	34,821.60	84,755.83
टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड (टीपीडीडीएल)	61,875.03	101,321.08
नई दिल्ली नगरपालिका (एनडीएमसी)	47483.81	55,898.83

50. भारतीय लेखांकन मानक 114,'विनियामक स्थगन खाते' के अनुसार प्रकटीकरण

(i) दर विनियमित क्रियाकलापों का स्वरूप

कंपनी मुख्यतः विद्युत की उत्पति एवं बिक्री के कार्य करती है। कंपनी द्वारा ग्राहकों को बेची जाने वाली विद्युत के लिए प्रभारित किए जाने वाले मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)/दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा किया जाता है जहां से विद्युत की बिक्री की मूल्य सूची के उद्देश्य से सिद्धांतों एवं विधियों के संबंध में गहन मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

मूल्य सूची का निर्धारण ब्याज, मूल्यह्रास, प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय इत्यादि जैसी अनुमत्त लागतों के आधार पर निर्दिष्ट प्रतिफल प्राप्ति के साथ किया जाता है। दर विनियमन के इस स्वरूप को सेवा विनियमों के नाम से जाना जाता है जिसके अंतर्गत कंपनी माल एवं सेवाओं की लागत एवं उचित प्रतिफल की प्राप्ति होती है।

कंपनी को भारतीय लेखांकन मानक 114, विनियामक स्थगन खाते का आवेदन करने की योग्यता प्राप्त है। इस मानक के अंतर्गत कोई योग्य इकाई पूर्व जीएएपी (दर विनियमित क्रियाकलापों के लेखांकन के लिए मार्गदर्शी नोट) लेखांकन नीति का उपयोग अपने विनियामक स्थगन खाता शेष के संबंध में कर सकती है। इस प्रकार कंपनी द्वारा अपनी पूर्व जीएएपी लेखांकन नीति का उपयोग ऐसे शेष के लिए करने के विकल्प का चयन किया गया है।

(ii) स्वीकृति एवं मापन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)/दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) विनियमों में वर्ष के दौरान उत्पन्न की गई आय पर चुकता वास्तविक कर के आधार पर वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी कर आधारित इक्विटी के प्रतिफल के सकल योग की व्यवस्था की गई है। इससे वित्तीय विवरणों (आस्थगित कर देयताओं के लिए आस्थगित परिसम्पति के रूप में संदर्भित) में उक्त स्थगन देयताओं के लिए आस्थगित परिसम्पतियों की स्वीकृति हुई है, आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित परिसम्पति की अवधि 1 अप्रैल, 2012 से प्रारम्भ होती है, जिसे सम्बद्ध आस्थगित कर देयता द्वारा चालू कर का भाग बन जाने के पश्चात भावी वर्षों में पलट दिया जाएगा।

कंपनी द्वारा आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित परिसम्पतियों को नोट संख्या 20 के अंतर्गत आस्थगित कर देयताओं (निवल) का भाग माना जा रहा था। वर्ष के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्श समिति (ईएसी) के मतानुसार इसका पुनःवर्गीकरण विनियामक स्थगन खाता नामे शेषों के अंतर्गत कर दिया गया है।

तदनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 6,638.74 लाख रूपए (31 मार्च, 2020 : 6,638.74 लाख रूपए का नामे शेष) का लेखांकन ''विनियामक स्थगन खाता नामे शेष'' के अंतर्गत किया गया है।

(iii) दर विनियमित परिसम्पतियों की भावी वसूली से सम्बद्ध जोखिमः

विनियमों में परिवर्तन तथा अथवा दर निर्धारण उपयोज्यता के अनुमोदन अथवा संभावित भावी विनियामक क्रियाओं के अंतर्गत इकाई के मूल्यांकन के प्रति जोखिम।

(iv) वहन राशियों का समाशोधन :

क) बहियों में स्वीकृत तथा लाभग्राहियों से भावी अवधियों में वसूल की जाने वाली, लाभग्राहियों से/को प्राप्त/चुकता की जाने वाली विनियामक परिसम्पति/देयताओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

(रुपये लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
	अथ शेष	6,638.74	6,638.74
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान संग्रह की गई/धनवापसी की गई राशि	-	-
	लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत विनियामक शेष	-	-
	अन्य व्यापक आय के अलावा विवरण में मान्यता प्राप्त विनियामक बकाया	-	-
	अंत शेष	6,638.74	6,638.74
ख)	विनियामक स्थगन खाता शेष में निवल संचलन	-	-
ग)	वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत कुल राशि	-	-

51. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

क) निदेशक मंडल की दिनांक 01 मार्च, 2021 को हुई 99वीं बैठक में निदेशक मंडल ने जीएनसीटीडी के बकाया ऋण की 10 प्रतिशत ब्याज के साथ पुनः अदाएगी का निर्णय लिया है।

52. नियोजन के दौरान व उसके उपरांत कर्मचारी लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। संहिता का भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया है। लेकिन संहिता के प्रभावी होने की तिथि अधिसूचित नहीं की गई। संहिता प्रभावी होने के बाद एक समूह इसके प्रभाव का आंकलन करेगा और संहिता को प्रभावी होने की अवधि में होने वाले प्रभाव को रिकॉर्ड करेगा।

53. कोविड–19 महामारी फैलना

भारत व विश्व में कोविड–19 फैलने के कारण कंपनी के कारोबार व इसके संबंद्ध वित्तीय जोखिमों पर होने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों का कंपनी ने शुरुआती आकलन किया। कंपनी प्रमुखत' शक्ति उत्पादन व ऊर्जा विक्रय के कारोबार में लगी हुई है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने इसे आवश्यक सेवा बताते हुए इस पर बल दिया है। कई प्रभावी उपायों और अपने हितधारकों की सुरक्षा के मद्देनजर कंपनी ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी अपने शक्ति संयंत्रों को चालू रखते हुए बिजली की अनवरत आपूर्ति की है।

कंपनी का यह विश्वास है कि कोविड–19 के कारण पड़ने वाले प्रभाव की प्रकृति अल्पकालिक है जिससे कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप में चालू रहने की क्षमता और अपने देय दायित्वों को पूरा करने पर कोई दीर्घकालिक जोखिम नहीं पड़ेगा। कोविड–19 में बनी हुई अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए कोविड–19 के प्रभाव का आंकलन सतत प्रक्रिया है। कंपनी, भावी आर्थिक दशाओं में होने वाले सारवान् परिवर्तनों का गहन अनुवीक्षण करती रहेगी।

54. हालिया लेखांकन उद्घोषणाएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने विद्यमान मानकों के संबंध में नए मानक व संशोधनों का अधिसूचित किया है। 31 मार्च, 2021 तक ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावी हो।

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते वीएसडी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 008726एन

ह0/–
(सीए विनोद साहनी)
साझेदार
सदस्य संख्या 086666
यूडीआई नंबर : 23086666बीजीवीपीएफएल1014

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.01.2023

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(धीरज कुमार निमवाल)
सहायक कंपनी सचिव

ह0/–
(संजय कुमार चौधरी)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
(मुकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (तकनीक)
डीआईएन – 08572379

ह0/–
(अजिमुल हक)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 03578730

प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : "हिमाद्रि", राजघाट पावर हाउस काम्पलैक्स, नई दिल्ली-110002

कॉर्पोरेट आईडेंडिटी नंबर (सीआईएन) - यू74899डीएल2001एसजीसी109135

टेलीफैक्स नंबर : 011-23273565, बेवसाइट : www.ipgcl-ppcl.gov.in, www.pragatipower.nic.in